हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

27 फरवरी, 2019

खण्ड–1, अंक–8

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 27 फरवरी, 2019

पृष्ठ संख्या

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों का अभिनन्दन

शोक प्रस्ताव

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

नियम–15 के अधीन प्रस्ताव

नियम–16 के अधीन प्रस्ताव

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

विभिन्न मामले उठाना/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

जिला पलवल के क्षेत्र तथा पूरे राज्य में स्वाइन फ्लू के फैलने से संबंधित

वक्तव्य–

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष महोदय की पत्नी तथा बच्चों का अभिनन्दन

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

विधान सभा की समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना

(i) अधीनस्थ विधान समिति की 47वीं रिपोर्ट

(ii) लोक लेखा समिति की 78वीं रिपोर्ट

(iii) लोक लेखा समिति की 79वीं रिपोर्ट

(iv) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की 48वीं रिपोर्ट

(v) याचिका समिति की 9वीं रिपोर्ट

(vi) लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 65वीं रिपोर्ट

(vii) प्राक्कलन समिति की 47वीं रिपोर्ट

(viii) अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की 42वीं रिपोर्ट

(ix) स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति की 13वीं रिपोर्ट

(x) स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति की 14वीं रिपोर्ट

(xi) शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी विषय समिति की चौथी रिपोर्ट

(xii) जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) संबंधी विषय समिति की छठी रिपोर्ट

विधान कार्य–

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं. 1) बिल, 2019

नवदीप उच्च विद्यालय, जीन्द के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(ii) दि पंजाब लैंड प्रिज़र्वेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2019

वाक आउट

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(iii) दि इलैक्ट्रिसिटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2019

(iv) दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2019

(v) दि हरियाणा क्लीनिकल इस्टैब्लिशमैंट्स (रजिस्ट्रेशन एण्ड रैगुलेशन) अडॉप्शन (अमैंडमैंट) बिल, 2019

(vi) दि पंजाब कोर्ट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2019

(vii) दि हरियाणा अकांउटेबिलिटी ऑफ पब्लिक फाईनैंसिज बिल, 2019

(viii) दि पंजाब लेबर वैल्फेयर फंड (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2019

(ix) दि पंजाब एक्साईज़ (हरियाणा वैलिडेशन) बिल, 2019

(x) दि हरियाणा म्युनिसिपल ऐन्टरटेनमैंट ड्यूटी बिल, 2019

(xi) दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2019

(xii) दि हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2019

(xiii) दि हरियाणा मैनेजमैंट ऑफ सिविक एमेनिटीज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट म्युनिसिपल एरियाज (स्पैशल प्रोविजंस) अमैंडमैंट बिल, 2019

(xiv) दि हरियाणा राइट टू सर्विस (अमैंडमैंट) बिल, 2019

लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार के उप कुलपति तथा उनकी टीम के सदस्यों का अभिनन्दन

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(xv) दि हरियाणा गैस्ट टीचर्स सर्विस बिल, 2019

(xvi) दि हरियाणा एनीमल (रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन एण्ड ब्रीडिंग) बिल, 2019

(xvii) दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2019

(xviii) दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैम्बली (सैलरी, अलाउंसिज एण्ड पैंशन ऑफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2019

मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद

हरियाणा विधान सभा

बुधवार 27 फरवरी, 2019

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

.....

(जब सभा समवेत हुई, उपाध्यक्ष महोदया ने सदन की अध्यक्षता की)

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों का अभिनंदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): उपाध्यक्ष महोदया, श्री लीला राम जी तथा श्री शशि रंजन परमार, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व विधायक आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन की वी.आई.पीज. गैलरी में मौजूद हैं। मैं अपनी एवं पूरे सदन की तरफ से उनका अभिनन्दन करता हूँ एवं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।

.....

शोक प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): उपाध्यक्ष महोदया, सदन के सत्र के दौरान कुछ महानुभाव हमें छोड़कर चले गए हैं, जिनके लिए मैं दो शोक प्रस्ताव सदन में रख रहा हूँ।

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य डॉ. अशोक कश्यप के 26 फरवरी, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 25 जनवरी, 1967 को हुआ। वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन प्रख्यात हिंदी कवि श्री उदय भानु हंस के 26 फरवरी, 2019 को हुए दुःखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 2 अगस्त, 1926 को हुआ। वे एक सुप्रसिद्ध हिन्दी कवि थे तथा उन्होंने 26 पुस्तकों की रचना की। उन्हें वर्ष 1967 में राज्य कवि का दर्जा दिया गया था। उन्हें वर्ष 2006 में सुर पुरस्कार तथा वर्ष 2009 में हरियाणा साहित्य रतन सम्मान तथा वर्ष 2017 में आजीवन साहित्यक सेवा पुरस्कार से अलंकृत किया गया। उनके निधन से देश हिन्दी साहित्य के एक युग पुरूष की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल (जुलाना): उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉ. अशोक कश्यप तथा प्रख्यात हिंदी कवि श्री उदय भानु हंस के बारे में जो शोक प्रस्ताव पढे हैं, मैं भी अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से उनके लिए अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। डॉ. अशोक कश्यप हमारी पार्टी के सदस्य थे और अभी हफ्ता पहले तक वह हमारे साथ थे परन्तु प्रभु की इच्छा के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा इन महान आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम): उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदन के नेता ने जो दो शोक प्रस्ताव रखे हैं, मैं भी उनके साथ अपने आपको जोड़ती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इनकी आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे।

उपाध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव अभी सदन में पढ़े हैं, मैं भी उनके लिए अपनी संवेदना प्रकट करती हूँ। मैं सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवार के सदस्यों तक पहुंचा दूंगी। अब मैं सदन के सभी सदस्यों से विनती करूंगी कि इन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न–काल शुरू होता है।

तारांकित प्रश्न संख्या 3048

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्या श्रीमती नैना चौटाला सदन में उपस्थित नहीं थी।)

.....

Problem of Sewerage System

***3062. Dr. Krishan Lal Middha :** Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state -

(a) whether it is a fact that the Sewerage system is chocked in Jain Nagar, Dayal Bag Colony, Housing Board, Vishawkarma Colony, Shyam Nagar, Indra Colony, Vishambar Nagar, Hakikat Nagar and Patal Nagar of Jind City; and

(b) if so, the steps taken by the Government to solve the abovesaid problem ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डॉ. बनवारी लाल) :

(क) हां श्रीमान् जी,

(ख) इन क्षेत्रो में सीवर लाईन के छोटे आकार के कारण सीवर के ओवरफ्लो की समस्या लगातार बनी रहती है। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन परियोजना (अमरुत) के अंतर्गत जीन्द शहर में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सीवर लाईन बदलने और नई सीवर लाईन बिछाने के लिए 6.50 करोड रुपये का कार्य स्वीकृत किया गया है। एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्य के अंतर्गत जयंती देवी और काठ मण्डी में पम्पिंग मशीनरी बदलने के लिए भी हाल ही में 47.00 लाख रुपये का एक अनुमान स्वीकृत किया गया है। इन कार्यों के पूरा होने के बाद इन कालोनियों में सीवर की समस्या स्थाई रुप से हल हो जाएगी।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, डॉ0 कृष्ण मिड्ढा एक जागरूक विधायक हैं। डॉ0 कृष्ण मिड्ढा ने दिनांक 31 जनवरी, 2019 को जीन्द का उप चुनाव जीता था। विधान सभा में आते ही मेरे ख्याल से फरवरी में बजट सत्र से 15 दिन पहले यह प्रश्न दिया होगा जो इस बात को साबित करता है कि डॉ0 कृष्ण मिड्ढा को अपने हल्के की कितनी चिंता है, उसके लिए हम डॉ0 मिड्ढा का अभिनंदन करते हैं।

डॉ0 कृष्ण मिड्ढा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा क्योंकि जीन्द में सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ठप्प पड़ी हुई है। 14 टयूबवैल्स पास करने के बाद हमारी पानी की समस्या हल हो गई है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा क्योंकि इससे काफी हद तक पानी की समस्या में सुधार हुआ है लेकिन सीवरेज की व्यवस्था पूरे जीन्द में खराब है। जीन्द दो भागों में बंटा हुआ है, पहला भाग हाउसिंग बोर्ड से लेकर जयंती देवी तक और दूसरा भाग नदी के दूसरी तरफ का है। सीवरेज व्यवस्था ठीक ने होने से सारा जीन्द परेशान है। कल वहां के स्थानीय लोगों ने सांसद महोदय के समक्ष अपना आक्रोश भी जताया था। इस प्रकार से जीन्द के लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाये जिससे यह समस्या हल हो सके। नरवाना में जैटिंग मशीन है लेकिन जीन्द में जैटिंग मशीन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो 'अमरूत योजना' की चर्चा की है वह तो सिर्फ बरसाती पानी को लेकर है।

डॉ0 बनवारी लाल : उपाध्यक्ष महोदया, अगले 8–9 महीने में सारा काम पूरा हो जायेगा। जीन्द शहर दो भागों में बंटा हुआ है। पहले भाग में 15 एम.एल.डी. क्षमता का एस.टी.पी. पहले ही लगा हुआ है जो कि वर्ष 2009 से सुचारू रूप से चल रहा है। भाग दो में हाई एम.एल.डी. की क्षमता का एस.टी.पी. काम कर रहा है। जो नई कालॉनियां सैंग्शंड हुई हैं उनके अंदर लाइन बिछाने के लिए और 7 एम.एल.डी. क्षमता का एस.टी.पी. लगाने के लिए वर्ष 2015–16 में अनुमानित 28.50 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे, जिस पर काम चल रहा है, इसलिए अगले 8–9 महीने में जल्दी ही यह काम पूरा हो जायेगा।

डॉ0 कृष्ण मिड्ढा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से विशेष तौर पर एक बात पूछना चाहता हूँ कि मेरे पिता जी स्व0 डॉ0 हरि चंद मिड्ढा ने विधायक रहते हुए अहिरका एस.टी.पी. से कालवा किनाना डैम तक लाइन पास करवाई थी, वह कब तक पूरी हो जायेगी, जिससे हमें काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

डॉ0 बनवारी लाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने माननीय सदस्या को आश्वासन दे दिया है कि अगले 8–9 महीने में सारी समस्या का हल हो जायेगा।

डॉ0 कृष्ण मिड्ढा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कालवा किनाना डैम के बारे में बात कर रहा हूँ।

डॉ0 बनवारी लाल : उपाध्यक्ष महोदया, यह अलग प्रश्न है, इसलिए इसका जवाब माननीय सदस्य को बाद में दे देंगे।

.....

To Open A PHC and Hospital

***3035. Dr. Pawan Saini :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a new P.H.C in village Barot and a 50 bed hospital in Ladwa Constituency; if so, the time by which there are likely to be opened ?

Health Minister (Shri Anil Vij) : Sir, there is a proposal under consideration to open a Primary Health Centre at village Barot but not to open a 50 bedded hospital in Ladwa Constituency.

डॉ. पवन सैनी : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रपोजल को स्वीकार किया है । मैं बताना चाहूंगा कि सहारनपुर–कुरूक्षेत्र रोड के एक तरफ के इलाके

में 25–30 गांव हैं । मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार के पास यहां भी पी.एच.सी. खोलने बारे प्रपोजल है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि वह प्रपोजल अंडर कंसीड्रेशन है । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस हाउस में मुझे गांव बरोत में प्राइमरी हैल्थ सैंटर के निर्माण का एश्योरैंस दें और बताएं कि वह कब तक शुरू हो जाएगा । इसके अलावा लाडवा निर्वाचन क्षेत्र में 50 बैडिड हॉस्पिटल खोलना बहुत जरूरी है क्योंकि वह इलाका काफी बड़ा है और वहां पर ओ.पी.डी. 600 से भी ज्यादा है । अगर सी.एच.सी., लाड़वा में एक 50 बैडिड हॉस्पिटल बन जाए तो उससे लोगों को काफी राहत मिलेगी । वहां के लोगों को इलाज के लिए पहले कुरूक्षेत्र आना पड़ता है और फिर पी.जी.आई. या दूर के किसी शहर में जाना पड़ता है । अतः हमारा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे हमारे लाडवा की सी.एच.सी. के 50 बैडिड हॉस्पिटल बनाने पर जरूर विचार करें ।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया, गांव बरोत में पी.एच.सी. की प्रिंसिपल अप्रूवल हो चुकी है । हम उसका फर्दर प्रोसैस जल्दी ही इनीशियेट करवा देंगे और उसको जल्दी ही तैयार करवा देंगे । जहां तक लाडवा निर्वाचन क्षेत्र में 50 बैडिड हॉस्पिटल खोलने की बात है तो वहां पर ऑलरेडी 30 बैडिड हॉस्पिटल है । हम उसको एग्जामिन करवा लेंगे । अगर स्कोप होगा तो उसकी स्ट्रैंग्थ बढ़ाने पर जरूर विचार करेंगे ।

डॉ. पवन सैनी : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं ।

श्री श्याम सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे रादौर में एक 50 बैडिड हॉस्पिटल बनना था । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी सेहत का तो इलाज कर दिया लेकिन हमारे रादौर के हॉस्पिटल का इलाज कब करेंगे ?

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया, हम माननीय सदस्य के हॉस्पिटल का भी इलाज करवाएंगे । मैं बताना चाहूंगा कि अम्बाला कैंट की जो कैथ लैब है वह बहुत अच्छी लैब है । उपाध्यक्ष महोदया, वह कैथ लैब हिन्दुस्तान के किसी भी सिविल अस्पताल में खुलने वाली पहली कैथ लैब बन गई है । अब तक हम 5 कैथ लैब्स खोल चुके हैं । एक दिन माननीय सदस्य श्याम सिंह राणा जी को हार्ट की प्रोब्लम हो गई थी तो हमने अम्बाला कैंट की कैथ लैब में इनका ट्रीटमैंट करवाया था । अब ये बिल्कुल स्वस्थ हैं । हमारी कैथ लैब्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं । हमने

हैल्थ सैक्टर में काफी सुधार लाने की कोशिश की है । हमने अस्पतालों में एम.आर.आई., सी.टी. स्कैन, डायलसिस की मशीनें लगाई हैं । डायलसिस की मशीन 22 जिलों में से 14 जिलों में फंक्शनल हैं । धीरे–धीरे बाकी जिलों में भी हम ये मशीनें चालू कर देंगे । हैल्थ सैक्टर में हमारी काफी अचीवमैंट्स है । पिछले साल पी.जी.आई., रोहतक और कुरूक्षेत्र की एक पी.एच.सी. सारे हिन्दुस्तान में फर्स्ट आई है । माननीय सदस्य का जो अस्पताल है हम उसको भी एग्जामिन करवा लेंगे । हालांकि मैं केवल एग्जामिन करवा सकता हूं और आश्वासन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ही देंगे । अगर 50 बैडिड हॉस्पिटल की बात है तो फिर हम जरूर विचार करेंगे ।

श्री श्याम सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, उस हॉस्पिटल का काम सी.एम. अनाउंसमैंट के अंतर्गत ही होना है ।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया, अगर उस हॉस्पिटल का काम सी.एम. अनाउंसमैंट के अंतर्गत होना है तो हम उसे आंख बंद करके मंजूर करके तैयार कर देंगे ।

.....

तारांकित प्रश्न संख्या – 2903

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री मक्खन लाल सिंगला सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

To Construct Cremation Ground

***3052. Shri Gian Chand Gupta :** Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Cremation Ground in village Chaunki of District Panchkula; if so, the time by which the Cremation Ground in above said village is likely to be constructed?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : हां, श्रीमान् जी। गाँव चौंकी, जिला पंचकूला में श्मशान घाट के निर्माण का प्रस्ताव नगर निगम, पंचकूला के पास विचाराधीन है। चूंकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा सैक्टर–32, पंचकूला के विकास के लिए गाँव चौंकी की समस्त भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, इसलिए नगर निगम पंचकूला द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

विभाग को इस उदेश्य के लिए एक बीघा जमीन नगर निगम, पंचकूला को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा है कि हर एक गांव के श्मशान घाट में हम शैड लगाएंगे, पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध करवायेंगे इत्यादि । मैं माननीय मंत्री महोदया को बताना चाहूंगा कि एच.एस.वी.पी. ने मेरे क्षेत्र के गांवों की जो जमीन एक्वायर की है उसमें क्रिमेशन ग्राउंड की जमीन भी शामिल है । पिछले लगभग 2 साल से यह मामला एच.एस.वी.पी. और नगर निगम में उलझा हुआ है । श्मशान घाट की तो सबको जरूरत है । मेरा कहना है कि जिन गांवों की जमीन श्मशान घाट के लिए एक्वायर हुई है उनको या तो वही जमीन वापस दे दी जाए या फिर उन्हें श्मशान घाट के लिए कोई अन्य जगह उपलब्ध करवाई जाए । मेरा माननीय मंत्री महोदया से प्रश्न है कि इसका काम कब तक हो जाएगा ?

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी और जैसा उन्होंने स्वयं भी कहा कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी ने एक ऐसी योजना बनायी है कि मृतक की अंतिम यात्रा निकले तो उसकी यात्रा सुगम हो। शमशान घाट तक जाने का रास्ता पक्का हो, वहां पर शैड का निर्माण हो। जहां पर मृतक की बॉडी को क्रिमेट किया जाता है, वहां पर नल की व्यवस्था हो और शमशान घाट की बाउंड्री वाल बने। ये सभी चीजें बनाने के लिए प्रदेश के सभी शमशान घाटों में काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने पंचकुला जिले की बात की है तो निश्चित रूप से माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है। इस मामले में एच.एस.वी.पी. के अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अभी सैक्टर 32 में शमशान घाट के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है लेकिन उन्होंने माना है कि सैक्टर 31 (जो अभी अनप्लांड है) में एक प्लॉट का बंदोबस्त इसके लिए करवा दिया जाएगा और इसके लिए शीघ्र ही मंजूरी दे दी जाएगी, उसके बाद जल्दी से जल्दी क्रिमेशन ग्राउंड बना दिया जाएगा। इसके अलावा पंचकुला, नगर निगम के 12 क्रिमेट स्थानों पर डिवैल्पमैंट योजनाओं को लेकर कार्य चल रहा है। 2 क्रिमेट स्थानों का काम कम्पलीट हो चुका है और अभी मेरे पास 4 क्रिमेट स्थानों का चार्ट है जिसमें मोर दैन 65 प्रतिशत, 70 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 95 प्रतिशत काम कम्पलीट हो चुका है और बाकी क्रिमेट स्थानों का काम इन प्रोगैस है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य

को ऑन दा फ्लोर ऑफ दा हाउस आश्वासन देना चाहूंगी कि एच.एस.वी.पी. द्वारा लैंड ट्रांस्फर होते ही यह काम आरम्भ करवा दिया जाएगा।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि एच.एस.वी.पी. द्वारा कब तक लैंड ट्रांस्फर कर दी जाएगी ? पिछले 2–3 सालों से यह काम पैंडिंग चल रहा है। नगर निगम और एच.एस.वी.पी. आपस में पत्राचार करते रहते हैं परन्तु लैंड ट्रांस्फर का काम अभी तक पैंडिंग ही चल रहा है। माननीया मंत्री जी इस काम को कम्पलीट करवाने के लिए टाईम बाउंड कर दें। क्या जब तक क्रिमेशन ग्राउंड उपलब्ध न हो तब तक लोगों का मरना रूकवा दें ? माननीया मंत्री जी आश्वासन दे दें कि कब तक लैंड ट्रांस्फर करने का काम हो जाएगा ?

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, जीवन–मरण के ऊपर किसी का वश नहीं है। मैं तो माननीय सदस्य को सिर्फ इतना ही आश्वासन दे सकती हूं कि जब तक लैंड ट्रांस्फर नहीं हो जाती तब तक भाईचारा कायम रखते हुए दूसरे 12 शमशान घाटों में अंतिम क्रिया की जाए।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदया, माननीया मंत्री जी द्वारा टाईम बाउंड किया जाना चाहिए कि एच.एस.वी.पी. कब तक नगर निगम को लैंड ट्रांस्फर कर देगा ? इसके लिए चाहे 1 या 2 महीने का टाईम फिक्स कर दें।

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि लैंड ट्रांस्फर करते ही as soon as काम शुरू करवा देंगे।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदया, as soon as तो कोई जवाब नहीं है। मेरा आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस काम के लिए कोई टाईम फिक्स कर दें।

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जैसे ही एच.एस.वी.पी. द्वारा लैंड ट्रांस्फर हो जाएगी, उसी समय विभाग द्वारा काम शुरू करवा दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदयाः ज्ञानचन्द जी, माननीया मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। प्लीज, आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री परमेन्द्र सिंह ढुल जी अपना सवाल पूछेंगे।

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, जब मृत्यु ही निश्चित नहीं है तो हम लैंड ट्रांस्फर के लिए टाईम कैसे निश्चित कर सकते हैं ?

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदया, इस बात को तो सभी जानते हैं कि मुत्यु तो आनी ही है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): उपाध्यक्ष महोदया, माननीया मंत्री जी की फिलोसॅफी बहुत अच्छी है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): उपाध्यक्ष महोदया, कांग्रेस पार्टी, इनैलो पार्टी और जे.जे.पी. के सदस्य हाउस से भाग गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल: उपाध्यक्ष महोदया, इनैलो पार्टी की तरफ से मैं अपनी बात रख रहा हूं।

श्री अनिल विज: उपाध्यक्ष महोदया, इनैलो पार्टी की तरफ से सिर्फ एक ही माननीय सदस्य सदन में उपस्थित है।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल: उपाध्यक्ष महोदया, मैं छः फुट सवा 2 इंच का आदमी खड़ा हूं और इनैलो पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर): उपाध्यक्ष महोदया, विपक्ष के माननीय सदस्यों की दुकान बन्द हो चुकी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं सी.एल.पी. लीडर सदन में उपस्थित हूं और हम सरकार चलाने में भी सक्षम हैं। (विघ्न)

.....

Total Number of Sanctioned Posts

*** **3054. Shri Bishamber Singh :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the number of sanctioned posts of sweepers in all Municipal Committees, Municipal Corporations and Municipal Councils of the State togetherwith the number of vacant posts alongwith the time by which the above said vacant posts are likely to be filled up?

शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री (श्रीमती कविता जैन), श्रीमान जी, सफाई कर्मचारियों के कुल 13093 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 7567 पद स्थाई कर्मचारियों से भरे हुये हैं। 10017 सफाई कर्मचारी वर्ष 2014 से पालिका रोल पर कार्यरत हैं । इसके

**** Ask by Shri Assem Goel**

अतिरिक्त, 5254 सफाई कर्मचारी हरियाणा सरकार की आउटसोर्स नीति पार्ट–I के अर्न्तगत कार्यरत हैं ।

श्री असीम गोयलः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय साथी श्री बिशम्बर सिंह जी ने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि जो सफाई कर्मचारियों के खाली पदों की संख्या है, इसको कब तक भरे जाने की संभावना है ?

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, जैसा कि अभी मैंने माननीय सदस्य को डिटेल में बताया है कि सफाई कर्मचारियों के कुल 13093 पद स्वीकृत है, जिसके अगेंस्ट 7567 पद स्थायी कर्मचारियों से भरे हुये हैं और 10017 सफाई कर्मचारी वर्ष 2014 से पालिका रोल पर कार्यरत हैं और 5254 पद हमने हरियाणा सरकार की आउटसोर्स नीति पार्ट–1 के अन्तर्गत लगाए हुए हैं। अगर हम इन सारे आंकड़ों को जोड़ेंगे तो यह सफाई कर्मचारियों के कुल पद 13093 पद से ज्यादा बनते हैं। फिलहाल अभी माननीय सदस्य के एरिया में कोई भी सफाई कर्मचारी के खाली पद नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्याः 2929

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री वेद नारंग सदन में उपस्थित नहीं थे।)

.....

तारांकित प्रश्न संख्याः 3029

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्या श्रीमती रोहिता रेवड़ी सदन में उपस्थित नहीं थीं।)

.....

Total Acreage of Crop Damaged Due to Water Logging

***2868. Shri Parminder Singh Dhull :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state:-

(a) total acreage of crop damaged due to water logging in the State during the Kharif season, 2018 togetherwith the district wise details thereof; and

(b) the steps taken by the Government to provide compensation to the affected farmers?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : (क) श्रीमान् जी, गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार जल भराव से फसल खरीफ 2018 में कुल 1,50,829 एकड फसलों का खराबा हुआ। जल भराव से फसलों को हुये खराबे का जिलावार विवरण सदन के पटल पर रखा है ।

(ख) प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदान करने हेतु सम्बन्धित जिलों को मु0 131,39,77,412/–रूपये की राशि स्वीकृत की गई है ।

विवरण

फसल खरीफ 2018 के दौरान जल भराव से फसलों को हुए नुकसान का जिलावार खराबे का विवरण–

क्रमांक	जिले का नाम	कुल फसल खराबा (एकडों में)
1.	कुरूक्षेत्र	1241
2.	यमुनानगर	18897
3.	करनाल	69
4.	कैथल	78
5.	पानीपत	48
6.	रोहतक	12181
7.	सोनीपत	3340
8.	झज्झर	6322
9.	भिवानी	58529
10.	चरखीदादरी	3848
11.	रेवाडी	1700
12.	फरीदाबाद	46
13.	हिसार	34357
14.	जीन्द	10173
	कुल	**150829**

आनरेबल डिप्टी स्पीकर मैडम, हमारे माननीय सदस्य श्री परमेंद्र सिंह ढुल जी ने सवाल पूछा है कि खरीफ सीजन, 2018 में वाटर लॉगिंग होने की वजह से जो फसल बर्बाद हुई थी, उसका डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल दिया जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी पूछा था कि सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को मुआवजा उपलब्ध करवाने के लिए क्या पग उठाए गए हैं, उसके बारे में बताया जाए। आनरेबल डिप्टी स्पीकर मैडम, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार जल–भराव से खरीफ की फसल, 2018 में कुल 1,50,829 एकड़ फसल बर्बाद हुई है और इसका जिलावार विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमने प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदान करने हेतु सम्बन्धित जिलों को 131,39,77,412 रुपए की राशि स्वीकृत की है।

श्री परमेंद्र सिंह ढुलः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जींद जिले में जो 10173 एकड़ फसल बर्बाद होने का आंकड़ा

दिखाया गया है, वास्तव में वहां पर फसल का नुकसान ज्यादा था। हालांकि, सिंचाई विभाग ने बहुत ज्यादा मेहनत करके खेतों से पानी निकालने का अच्छा काम किया था और इसके साथ ही साथ खेतों से पानी निकालने में राजस्व विभाग ने भी मदद की थी। उपाध्यक्ष महोदया, खेतों से पानी तेजी से निकाला तो गया था, लेकिन उसके बावजूद फसल बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया था। उपाध्यक्ष महोदया, मैं ललितखेड़ा गांव का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब ललितखेड़ा गांव में जल–भराव हो गया था तो सरकार की तरफ से उसके लिए मुआवजा तय किया गया था और सरकार की तरफ से किसानों को जो मुआवजा दिया गया था, वह इस प्रकार से दिया गया था कि मान लीजिए कि 100 किले का कलस्टर है, तो बीच के 50 किले छोड़ दिए गए थे, जबकि नुकसान पूरे के पूरे एरिया में था। मैंने पिछले सत्र में भी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की थी और मुझे आश्वासन दिया गया था कि वे इसकी जांच करवाएंगे तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उसकी जांच की रिपोर्ट आ चुकी है ? दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगा कि इस मुआवजे में वह एरिया भी शामिल है, जिसमें फसल की बुआई नहीं हुई थी। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे जुलाना क्षेत्र के अंदर कृषि विभाग के अधिकारी पता करके आए थे कि कितने एकड़ ऐसे हैं जिनमें फसल की बुआई नहीं हुई थी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन खेतों में फसल की बुआई नहीं हुई थी और उनमें जल–भराव हुआ था तो क्या सरकार द्वारा उनके लिए भी मुआवजे की राशि दी जाएगी ? अगर उनके लिए मुआवजे की राशि नहीं दी जाएगी तो ऐसे कितने एकड़ हैं जिनमें फसल की बुआई नहीं हुई थी, क्योंकि नेता सदन ने भी विश्वास दिलाया था कि उनको भी 6000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जींद के लिए जो 10 करोड़ 74 लाख 33 हजार 421 रुपए का लम्बित मुआवजा राशि दिखाया, उसे कब तक भेजेंगे ?

कैप्टन अभिमन्युः आनरेबल डिप्टी स्पीकर मैडम, हमारे माननीय सदस्य श्री परमेन्द्र सिंह ढुल जी इस मामले में बहुत ही सजग रहते हैं और ये लगातार हमारे रेवेन्यू डिपार्टमैंट और इरीगेशन डिपार्टमैंट के संपर्क में भी रहते हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जब यह फ्लडिंग हुई थी तो उस समय हमारे माननीय सदस्य ने खुद रेवेन्यू डिपार्टमैंट के अधिकारियों और इरीगेशन डिपार्टमैंट के अधिकारियों के साथ

मिलकर गांव–गांव में जाकर वहां के फसलों के नुकसान का जायजा लेने में हमारा सहयोग भी किया था। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूंगा और माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि फसलों की गिरदावरी बहुत ही प्रभावी तरीके से हुई थी और हमारे माननीय सदस्य ने उसके ऊपर दोबारा से क्वैश्चन रेज किया था और बाकायदा हमने ऊपर के अधिकारियों से उसकी दोबारा से इन्क्वायरी भी करवाई थी, यहां तक कि हमने कमिश्नर को भी मौके पर भेजा था और कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक गिरदावरी बहुत अच्छे ढंग से की गई है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि पूरी तरह से जांच करके यदि इनके संज्ञान में कोई भी विषय आता है तो ये दोबारा से हमें बता सकते हैं और साथ ही साथ उसकी भी इन्क्वायरी करवा दी जायेगी। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का दूसरा सवाल यह है कि वॉटर लोगिंग की वजह से किसानों की रबी सीजन वर्ष 2018 की फसल की बुआई नहीं हो सकी है, उसके लिए भी जैसे सदन के नेता ने आश्वासन दिया था कि उसकी गिरदावरी करवायेंगे तो सरकार ने गिरदावरी का काम पूरा कर लिया है। उपाध्यक्ष महोदया, जो इस सीजन की 12448 एकड़ जमीन में फसल की बुआई नहीं हो सकी है, हमने उसको भी आईडैंटीफाई कर लिया है और इसी तरह से जींद जिले के किसानों की 1623 एकड़ भूमि पर फसल की बिजाई नहीं हुई है इसलिए सरकार ने इन किसानों को भी मुआवजा देने के लिए 6000 रुपये प्रति एकड़ सैंक्शन कर दिए हैं।

श्री परमेंद्र सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, फसल में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए वर्षों से एक परिपाटी चली आ रही है। उपाध्यक्ष महोदया, फसल में हुए नुकसान की जांच करने के लिए पहले डिप्टी कमिश्नर तहसीलदार को ऑर्डर करेंगे और तहसीलदार कानूनगो को और कानूनगो आगे अकेले रेवेन्यू पटवारी को गिरदावरी करने के लिए ऑर्डर जारी कर देता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अकेला रेवेन्यू पटवारी इस बात का एक्सपर्ट नहीं होता है। वह इस बात का एक्सपर्ट तो होता है कि कौन से खेत में कौन सी फसल की बिजाई हुई है। अध्यक्ष महोदय, वह पटवारी इस बात का एक्सपर्ट नहीं होता है कि वह नुकसान की सीमा तय कर सके। मैंने इस बारे में वर्ष 2015–16 में वर्तमान सरकार से निवेदन किया था कि वर्षों से चले आ रहे सिस्टम को बदलने का काम करे क्योंकि इस सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है। उपाध्यक्ष महोदया, कृषि विभाग के विशेषज्ञों को इन

बातों की पूरी जानकारी होती है कि एक एकड़ की फसल में कितना नुकसान होता है? उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की तरफ से भविष्य में निर्देश दिए जाएंगे कि जब भी किसानों की फसलों का नुकसान होगा तो अकेले रेवेन्यू पटवारी के ऊपर निर्भर न रहकर के सिचांई विभाग के पटवारी की भी जिम्मेवारी लगाई जाएगी क्योंकि सिंचाई विभाग का पटवारी हर छह महीने में गिरदावरी करता है? मैंने इस बारे में भी आर.टी.आई. एक्ट के तहत पूरी जानकारी ली थी लेकिन आज मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे सिंचाई विभाग के पटवारी ने धान की फसल दिखाकर मौके पर कपास की फसल का मुआवजा दे दिया तथा कहीं पर गन्ने की फसल का मुआवजा दे दिया। हमें कई बार यह भी देखने को मिला कि खेतों में जहां बिल्डिंग्ज़ बनी हुई थी लेकिन फिर भी मुआवजा दे दिया गया। उपाध्यक्ष महोदया, कहने का मतलब यह है कि इस सिस्टम को सुधारने के लिए क्या सरकार भविष्य में कोई ऐसी योजना बनाएगी कि पारदर्शी तरीके से किसानों की फसलों के नुकसान का आंकलन हो ? इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि एक रेवेन्यू पटवारी के ऊपर निर्भर न रहा जाए बल्कि किसानों की खराब हुई फसलों का समुचित तरीके से आंकलन किया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए तभी किसान लाभान्वित होंगे । उपाध्यक्ष महोदया, मेरे हल्के के किसान माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया था कि जांच करवाई जायेगी लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं करवाई गई है, जब तक इस तरह का सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी । उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या भविष्य में इस सिस्टम को दुरूस्त किया जायेगा ताकि इसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाईश ही न रहे ?

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है कि जींद जिले में किसानों की 10173 एकड़ फसल का मुआवजा कब तक दे दिया जाएगा ? इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यह मुआवजा जारी किया जा चुका है। मैं यहां पर माननीय सदस्य के सवालों को गिन रहा था तो सप्लीमैंट्री के टोटल पांच सवाल हो चुके हैं। ये इनके सुझाव भी हैं और सवाल भी हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि अब हरियाणा प्रदेश में बाकायदा ई–गिरदावरी की जा रही है और पिछले 3–4 सालों में

ई–गिरदावरी में काफी सुधार किए गए हैं। जब से ''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'' की शुरूआत हुई है तब से कृषि विभाग के अधिकारी भी गिरदावरी करने की प्रकिया में सम्मिलित रहते हैं और इंशोरैंस कम्पनी के अधिकारी भी सम्मिलित रहते हैं क्योंकि हर तरह की फसल का नुकसान ''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'' के तहत कवर्ड है और खराब हुई फसलों का मुआवजा किसानों को देना होता है इस प्रकार क्रॉप कटिंग एक्सपैरीमेंट एक सांईटिफिक एक्सपैरीमेंट के रूप में इवॉल्व हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने कहा कि प्रदेश में इस प्रकार की शिकायतें आती रहती हैं। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि यदि आपको कोई स्पैसीफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसकी जानकारी विभाग को दे दी जाये। हमने पहले भी इस तरह की शिकयतों की इन्क्वायरी करवाकर पटवारियों पर और रेवेन्यू अधिकारियों पर कार्रवाई करने का काम किया। हम भविष्य में इस तरह की कार्रवाई करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और जहां तक सुधार करने की बात है तो यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। जहां पर गुंजाइश की बात होगी तो इसमें सुधार करने की भी पूरी कोशिश की जायेगी ।

श्रीमती किरण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, पिछले विधान सभा सैशन में भी मैंने इस विषय को यहां पर उठाया था मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगी कि मेरे तोशाम हल्के के बहुत से गांव अभी वॉटर लोगिंग की समस्या से ग्रस्त हैं। इन गांवों में मैं बापोड़ा का विशेष तौर पर जिक्र करना चाहूंगी। इसी प्रकार से दादरी जिले के भी 13 गांवों में वॉटर लोगिंग की समस्या है। जय श्री, कमोद, रावलदी, बौंद, झिंज्जर, खातीवास, ढाणी फौगाट, समसपुर, इम्लोटा, मिरच, कन्हेटी, मोरवाला, मिश्री इत्यादि गांवों की सारी की सारी भूमि जल भराव के कारण पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। इन गांवों की 2000 एकड़ भूमि में अभी तक जल भराव है। उनकी खरीफ की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि सरकार द्वारा इन सभी 13 गांवों के किसानों को खरीफ और रबी की फसल का क्या कोई कम्पनसेशन दिया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा कुल कितना कम्पनसेशन दिया गया है। यह भी बताया जाये। इसके अलावा क्या सरकार लॉग टर्म के लिए कोई ऐसी योजना बना रही है कि जिससे भविष्य के लिए इन गांवों में वॉटर लॉगिंग की समस्या का स्थायी समाधान हो जाये। इसी प्रकार से मंत्री जी को मैं यह भी बताना चाहती हूं कि जिन लोगों ने अपने स्वयं के ट्रैक्टर इस्तेमाल करके और अपने स्तर पर डीज़ल

खरीदकर पानी निकाला था उनको उस राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूती हूं कि इन किसानों को इस राशि का भुगतान कब तक किया जायेगा।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया जी, माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी ने बहुत ही बढ़िया प्रश्न बहुत ही बढ़िया तरीके से पूछा है। इससे हमें यह जानकारी भी मिल जाती है कि पहले की सरकारों द्वारा हरियाणा में क्या–क्या काम किये गये और हमारी सरकार से किन–किन कामों की अपेक्षा माननीय सदस्यों द्वारा की जाती है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया जी, भिवानी जिले में जो फल्डिंग के कारण से नुक्सान हुआ है उससे 58,529 एकड़ जमीन प्रभावित हुई है। इस प्रकार से जलभराव के कारण सर्वाधिक भिवानी जिले की जमीन प्रभावित हुई है। इसके अगेंस्ट हमने खरीफ की फसल की कम्पनसेशन के लिए 47,05,30,480 रूपये जारी कर दिये हैं। माननीय सदस्या द्वारा चरखी दादरी जिले का भी जिक्र किया गया है। दादरी जिले में 3848 एकड़ जमीन में जल भराव के कारण खरीफ की फसल का नुक्सान हुआ है उसके लिए हमने 4,01,18,500 रूपये जारी कर दिये हैं। इसके अलावा भिवानी जिले में जल भराव के कारण रबी की फसल की बिजाई न होने वाली 2124 एकड़ जमीन गिरदावरी में आई है। इसी प्रकार से चरखी दादरी जिले की जल भराव के कारण रबी की फसल की बिजाई नहीं होने वाली 1841 एकड़ जमीन की गिरदावरी हुई है। जिन किसानों की जमीन में रबी की फसल की बिजाई नहीं हो पाई है हमने इन सभी किसानों को 6000/– रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा सैंक्शन कर दिया है। जहां तक ट्रैक्टर ओनर की पेमैंट का सम्बन्ध है उनकी पेमैंट जारी हो चुकी है। अगर कहीं जिला स्तर से नीचे के ऑफिस में कहीं कोई पेमैंट डियू है तो उसको भी हम चैक करके इंश्योर कर देंगे कि वह पेमैंट जल्दी से जल्दी हो जाये। जहां तक जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान का सम्बन्ध है इस बारे में मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक बारिश के मौसम से 5–6 महीने पहले बुलाई है। इससे पहले अमूमन यह होता था कि बारिश के मौसम से कुछ ही दिन पहले परम्परा के तौर पर फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक कर दी जाती थी और उसमें महज कुछ प्रोजैक्ट्स पर ही नाम मात्र की चर्चा कर ली जाती थी। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक बारिश के मौसम से कम से कम एक महीना पहले की जायेगी तो विभाग द्वारा फ्लड कंट्रोल

के लिए टैम्परेरी अरेंजमैंट्स ही किये जायेंगे जिनका वास्तव में कोई विशेष लाभ प्रदेश को नहीं होगा। विभाग द्वारा फ्लड कंट्रोल के स्थायी समाधान को दृष्टि में रखकर काम किया जाये इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बारिश के मौसम से 5–6 महीने पहले ही फ्लड कंट्रोल बोर्ड की विस्तृत बैठक करके उसमें उन–उन बिन्दुओं पर विचार किया गया कि किस प्रकार से इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाये और उसके पश्चात् तुरन्त ही इरीगेशन विभाग द्वारा फ्लड कंट्रोल बोर्ड की उस मीटिंग में निर्धारित किये गये बिन्दुओं के ऊपर काम करना प्रारम्भ कर दिया गया है। इस मीटिंग में जिन मुख्य बिन्दुओं पर काम करने के लिए विचार किया गया उनमें मुख्य रूप से इरीगेशन विभाग के अधिकारियों को इस बात के लिए हिदायत दी गई है कि फ्लड कंट्रोल के परमानैंट सॉल्यूशन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनायें बनाकर उनको इम्पलीमैंट किया जाये जैसे कि किस प्रकार से फ्लड ड्रैन्ज़ का एक्सटैंशन किया जा सकता है? फ्लड के पानी को कहां ले जाया जा सकता है और क्या फ्लड के पानी से किसी प्रकार से ग्राउंड वॉटर टेबल को भी रिचार्ज़ किया जा सकता है? इसके अलावा भी अनेक प्रकार से टैक्नालोजी के इस्तेमाल से भी जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके इसके लिए भी सरकार के स्तर पर गम्भीरतापूर्वक प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अलावा मैं यहां पर एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जीन्द की ट्रैक्टर्स की हमारी कुछ पेमैंट पैंडिंग है। हम उसकी परमिशन लेकर के 1–2 दिन में ही उसकी चिट्ठी जारी कर देंगे। यह बहुत छोटी सी पेमैंट है। इससे सम्बंधित प्रक्रिया भी एक दो दिन में ही पूरी कर दी जायेगी और उसके बाद यह पैसा भी रिल

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि जो पानी खेतों में खड़ा है उसको कब तक निकाल दिया जायेगा क्योंकि गांवों में पानी अभी भी भरा हुआ है। जो मुआवजा किसानों को दिया गया है वह अच्छी बात है लेकिन वह पानी कब तक निकाल दिया जायेगा?

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्या ने हम पर भरोसा किया है कि हम इस पानी को निकलवा सकते हैं। ये जो काम पिछले 10 साल तक अपनी सरकार में नहीं करवा पाई वह काम ये हमसे करवाना चाहती हैं, हम इनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। भिवानी में जो बापौड़ा का एरिया है वह परमानैंट वाटर लॉग्ड रहता है, उसमें हमेशा ही पानी भरा रहता है। जब 10 साल तक इनकी सरकार थी तो ये सोये रहे लेकिन इनका हम पर भरोसा है।

इनकी सरकार में इनका भरोसा नहीं था। पिछले 10 साल तक इनकी सरकार रही लेकिन ये **इस समस्या का समाधान नहीं करवा पाई और इन्होंने हम पर भरोसा किया है। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इनका भरोसा टूटने नहीं देंगे।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो ** शब्द कहा है इसको सदन की कार्यवाही से निकलवा दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदया : कैप्टन अभिमन्यु जी ने जो **शब्द कहा है उसको रिकॉर्ड न किया जाये।

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस **शब्द को वापिस लेता हूं। माननीय सदस्या बहुत बहादुर हैं लेकिन इनकी सरकार में इनकी बहादुरी भी काम नहीं आई और ये अपनी वाटर लोगिंग की समस्या का समाधान नहीं करवा पाई लेकिन आज इनके भाई इनके साथ हैं, इनके भाई इनका कष्ट मिटायेंगे। इनके भाई अपना धर्म निभायेंगे, हम इनके छोटे भाई हैं और इनकी समस्या का समाधान करवायेंगे।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपनी तरफ से बहुत सोच समझ कर शब्दों का इस्तेमाल करती हूं इसलिए मंत्री जी को भी सोच समझ कर उचित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए।

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, हमें माननीय सदस्या से सहानुभूति है और मैंने अपने शब्द वापिस भी ले लिए हैं। मुझे इनके लिए बहुत पीड़ा रहती है कि इतनी बहादुर होने के बावजूद भी ये अपनी समस्या का समाधान क्यों नहीं करवा पाई। मुझे इनकी बहुत चिन्ता है और हम इनकी समास्या का समाधान अवश्य करेंगे। मुझे इनके प्रति बहुत सहानुभूति है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि वे मेरी चिन्ता न करें मैंने जो काम कहा है उसके बारे में बतायें। (शोर एवं व्यवधान)

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : उपाध्यक्ष महोदया, माननीया सदस्या जो चिन्ता कर रही हैं उस पर हमने अलग ढंग से सोचा है। इनके इलाके में इमलोटा और मिसरी का जो इलाका है उसमें हमेशा पानी भरता है और इसके लिए हमने मछली पालन विभाग में एक अथॉरिटी बनाई है। हम चरखी दादरी का 10 हजार एकड़ एरिया उसमें कवर कर रहे हैं। उस अथॉरिटी ने कुछ झज्जर की तथा कुछ दादरी की यानि कुल 16 हजार एकड़ जमीन आइडैंटीफाई की है जिस पर व्यापक रूप से मछली पालन का काम किया जायेगा और सामान्य किसानों से ज्यादा इन मछली पालक किसानों की आमदनी करवायेंगे और हम इस काम पर लगे हुये हैं।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, वे लोग मछली पालन नहीं करना चाहते वे तो अपने खेतों की जुताई और बिजाई करना चाहते हैं इसलिए वहां से पानी की निकासी का प्रबंध किया जाये।

श्री बिक्रम यादवः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नेहरू कैनाल से कारौली, बउआ और बिसोवा गांवों की लगभग डेढ़ सौ एकड़ जमीन पम्प हाउस पर बिजली की तकनीकी खराबी आने के कारण जलमग्न हो गई है। वहां पर रबी तथा खरीफ की किसी भी फसल की बिजाई नहीं हो पाई है। उपायुक्त महोदय ने उसकी गिरदावरी भी करवा दी है लेकिन अभी तक उन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। वहां पर कुछ ढाणियां भी थी जिनके मकानों में भी दरारें आ गई हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके डैमेज हुये मकानों की भरपाई हो पायेगी तथा कोई मुआवजा दिया जायेगा?

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, यह इरीगेशन विभाग का मैटर है फिर भी हम इसकी रिपोर्ट लेकर इरीगेशन विभाग को कार्रवाई करने के लिए कह देंगे । माननीय सी.एल.पी. लीडर ने एक चीज और पूछी थी कि पानी निकालने के लिए क्या कोई इंतजाम किया जा रहा है ? मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमने इमलोटा, मिसरी या आस–पास के गांवों में ड्रेन कैपेसिटी को बढ़ाने का निर्णय लिया है और वहां पर पम्प हाऊस को भी सैंक्शन किया गया है ।

.....

Construction of New Bus Stand

***2968. Shri Umesh Aggarwal :** Will the Transport Minister be pleased to state whether it is a fact that old bus stand in Gurugram is dilapidated; if so, the time by which the new modern bus stand in Gurugram is likely to be constructed ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान जी, हाँ। गुरूग्राम में दो नए बस अड्डों के निर्माण करने का प्रस्ताव हैं, जिनमें से एक पी0पी0पी0 आधार पर राजीव चौक पर व दूसरा गाँव सिही, सैक्टर – 36, गुरूग्राम में बनाया जाना हैं। मैसर्ज डी0आई0एम0टी0एस0, नई दिल्ली राजीव चौक पर पी0पी0पी0 आधार पर बस अड्डा के निर्माण के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। दूसरा बस अड्डा सैक्टर – 36, ग्राम सिही, गुरूग्राम में प्रस्तावित है, जिसके लिए एच0एस0आई0आई0डी0सी0 से 15 एकड़ भूमि 17.00 करोड़ रूपये प्रति एकड़ की दर से खरीदी जा रही है। इस समय निर्माण की समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदया, माननीय विधायक श्री उमेश अग्रवाल जी ने गुरूग्राम में दो नए बस स्टैंड बनाने की बात की है क्योंकि वहां पर पहले जो दो पुराने बस स्टैंड हैं वह ठीक ढ़ंग से काम नहीं कर पा रहे हैं । आज गुरूग्राम इंटरनैशनल सिटी बनता जा रहा है इसलिए विभाग ने एक इंटरस्टेट बस स्टैंड राजीव चौंक के पास हाई–वे पर पी.पी.पी मोड में बनाने के लिए एक एम.ओ.यू. साईन किया है और दूसरा बस स्टैंड बनाने के लिए सैक्टर–36 में भूमि निश्चित की है जिसके सारे कागजात पूरे हो गए हैं ।

श्री उमेश अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गुरूग्राम में एक बस स्टैंड पुराने शहर में है जिसको तीन साल पहले विभाग कंडम घोषित कर चुका है । अब नया बस स्टैंड बनाने के लिए दो–तीन जगह पर प्रपोजल बना है लेकिन अभी तक कहीं पर भी जमीन फाईनल नहीं की गई है जिस वजह से नए बस स्टैंड का अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। इस बात को सब जानते हैं कि गुरूग्राम मिलेनियम सिटी है और हरियाणा में सबसे ज्यादा टैक्स गुरूग्राम देता है । उसके बावजूद वहां पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था प्रोपर नहीं है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वहां पर सिटी बस की सुविधा करवाई है लेकिन बस स्टैंड के अभाव में

प्रोपर ढंग से न तो सिटी बस चल पा रही हैं और न ही ट्रांसपोर्ट की कोई और व्यवस्था हो पा रही है । राजीव चौंक पर जिस बस स्टैंड का माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है, उसका तीन–चार साल पहले टैंडर भी हो गया था और हाऊसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन उसको बना भी रहा था लेकिन किसी कारण से वह भी रोक दिया गया । आज गुरूग्राम शहर में ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है वह बहुत दयनीय हो चुकी है । अब पूरे शहर में ट्रांसपोर्ट का एक मात्र माध्यम केवल थ्री व्हीलर्ज ही बचे हुए हैं और उन थ्री व्हीलर्ज में से भी डीजल के थ्री व्हीलर्ज को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बन्द किया हुआ है लेकिन फिर भी डीजल वाले थ्री व्हीलर्ज शहर में चल रहे हैं । इन्हीं थ्री व्हीलर्ज के भरोसे शहर के लोग आ जा रहे हैं । वहां ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था चल रही है । अतः माननीय मंत्री जी कृपा यह बताएं कि राजीव चौंक पर जो इंटरस्टेट बस स्टैंड बनना था जिसको बनाने का ठेका पहले हाऊसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन को दिया गया था । उसकी क्या स्थिति है ? इसके अलावा जो नया बस स्टैंड बनाने की योजना है वह कब तक बन जाएगी ?

श्री राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, उमेश जी ने ठीक चिंता प्रकट की है। सबसे पहले गुरूग्राम में वर्ष 1960 में सैक्टर 12 में एक बस अड्डा बना था जिसको कंडैम घोषित किया जा चुका है लेकिन बावजूद इसके यह अभी भी आपरेशनल है। इससे आगे बढ़ते हुए मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वर्तमान में गुरूग्राम सिटी बस सर्विस का 106 बसों का एक बहुत बड़ा बेडा है। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से राजीव चौक के पास नैशनल हाइवे के उपर बनने वाले इंटरस्टेट बस स्टैंड बनाने के बारे में प्रश्न किया है, के जवाब में मैं बताना चाहूंगा कि इस बस स्टैंड के इंट्रस्ट एक्सप्रैशन के लिए विज्ञापन दिया गया था और अभी डिपार्टमैंट ने इस संबंध में एम.ओ.यू. भी साईन किया है। इस बस अड्डे को पी.पी.पी. मोड पर बनाया जायेगा। जहां तक सैक्टर 36 में सिही के पास बस स्टैंड बनाने की बात है तो इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस बस स्टैंड के निर्माण के लिए एच.एस.आई.आई.डी.सी से 15 एकड़ जमीन 17 करोड़ रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से ले ली गई है और बजट में भी इस कार्य के लिए 255 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अगर संक्षेप में कहूं तो इन दोनों बस अड्डों के निर्माण के लिए बजट में प्रावधान किया गया है और जल्द ही इनके उपर काम प्रारम्भ करने वाले हैं।

.....

To Upgrade the 33 K.V. Power Sub-Station

***2889. Shri Kehar Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the 33 K.Vpower sub-station of the village Bahin and Utawar of Hathin Constituency; and

(b) If so, the time by which it is likely to be upgraded togetherwith the details thereof?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : (क) तथा (ख) नहीं, श्रीमान्।

श्री केहर सिहः आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, हमारे हथीन में स्थित बिजली के बड़े ट्रांसफार्मर से बहीन में स्थित 33 के.वी. क्षमता के सब स्टेशन को पॉवर जाती है लेकिन हथीन से बहीन को जाने वाली जो बिजली की लाईन है वह बहुत ही जर्जर हो चुकी है इसलिए जब लाईन ही खराब है तो बताईये किस प्रकार से बहीन तक वह बिजली पहुंच पायेगी? जिन गांवों में इस लाईन के द्वारा बिजली दी जाती है वहां पर जर्जर हो चुकी बिजली की लाईन की बदोलत महज डेढ़ घंटे तक ही बिजली उपलब्ध हो पाती है। अतः उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हथीन से बहीन के 33 के.वी. क्षमता के सब स्टेशन को जाने वाली बिजली की लाईन को जल्द से जल्द बदल दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने इस संबंध में चीफ साहब से भी बात की थी उन्होंने मुझे बताया है कि अगर यह लाईन ठीक हो जाती है तो वे इस 33 के.वी. क्षमता के सब स्टेशन के माध्यम से हमारे यहां के तीनों फीड़रों को ज्यादा से ज्यादा बिजली उपलब्ध करा सकते है। उपाध्यक्ष महोदया, इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि उटावड़ जिसको बहीन के 33 के.वी. क्षमता के सब स्टेशन के साथ अटैच किया हुआ है, इसके लिए अलग से 33 के.वी. क्षमता के सब–स्टेशन की व्यवस्था की जाये क्योंकि यहां की आबादी बहुत बड़ी है और बहीन सब स्टेशन से जुड़ा होने की वजह से यहां पर ऐसे हालात बने हैं कि यहां के लोगों को तीन या चार दिन में एक बार बिजली नसीब हो पाती है। अतः मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र की इस समस्या की तरफ ध्यान देते हुए जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाते हुए, लोगों को राहत प्रदान करने का काम किया जाये।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, मैने उनको नोट कर लिया है मैं इस संबंध में विभाग से जरूर बात करूंगा।

.....

Construction Work of Mini Secretariat

***2915. Shri Mool Chand Sharma :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state the time by which the construction work of Mini Secretariat in Ballabhgarh is likely to be completed togetherwith the details thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी, लघु सचिवालय बल्लभगढ़ का निर्माण कार्य लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग, हरियाणा द्वारा निविदा आमंत्रण, जो कि दिनांक 14–02–2019 को जारी किया गया है, करने उपरांत आरम्भ किया जाएगा। निर्माण की अवधि लगभग अठारह माह है।

श्री मूल चन्द शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ठ हूं।

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है।

.....

तारांकित प्रश्न संख्या 2909

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय, माननीय सदस्य श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया सदन में उपस्थित नहीं थे।)

.....

Construction of Western Bye Pass

***2874. Shri Jagbir Singh Malik** : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state the status of construction of Western Bye Pass of Gohana city together with the details thereof?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : श्रीमान जी, सरकार द्वारा गोहाना में 7.5 कि0मी0 लम्बाई के पश्चिमी बाई–पास के निर्माण की 238.54 करोड़ रुपये की राशि की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। स्वीकृत रास्ते के अनुसार भूमि का प्रबंध करने के उपरांत कार्य को शुरू किया जाएगा।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, यह प्रोजैक्ट कागजों से बाहर निकला, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी कांग्रेस सरकार ने इस प्रोजैक्ट की एलाइनमैंट भी कर दी थी। क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रोजैक्ट की एलाइनमैंट चेंज हुई है या फिर वही है और इसका टैंडर कब तक होगा?

श्री नरबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इस प्रोजैक्ट के लिए लगभग 117 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। जब जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा हो जाएगा उसी दिन से इस बाई–पास की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, इस काम के लिए कब तक जमीन अधिग्रहण हो जाएगी और कब इसकी टैंडर की प्रक्रिया शुरू होगी?

श्री नरबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इस काम के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है और जल्दी ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

.....

Share of Central Government Under Manohar Jyoti Scheme

***2880. Smt Kiran Chaudhry :** Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether it is a fact that Centre has reduced its share from Rs. 15000 to Rs. 7000 per beneficiary under Manohar Jyoti Scheme;

(b) whether it is also a fact that an amount of Rs. 23.00 crore has lapsed due to above said reduction of Central Share; and

(c) the district wise details of the beneficiaries under the said scheme since its implementation?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक राज्य मंत्री (डॉ0 बनवारी लाल) :

(क) तथा (ख) नही, श्रीमान जी ।

(ग) इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2019–20 में राज्य की धनराशि से किया जाएगा तथा जिलावार सम्भावित लाभार्थियों की सख्या निम्न तालिकानुसार होगी।

क्रमांक	जिले का नाम	लक्ष्य (संख्या)
1	अम्बाला	505
2	पंचकुला	265
3	यमुनानगर	530
4	कुरुक्षेत्र	430
5	कैथल	460
6	करनाल	660
7	पानीपत	530
8	सोनीपत	620
9	रोहतक	460
10	झज्जर	420
11	फरीदाबाद	815
12	पलवल	385
13	गुरुग्राम	740
14	नूह	365
15	रेवाड़ी	400
16	महेन्द्रगढ़	390
17	भिवानी	611
18	जीन्द	570
19	हिसार	2315
20	फतेहाबाद	1470
21	सिरसा	917
22	दादरी	282
कुल		14140

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, 'मनोहर ज्योति योजना' हरियाणा में बड़े जोर–शोर से शुरू की गई थी लेकिन सच्चाई यह है कि इस योजना का पैसा पूरी तरह से डूब गया है और इसकी सब्सिडी घटा दी गई है। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के दोनों भागों का उत्तर 'ना' में दिया है। उपाध्यक्ष महोदया, 1 लाख परिवारों को सोलर सिस्टम देने के लिए आश्वासन दिया गया था। माननीय मंत्री जी सदन में बताने की कृपा करें कि अभी तक कितने परिवारों को सोलर सिस्टम दिया गया है? 23 करोड़ रुपये की ग्रांट केन्द्र सरकार से मिलनी थी और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वह ग्रांट लैप्स नहीं हुई है। अगर यह ग्रांट लैप्स नहीं हुई है तो केन्द्र सरकार द्वारा प्रति लाभार्थी 15 हजार रुपये की सब्सिडी को घटाकर 7 हजार रुपये प्रति लाभार्थी क्यों कर दिया गया है, इस बात को भी माननीय मंत्री जी सदन में बताने की कृपा करें? केन्द्रीय हिस्से में प्रति लाभार्थी सब्सिडी घटाने से 23 करोड़ रुपये की राशि जो लैप्स हुई है, इस बात को भी माननीय मंत्री जी सदन में बताएं? उपाध्यक्ष महोदया, यह बात अखबारों में छपी है और फिर माननीय मंत्री जी कहेंगे कि अखबारों में गलत छपा होता है।

डॉ0 बनवारी लाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूँ कि सब्सिडी कम नहीं हुई है वह 15 हजार रुपये ही है। उपाध्यक्ष

महोदया, जो केन्द्र सरकार की स्कीम थी वह दिनांक 16.03.2018 तक पूरी करनी थी, लेकिन बीच में कुछ टैंडर वगैरह की कमी के कारण पूरी नहीं हो सकी। उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हम 15 हजार रुपये की सब्सिडी प्रति लाभार्थी को देते रहेंगे। हाई पावर्ड परचेज कमेटी में इसका टैंडर हो भी गया है।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, इसका मतलब यह हुआ कि 15 हजार रुपये की सब्सिडी जो केन्द्र सरकार ने देनी थी वह नहीं दी गई है।

डॉ0 बनवारी लाल : उपाध्यक्ष महोदया, 'मनोहर ज्योति योजना' खत्म कर दी गई है और यह 'सौभाग्य योजना' में कंवर्ट हो गई है।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, क्या यह 'मनोहर ज्योति योजना' खत्म कर दी गई है? यह योजना माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नाम से है। यह बहुत बढ़िया योजना है और सरकार ने इसको खत्म कर दी है।

डॉ0 बनवारी लाल : उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार लाभार्थियों को 15 हजार रुपये के हिसाब से ही सब्सिडी देगी।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न है कि इस योजना में स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से कितनी सब्सिडी दी जा रही है और सैंटर्ल गवर्नमैंट की तरफ से कितनी सब्सिडी दी जा रही है ?

डॉ. बनवारी लाल : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा कहना है कि योजना का नाम कंवर्ट होने से बैनीफिशरी को कोई लोस नहीं हुआ है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार ने 1 लाख परिवारों को सोलर सिस्टम देने का वादा किया था लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर पाई । इसका मतलब है कि इस योजना को गम्भीरता से नहीं लिया गया । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री डॉ. बनवारी लाल जी माननीय सदस्या के प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं । अतः उनको सदन में पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. बनवारी लाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने माननीय सदस्या के प्रश्न का उत्तर दे दिया है और हम पूरी तैयारी के साथ ही सदन में आये हैं ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या के प्रश्न का माननीय मंत्री डॉ. बनवारी लाल जी ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है । उपाध्यक्ष महोदया, मुझे इस अवसर पर एक शेर याद आ रहा है –

समन्दर खारा है, खारा ही रहने दो,
उसमें शक्कर मिलाने की कोशिश मत करो ।
कुछ लोग समझना नहीं चाहते,
उनको समझाने की कोशिश मत करो,
इनको बेसमझा ही रहने दो ।

Hon'ble Deputy Speaker Madam, Dr. Banwari Lal is a very competent Doctor. He is prepared to answer the question. हमें पता है कि माननीय सदस्या किरण चौधरी जी पूर्व सरकार में पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर रही हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय शिक्षा मंत्री जी को कंसर्न्ड मैटर पर ही बात करनी चाहिए । अगर वे मेरे प्रश्न पर कोई स्पष्टीकरण देते तो ज्यादा बेहतर होता । (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऑनरेबल मिनिस्टर ने बड़ी ही स्पष्टता से जवाब दिया है । वह स्कीम केन्द्र सरकार की थी और अब वह कन्वर्ट हो गई है । उस स्कीम से कॉमन मैन/कंज्यूमर/बैनीफिशरी को जितनी सब्सिडी पहले मिलती थी अब भी उतनी ही सब्सिडी मिलेगी । इससे उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है । (शोर एवं व्यवधान)

.....

To include the Villages in Ballabhgarh Sub-Division

***2939. Shri Tek Chand Sharma:** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to include 9 villages (Bhanakpur, Kabulpur, Ladhiapur, Auli, Zakopur, Bijopur, Firozpur Kalan, Sikrona, Karnera) in Ballabhgarh sub-division/tehsil; if so, the time by which these are likely to be included ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : नहीं श्रीमान् जी।

श्री टेक चन्द शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से सप्लीमैंट्री क्वैश्चन पूछना चाहता हूं लेकिन उससे पहले आप सदन में हो रहे शोर को बंद करवाइये । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. बनवारी लाल : उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : कादियान जी, आप चुप हो जाइये क्योंकि अब दूसरा क्वैश्चन चल रहा है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री टेक चन्द शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, कादियान जी तो सदन में सारा दिन बोलते रहते हैं । अब मेरा क्वैश्चन लगा हुआ है, इसलिए अब इन्हें चुप होकर बैठना चाहिए । मेरा क्वैश्चन कल भी नहीं लग पाया था । (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य कादियान जी सदन में अपने प्रश्न पर 15–15 मिनट्स तक बोलते रहते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : टेक चन्द जी, आप कंटीन्यू कीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री टेक चन्द शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न है कि क्या हम सदन में अपने इलाके की बात न उठायें ? हम लोग पिछली बैंचिज पर बैठे हैं तो क्या हमको आगे की बैंचिज पर बैठने वाले मैम्बर्स बोलने नहीं देंगे ? (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य कादियान साहब हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं । इनका सदन में इस तरह से बोलना ठीक नहीं है । कादियान जी हरियाणा विधान सभा के सीनियर लीडर हैं तो क्या ये हमारा हक मारेंगे ? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : टेक चन्द जी, आप कंटीन्यू कीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री टेक चन्द शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं कादियान साहब को बताना चाहता हूं कि हमारा हक मारने का अधिकार किसी को नहीं है । ये सदन में बेमतलब ही बोलते रहते हैं । इस समय मेरा प्रश्न लगा हुआ है । इनको बाद में अपनी बात कह लेनी चाहिए लेकिन प्रश्न काल में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदया, मुझको जान–बूझकर दिस्टर्ब किया जा रहा है ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : टेक चन्द जी, आप कंटीन्यू कीजिए । कादियान जी, अब दूसरा क्वैश्चन चल रहा है, इसलिए आप बैठें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री टेक चन्द शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, इस समय मेरा प्रश्न लगा हुआ है और कादियान साहब बीच में बोल रहे हैं । मेरा इनसे कहना है कि ये बजट पर चर्चा के समय अपनी बात रख लें । (शोर एवं व्यवधान)

11:00 बजे

उपाध्यक्ष महोदयाः सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। टेक चन्द शर्मा जी अपना क्वैश्चन पूछेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री टेक चन्द शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य रिप्लाई नहीं देने तक खड़े ही रहेंगे।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्री टेक चन्द शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है परन्तु कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य बीच में बोलकर मेरा टाईम खराब कर रहे हैं। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदयाः सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। माननीय सदस्य श्री टेक चन्द शर्मा जी अपना क्वैश्चन पूछेंगे।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः टेक चन्द जी, आप अपना क्वैश्चन पूछें क्योंकि प्रश्न काल समाप्त होने में सिर्फ 4 ही मिनट का समय बचा हुआ है।

श्री टेक चन्द शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, मेरा क्वैश्चन तो पूरा होना ही चाहिए क्योंकि कांग्रेस के माननीय सदस्य आधे–आधे घंटे तक बोलते रहते हैं और हम उनकी बात सुनते हैं। अब जब मैं मेरे हल्के की बात रख रहा हूं तो वे बीच में बोलकर मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, सरकार के माननीय मंत्री जी कविता सुनाते रहते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्री टेक चन्द शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, हम भी कांग्रेस के माननीय सदस्यों की कविता सुनते रहते हैं और ये आधे घंटे तक बोलते रहते हैं। (विघ्न) विपक्ष के माननीय सदस्य बीच में बोलकर मुझे अपने हल्के की बात नहीं रखने दे रहे हैं। (विघ्न) वर्ष 2007 में डिलिमिटेशन हुई थी और वर्ष 2009 में मेरी कांस्टीच्युंसी का पहला इलैक्शन हुआ था। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, वर्ष 2007 में डिलिमिटेशन होने के बाद 3 नयी विधान सभा की सीटें बनायी गयी थी जिसमें

पृथला को भी विधान सभा की सीट बनाया गया था। पृथला हल्के के गांवों को 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया गया था जिसमें 40 प्रतिशत गांव पलवल जिले में और 60 प्रतिशत गांव फरीदाबाद जिले में शामिल किये गये थे। वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद गोच्छी नयी उप तहसील, दयालपुर उप तहसील और बड़खल को सब डिवीजन बनाया गया। तिगांव विधान सभा क्षेत्र में एक नया बी.डी.पी.ओ. ऑफिस बनाया गया। इस प्रकार से 4 नये बी.डी.पी.ओ. ऑफिस, दो उप तहसील और एक सब डिवीजन बनायी गयी। मेरे विधान सभा क्षेत्र पृथला के 7 गांवों को तिगांव विधान सभा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है, जब तिगांव में नया बी.डी.पी.ओ. ऑफिस बनाया गया तो उसमें जुनैदा, बुखारपुर, नवादा, मुजैड़ी, शाहजापुर, शाहुपुरा गांवों को जोड़ दिया। इसके बाद जब बड़खल सब डिवीजन बनी तो मेरे क्षेत्र के जो 9 गांव पहले बल्लभगढ़ में शामिल थे, अब उन 9 गांवों (बिजौपुर, भनकपुर, कबूलपुर, जकोपुर, फिरोजपुर कलां, सिकरोना, करनेरा, लधियापुर और औली) को बड़खल सब डिवीजन में शामिल कर दिया गया है। भौगोलिक दृष्टि से इन गांवों के लोगों को अपने कामों के लिए पहले बल्लभगढ़ में आना पड़ता है, उसके बाद ही बड़खल जाना पड़ता है परन्तु वहां से इन गांवों की कोई कनैक्टिविटी नहीं है। डिलिमिटेशन कमेटी के साथ–साथ गांवों को जोड़ने के लिए माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है। मेरे हल्के के गांवों की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए मेरी गुजारिश है कि इन गांवों को दोबारा से उसी जगह में जोड़ दिया जाए। इन गांवों का सराउंडिंग एरिया जिस सब डिवीजन में पड़ता है, उसी में शामिल कर दिया जाए क्योंकि लोगों को आने–जाने में परेशानी होती है। पहले भी गांवों को जोड़ने के लिए एडजैस्टमैंट की गयी हैं। यह कांस्टीच्युंसी बनने के बाद हमारे क्षेत्र में 4 नयी चीजें बनायी गयी हैं जिसमें फरीदाबाद जिले में गोच्छी उप तहसील, जारपुर उप तहसील, तिगांव में बी.डी.पी.ओ. ऑफिस और बड़खल में सब डिवीजन बनायी गयी है। इसके बाद भौगोलिक दृष्टि से इस कांस्टीच्युंसी का मामला टेढ़ा हो गया है। इस तरह के चेंजिज पहले भी होते रहे हैं इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि मेरे हल्के के इन गांवों को दोबारा वही पर जोड़ा जाए।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्री मूल चन्द शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, अभी माननीय सदस्य श्री टेक चन्द शर्मा जी ने जो कहा है वह बात बिल्कुल ठीक कही है। मेरा विधान सभा क्षेत्र बल्लभगढ़

पुरानी सब डिवीजन है परन्तु वहां के कुछ पार्टस को बड़खल में जोड़ दिया गया है जिसमें मुंजेसर, संजय कालोनी और 22–23 सैक्टर्ज शामिल हैं। ये बल्लभगढ़ के ही पार्टस हैं परन्तु इनको भी बड़खल सब डिवीजन में जोड़ दिया गया है। इन गांवों को बड़खल सब डिवीजन से क्यों जोड़ा गया है ?

श्री ललित नागरः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। प्रश्नकाल का समय समाप्त होने में सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है।

श्री ललित नागरः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, मैं सिर्फ एक ही बात में सभी माननीय सदस्यों के सवालों का रिप्लाई दे दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री विपुल गोयलः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्री ललित नागरः उपाध्यक्ष महोदया, मैं भी इसी विषय पर माननीय मंत्री जी से अपनी बात पूछना चाहता हूं इसलिए मुझे भी बोलने के लिए समय दिया जाए। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, श्री टेक चन्द शर्मा जी का सवाल, श्री मूल चन्द शर्मा और श्री ललित नागर जी की सप्लीमैंट्री और माननीय मंत्री श्री विपुल गोयल जी भी जो क्वैश्चन रेज करना चाहते हैं, उन सभी सवालों का एक ही जवाब है कि गांवों के चेंजिज करवाने के लिए माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी की अध्यक्षता में एक रि–आर्गेनाईजेशन कमेटी बनायी गयी है। अभी माननीय सदस्य श्री टेकचन्द शर्मा जी ने सवाल किया है कि उनके हल्के के 9 गांव बल्लभगढ़ तहसील में शामिल किए जाएं। अगर इन गांवों को बल्लभगढ़ में शामिल किया जाएगा तो गोच्छी उप तहसील में सिर्फ 4 ही गांव रह जाएंगे जिसके कारण वह उप तहसील वायबल नहीं रहेगी। भविष्य में पूरी स्टेट में कोई भी सदस्य अगर अपने क्षेत्र के गांवों को किसी उप तहसील, तहसील, सब डिविजन और डिस्ट्रिक्ट्स में चेंज करवाना चाहता है तो वह सभी बाते संबंधित कमेटी के सामने रख सकता है और सरकार ने कमेटी को अधिकृत किया हुआ है कि वह इस बारे में शीघ्र ही निर्णय करे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री टेक चन्द शर्मा: उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। इसलिए सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं।

श्री टेक चन्द शर्मा: उपाध्यक्ष महोदया, मेरे हल्के के 9 गांवों को वापिस बल्लभगढ़ में ही शामिल किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

.....

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों की लिखित उत्तर

Order of Special Audit

***2960. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state:-

(a) Whether Special Audit of Haryana Livestock Development Board was ordered by A.G.(Audit) during the year 2016-17; and

(b) If so, the findings of the special audit and the action taken by the Government?

कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : (क) और (ख) नहीं, महोदय।

.....

To Develop Herbal Park

***2957. Shri Balkaur Singh** : Will the Forest Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop Herbal Park in Kalanwali Assembly Constituency?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान जी।

.....

Basic Amenities in Industrial Area

***2952. Shri Pirthi Singh :** Will the Industries and Commerce Minister be pleased to State whether there is any proposal under consideration of

the Government to provide basic amenities in Industrial area of Narwana City; if so, the details thereof?

उद्योग एवं वाणिज्य मन्त्री (श्री विपुल गोयल) : हॉ श्रीमान जी, हरियाणा सरकार की राज्य औद्योगिक अवसंरचना एवं विकास योजना के अन्तर्गत 24.25 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत के साथ औद्योगिक सम्पदा नरवाना में सीमेंट कन्क्रीट रोड़, सीवरेज सिस्टम, स्ट्रोम वॉटर ड्रेनेज सिस्टम, ट्रीटिड वेस्ट वाटर रीसाईकलिंग, होर्टिकल्चर तथा स्ट्रीटलाईटिंग सिस्टम की मूलभूत सुविधाओं के उन्नयन का प्रस्ताव है।

.....

Release of Polluted Water in Ghaggar River

***2979. Shri Ram Chand Kamboj :**

Shri Balwan Singh Daulatpuria: Will the Environment Minister be pleased to state

(a) Whether it is a fact that contaminated water of factories is released in the Ghaggar river; and

(b) If so, the steps taken by the Government to save the Ghaggar river from pollution together with the details thereof?

उघोग एवं वाणिज्य मंत्री (श्री विपुल गोयल) : (क) हां, श्रीमान जी ।

(ख) घग्गर नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(i) हरियाणा ऐसे 199 उद्योगों /इकाइयों की पहचान की गई है जोकि 4.1 एमएलडी अपशिष्ट जल उत्पन्न कर रहे हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से घग्गर नदी में छोड़ रहे हैं। सभी उद्योगों ने अपने गन्दें पानी को छोड़ने से पहले, इसके उपचार के लिए बहिस्राव उपचार संयंत्र स्थापित किए हुऐ हैं।

(ii) राज्य ने घग्गर नदी में प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की है और घग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यन्वित किया जा रहा है । कार्य योजना का उदेश्य वर्ष 2021 के अन्त तक घग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना है ।

(iii) राज्य सरकार ने हरियाणा में घग्गर नदी के साथ लगते हुए 08 जिलों अर्थात् पंचकूला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, हिसार और सिरसा के लिए

दिनांक 29.08.2018 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय विशेष कार्यदल और संबंधित उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिलास्तरीय कार्यदल गठित किया है ।

(iv) उद्योगों का निरन्तर निरीक्षण किया जाता है और दंड प्रक्रिया जैसे कि, बंद करना और उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों / उघोगों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की जाती है । अब तक बोर्ड द्वारा पांच उद्योगों को बंद किया गया है । 12 उद्योगों के मामले में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अभियोजन कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है ।

(v) इसके अलावा 16 उद्योगों को अवैध रूप से हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति के बिना काम करते पाया गया है और इसलिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बंद कर दिया गया है ।

(vi) नए सीवेज उपचार संयंत्रों/सामूहिक अपशिष्ट जल उपचार संयन्त्रों की स्थापना की जा रही है, घग्गर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले कस्बों या शहरों में सीवेज नेटवर्क बिछाया जा रहा है तथा ठोस कचरे, खतरनाक अपशिष्ट, बायो मेडिकल कचरा, और ई–कचरा के निपटान के लिए प्रबंधन लागू किया जा रहा है ।

(vii) वृक्षारोपण के लिए उप–योजना भी कार्यान्वित की जा रही है और जल कुशल कृषि पद्धतियों के लिए परियोजनाएं सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं ।

(viii) घग्गर नदी में मिलने वाले नालों की सम्बन्धित एजेंसियों / विभागों द्वारा सफाई की जा रही है और गाद निकाली जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Repair of Road

761. Shri Pirthi Singh : Will the Agriculture Minister be pleased to state whether it is a fact that the road from Ujhana to Dundwa is in very bad condition; if so, the time by which it is likely to be repaired?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : जी हां, श्रीमान्; इस सड़क की मरम्मत का कार्य 31.08.2019 तक पूरा होने की संभावना है।

.....

To Solve the Problem of Water Accumulation in Schools

788. Shri Parminder Singh Dhull: Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that water accumulated in Schools of Julana Assembly Constituency during the flood in year 2018; if so, the details of Schools thereof togetherwith the steps taken by the Government to check the abovesaid problem ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हाँ, श्रीमान् जी। यह सही है कि जुलाना विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र के 16 विद्यालयों (सूची संलग्न) के प्रांगण में वर्श 2018 में आई बाढ़ के दौरान जल भराव हुआ था। इस सम्बन्ध मे जिला प्रशासन तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के संयुक्त प्रयास से मोटर–पम्पों के द्वारा विद्यालयों के प्रांगण में भरा हुआ पानी निकाल दिया गया था।

सूची

विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र जुलाना में वर्श 2018 मे बाढ़ के दौरान जिन विद्यालयों में जलभराव हुआ उनका विवरण निम्नानुसार है–

क्रमांक	विद्यालयों के नाम
1	राजकीय वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय नन्दगढ़
2	राजकीय वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय लजवाना कलां
3	राजकीय वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेगढ़
4	राजकीय वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय सामलो कलां
5	राजकीय वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय डिगानां
6	राजकीय वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय गतोली
7	राजकीय वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय गढवाली खेड़ा
8	राजकीय कन्या वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय सामलो कलां
9	राजकीय उच्च विद्यालय गतौली
10	राजकीय कन्या उच्च विद्यालय डिगानां
11	राजकीय कन्या उच्च विद्यालय निदाना
12	राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय डिगानां
13	राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिरसा खेड़ी
14	राजकीय प्राथमिक विद्यालय लजवाना खुर्द
15	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बुरा डेहर
16	राजकीय प्राथमिक विद्यालय डिगानां

To Supply Canal of Drinking Water

776. Shri. Pirthi Singh : Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state:-

(a) Whether it is a fact that water of tube wells installed at water works in village Kharal in Narwana is not fit for drinking; and

(b) Whether it is also a fact that the rivulet supplying canal water to the above said water works is damaged; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to supply canal water to above said water works through underground pipeline togetherwith the time by which the above said proposal is likely to be materialized?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डॉ0 बनवारी लाल) : (क) नहीं श्रीमान जी। (ख) नहीं श्रीमान जी।

.....

Total Amount of Compensation

789. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state the district wise and season wise amount of compensation disbursed by the Government to the farmers for their crop losses in the State from November, 2014 till to date togetherwith the district wise details of the total amount of compensation pending for crop losses in the State ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी, वितरित और लम्बित मुआवजा राषि की सूचना सदन के पटल पर रखी है।

सूचना

श्रीमान जी, राज्य मे जिलावार तथा सीजनवार वितरित/लम्बित मुआवजा राशि का नवम्बर, 2014 से अब तक का **विवरण निम्न प्रकार से है–**

क्र0 स0	जिले का नाम	सीजन/वर्श का नाम	सरकार द्वारा वितरित मुआवजा	कुल वितरित राषि	लम्बित राषि
1.	अम्बाला	रबी 2014	81,25,000/-	**2,73,99,572/-**	-
		रबी 2015	1,92,74,572/-		-

		खरीफ 2018	-		**13,77,41,926/-**
2.	भिवानी	खरीफ 2014	69,21,49,875/-	**302,97,74,636/-**	-
		रबी 2015	99,45,59,934/-		-
		खरीफ 2015	1,11,23,31,754/-		-
		रबी 2016	12,40,56,094/-		-
		रबी 2017	10,57,90,230/-		5,72,61,270/-
		खरीफ 2018	8,86,749/-		48,23,89,231/-
			-		**53,96,50,501/-**
3.	चरखी दादरी	रबी 2018	--	**-**	1,31,63,219/-
		खरीफ 2018	1,36,57,131/-	**1,36,57,131/-**	2,64,61,369/-
			-	**-**	**3,96,24,588/-**
4.	फतेहाबाद	रबी 2015	1,07,55,528/-	**136,67,46,360/-**	-
		खरीफ 2015	115,95,99,095/-		-
		रबी 2016	19,59,01,447/-		-
		रबी 2017	4,90,290/-		-
5.	फरीदाबाद	रबी 2015	23,19,32,954/-	**23,21,98,428/-**	-
		खरीफ 2018	2,65,474/-		**2,72,046/-**
6.	गुरूग्राम	रबी 2015	63,99,12,588/-	**63,99,12,588/-**	-
7.	हिसार	खरीफ 2013	6,44,41,112/-	**412,23,76,045/-**	-
		रबी 2014	80,05,82,809/-		-
		खरीफ 2014	25,04,75,999/-		-
		रबी 2015	95,10,00,247/-		-
		खरीफ 2015	1,97,39,16,915/-		-
		रबी 2017	1,38,05,419/-		-
		खरीफ 2018	6,81,53,544/-		**24,23,14,956/-**
8.	जीन्द	खरीफ 2013	2,76,80,397/-	**226,25,55,444/-**	-
		खरीफ 2014	20,22,47,603/-		-
		रबी 2015	51,80,01,876/-		-
		खरीफ 2015	130,13,04,816/-		-
		रबी 2016	5,49,45,673/-		-
		खरीफ 2017	15,83,75,079/-		1,53,73,921/-
		खरीफ 2018	-	**-**	9,20,59,500/-
			-	**-**	**10,74,33,421/-**
9.	झज्जर	खरीफ 2013	6,17,97,454/-	**43,65,07,150/-**	-
		रबी 2015	37,19,19,021/-		-
		खरीफ 2018	27,90,675/-		**7,38,36,325/-**
10.	करनाल	रबी 2015	12,83,71,146/-	**12,88,57,981/-**	9,54,437/-
		खरीफ 2018	4,86,835/-		46,684/-
			-		**10,01,121/-**
11.	कैथल	रबी 2015	42,47,87,392/-	**64,50,95,062/-**	4,68,77,481/-

		खरीफ 2015	21,86,98,582/-		3,61,98,418/-
		रबी 2017	9,26,625/-		14,47,875/-
		खरीफ 2018	6,82,463/-		1,72,909/-
					8,46,96,683/-
12.	कुरूक्षेत्र	रबी 2015	17,08,14,960/-	**17,08,14,960/-**	-
		खरीफ 2018	-		**95,58,181/-**
13.	महेन्द्रगढ	रबी 2014	27,41,34,665/-	**157,38,28,453/-**	-
		रबी 2015	129,96,93,788/-		-
14.	नूंह	रबी 2014	4,43,78,875/-	**21,78,98,533/-**	-
		रबी 2015	17,35,19,658/-		-
15.	पानीपत	रबी 2015	6,60,38,123/-	**6,60,38,123/-**	-
		खरीफ 2018	-		**4,32,973/-**
16.	पंचकुला	रबी 2015	6,26,483/-	**6,26,483/-**	-
17.	पलवल	रबी 2014	30,000/-	**182,35,07,514/-**	-
		रबी 2015	182,30,57,715/-		-
		रबी 2016	1,78,889/-		-
		रबी 2017	41,040/-		
		रबी 2018	1,99,870/-		**2,07,685/-**
18.	रिवाडी	रबी 2015	61,45,50,492/-	**61,59,77,656/-**	34,30,123/-
		रबी 2017	14,27,164/-		97,156/-
		खरीफ 2018	-		1,93,40,000/-
					2,28,67,279/-
19.	रोहतक	खरीफ 2013	2,78,31,603/-	**91,01,03,951/-**	-
		रबी 2014	27,08,357/-		-
		रबी 2015	86,93,97,370/-		-
		खरीफ 2018	1,01,66,621/-		**9,70,25,281/-**
20.	सिरसा	रबी 2015	22,57,37,889/-	**273,79,49,756/-**	
		खरीफ 2015	250,01,27,697/-		
		रबी 2016	1,20,84,170/-		**47,76,330/-**
21.	सोनीपत	खरीफ 2013	2,12,11,183/-	**39,72,57,135/-**	-
		रबी 2014	2,97,71,348/-		-
		रबी 2015	34,62,74,604/-		-
		खरीफ 2018	-		**3,25,34,867/-**
22.	यमुनानगर	रबी 2015	5,77,40,730/-	**10,75,29,413/-**	
		खरीफ 2018	4,97,88,683/-		**5,54,46,817/-**
कुल				**2152,66,12,374/-**	**144,94,20,980/-**

To Prevent Cancer Disease

777. Shri Pirthi Singh : Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that the cases of cancer is on rise due to consumption of underground contaminated water in village Kharal in Narwana Assembly Constituency; if so, the steps taken by the Government to prevent the above said disease ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी।

.....

नियम–15 के अधीन प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं–

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम '' सभा की बैठकें '' के उपबन्धों से मुक्त किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम '' सभा की बैठकें '' के उपबन्धों से मुक्त किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है –

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम '' सभा की बैठकें '' के उपबन्धों से मुक्त किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

.....

नियम–16 के अधीन प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं–

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है –

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

उपाध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज–पत्र रखेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): उपाध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित कागज–पत्र सदन के पटल पर रखता हूं–

> हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 की धारा 17 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2017–2018 के लिए हरियाणा लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट।
>
> भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार की वर्ष 2015–2016 के लिए शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के लेखों पर स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग हरियाणा की वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

विभिन्न मामले उठाना/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना

श्री जाकिर हुसैनः उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूं।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुलः उपाध्यक्ष महोदया, मैं भी एक जरूरी बात कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदयाः जाकिर हुसैन जी और परमेंद्र सिंह ढुल जी आप दोनों आपस में डिसाइड कर लें कि पहले कौन बोलेंगे।

श्री जाकिर हुसैनः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारा प्रश्न यह था कि मेवात में यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए और शिक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि अगर हमें यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन दी जाती है तो हम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए तैयार हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ग्राम पंचायत, नांगल मुबारिकपुर 110 एकड़ पंचायती जमीन देने के लिए तैयार है और उन्होंने वहां पर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को प्रस्ताव भी भेजा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज इस बजट सत्र का आखिरी दिन है और ये मेवात जिले के लिए यह तोहफा देने की घोषणा करें और मैं इस प्रस्ताव की एक–एक कॉपी मंत्री जी और रिकॉर्ड के लिए दे देता हूं।

श्री परमेंद्र सिंह ढुलः उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इंडस्ट्रीज एण्ड कॉमर्स मिनिस्टर जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा और मैं यह भी चाहूंगा कि वे मेरी बातों को मान भी लें। दि हरियाणा रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन ऑफ सोसायटीज एक्ट, 2012 के तहत फर्म्ज एण्ड सोसायटीज के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए दिनांकः 31.12.2018 अंतिम तिथि रखी गई थी। मैं बताना चाहूंगा कि उनमें लाखों ऐसी फर्म्ज एण्ड सोसायटीज हैं, जो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाई थीं और उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा था कि 25 दिन तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की साइट बंद रही थी। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे सारी सोसाटीज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है और उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने से उनके साथ–साथ स्टेट को भी फायदा होगा। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि सोसायटीज की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि

कम–से–कम दिनांक 31.03.2019 तक बढ़ा दी जाए, ताकि फर्म्ज एण्ड सोसायटीज अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सके।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री (श्री विपुल गोयल): उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसके लिए मैं इनको बताना चाहूंगा कि हम उन सोसायटीज को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहले भी तीन बार एक–एक साल का एक्सटैंशन दे चुके हैं, लेकिन जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल 25 दिन तक बंद था तो हम 1 महीने के लिए उसकी तिथि बढ़ा देंगे।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा एक कॉलिंग–अटैंशन मोशन झज्जर के छारा गांव में भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर के तहत किसानों द्वारा धरना दिये जाने के बारे में था। उपाध्यक्ष महोदया, झज्जर के छारा गांव में हजारों लोग धरने पर बैठे हुए हैं। उन सबकी यही मांग है कि उनके साथ वाले गांव को 1 करोड़ 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया है जबकि उनके खुद के गांव के लिए केवल 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। वे बेचारे लोग सर्दी और बरसात में वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदया, उनको धरने पर बैठे हुए आज 8 दिन हो गए हैं। मुझे यह बताया गया था कि मेरा कालिंग अटैंशन मोशन सरकार के पास कमैंटस के लिए भेजा हुआ है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की तरफ से इस बारे में कमैंटस आ गये हैं क्योंकि अभी तक मेरे पास इसका जवाब नहीं आया है । उपाध्यक्ष महोदया, इसमें मेरे दो सवाल हैं, एक सवाल यह है कि श्री नितिन गडकरी जी से जब छारा गांव के लोग मिले थे तो उन्होंने उसका क्या जवाब दिया है, उसकी भी एक कॉपी मुझे रिटन में कमैंटस के साथ दी जाये । उपाध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा सवाल यह है कि उपायुक्त महोदय, झज्जर की अध्यक्षता में कम्पनसेशन की रिवीजन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त, झज्जर, उपमण्डल अधिकारी (ना.) बहादुरगढ़, जिला राजस्व अधिकारी झज्जर, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, झज्जर तथा जिला योजनाकार, झज्जर मैम्बर मनोनीत किए गए थे। मेरा आपके माध्यम से एक सबमिशन यह है कि उस कमेटी में फार्मर्ज़ का भी एक रिप्रजेंटेटिव होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदया : डॉ. कादियान जी, आपको इसका जवाब रिटन में दे दिया जायेगा।

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, ठीक है ।

श्री परमेंद्र सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने पैंशनर्ज़ की जैन्युन डिमांडस संबंधित एक कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था। पैशनर्ज़ की एसोसिएशन के कुछ मैम्बर्ज़ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे और उन्होंने उनको एक ज्ञापन भी दिया था कि हमारी पैंशन में पंजाब गवर्नमैंट की तर्ज पर 65 वर्ष की उम्र के बाद, 70 वर्ष की उम्र के बाद, 75 वर्ष की उम्र के बाद और 80 वर्ष की उम्र के बाद वृद्धि की जाए । उपाध्यक्ष महोदया, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 65 वर्ष की उम्र के बाद, 70 वर्ष की उम्र के बाद और 75 वर्ष की उम्र के बाद वृद्धि नहीं की जाएगी बल्कि पैंशन में एक ही बार 70 वर्ष की उम्र में वृद्धि की जाएगी। पैंशनर्ज़ एसोसिएशन के मैम्बर्ज़ ने कहा कि हमें यह बात मंजूर है तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विभाग द्वारा इस बारे में एक पत्र भी जारी करवाया था। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या पैंशनर्ज़ की पैंशन में 70 वर्ष की उम्र में वृद्धि की जायेगी ?

उपाध्यक्ष महोदया : परमेंद्र ढुल जी, इस कॉलिंग अटैंशन मोशन को डिसअलाउ कर दिया गया है ।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, सरकार द्वारा समय–समय पर हरियाणा प्रदेश के छात्रों के लिए योजना बनाने का काम किया जाता है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार अनाउंस भी किया है और इस बारे में परिवहन मंत्री जी ने भी कहा है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस बारे में यह भी कहना चाहूंगी कि हरियाणा प्रदेश में छात्रों के लिए बसों की उचित व्यवस्था न होने के कारण छात्रों की आये दिन मौतें होती रहती हैं। हरियाणा प्रदेश के छात्र चाहे वह नेहरू कॉलेज के छात्र हों, चाहे वह झज्जर के छात्र हों, चाहे बिरोहड़ के छात्र हों, चाहे बहु के छात्र हों या प्रदेश के किसी भी कॉलेज या आई.टी.आई. के छात्र हों, ये सभी छात्र बसिज़ की उचित व्यवस्था न होने के कारण ज्यादातार सड़कों पर जाम लगाते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं जानना चाहूंगी कि अब तक कितनी बसें, कितने बेड़े, कितनी एक्स्ट्रा बसिज़ की व्यवस्था विशेष तौर पर हमारे एजुकेशनल इन्स्टीच्यूट्स के छात्रों के लिए की गई है? उपाध्यक्ष महोदया, आज छात्र अपने आपको काफी अनसेफ महसूस कर रहे हैं। प्रदेश में जहां भी एजुकेशनल इस्टीच्यूट्स हैं, एक तो वहां किसी भी प्रकार का निशान नहीं लगाया जाता है कि आगे एजुकेशनल इन्स्टीच्यूट्स है। हमने इस बारे में भी कई बार मांग की है कि खास तौर पर जो नैशनल हाईवेज़ हैं, वहां पर स्पीड ब्रेकर नहीं बने होते हैं, जिसके कारण number of accidents are going on.

My request is that आप हमें यह जरूर बता दें कि जहां भी हमारे एजुकेशनल इन्स्टीच्यूट्स हैं, उनमें खासतौर से लड़कियों के लिए कितनी बसिज़ की व्यवस्था की गई हैं क्योंकि कई बार देखने और सुनने में आता है कि बसिज़ की उचित व्यवस्था न होने की वजह से लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले रजिस्टर्ड होते रहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके बारे में जरूर बताया जाये कि अब तक कितनी बसिज़ कितने रूट्स पर लगाई गई हैं?

.....

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

जिला पलवल के क्षेत्र तथा पूरे राज्य में स्वाइन फ्लू के फैलने से संबंधित

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री करण सिंह दलाल, विधायक द्वारा पलवल जिले के कई क्षेत्रों में एवं पूरे प्रदेश में स्वाइन फ्लू फैलने बारे एक ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 37 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। श्री जय तीर्थ, विधायक तथा दस अन्य विधायकों (श्री जयवीर सिंह, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री कुलदीप शर्मा, श्री ललित नागर, श्री उदय भान, डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, श्री आनंद सिंह दांगी, श्री श्रीकृष्ण, श्री करण सिंह दलाल तथा श्री जगबीर सिंह मलिक) द्वारा भी प्रदेश में स्वाइन फ्लू फैलने बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 26 दी गई है । समान विषय का होने के कारण मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 26 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 37 के साथ जोड़ दिया है । उपरोक्त सभी विधायकों को इस पर सप्लीमैंट्री पूछने की अनुमति दी जाती है । श्री रणबीर गंगवा, विधायक तथा श्री जाकिर हुसैन, विधायक द्वारा भी प्रदेश मे स्वाइन फ्लू फैलने बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 38 दी गई है । समान विषय का होने के कारण मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 38 को भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 37 के साथ जोड़ दिया है, उपरोक्त इन दोनों विधायकों को भी इस पर सप्लीमैंट्री पूछने की इजाजत दी जाती है। अब श्री करण सिंह दलाल, विधायक अपनी सूचना पढ़े । **(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)**

Shri Karan Singh Dalal: Speaker Sir, I want to draw the kind attention of this august House towards a matter of an urgent and great public importance that spreading of Swine Flu in the area of Palwal District and in the whole of State causing large number of deaths and patients are not

being admitted in Government Hospitals and as a result going to Private Hospitals for treatment. Government is not paying any attention. I request the Government to make a statement in this regard.

CALLING ATTENTION NOTICE NO.26
BRACKETED WITH CALLING ATTENTION NOTICE NO.37

Shri Jai Tirath, MLA, Shri Jaiveer, MLA, Smt. Geeta Bhukkal, MLA, Shri Kuldip Sharma, MLA, Shri Lalit Nagar, MLA, Shri Udai Bhan, MLA, Dr. Raghuvir Singh Kadian, MLA, Shri Anand Singh Dangi, MLA, Shri Sri Krishan Hooda, MLA, Shri Karan Singh Dalal, MLA and Shri Jagbir Singh Malik, MLA want to draw the kind attention of this august House towards a matter of an urgent and great public importance that the swine flu situation in Haryana seems to be assuming worrying proportions with 14 positive cases being reported every day on an average in the State. It's starting to look like another virulent winter for swine flu in Haryana. A significant increase has been registered in the number of swine flu cases at the PGIMS, Rohtak. Since reporting the first case on December 22, the count has ballooned to 443 cases for an average of 11 to 14 cases a day. In the corresponding period last year, 61 cases were reported, but the mortality was a lot higher at seven deaths. Hisar tops with 146 cases followed by Bhiwani 77, Faridabad 53 and Rohtak 50. In Gurugram Health Department has reported 109 confirmed cases and 2 deaths. A death each was reported from Hisar and Fatehabad. The Health Department is hiding the total number of deaths reported due to swine flu. Two swine flu deaths were in Yamuna Nagar alone and two others in Ambala, which were not reported by Health Department. One of the worst affected District in Haryana is Faridabad where, on the campus of the National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics (NACIN) alone, nine trainee Officers have tested positive for H1N1. According to sources in the Faridabad Health Department, 13 other patients with symptoms are under watch. As many as 23 cases of swine flu have been reported in Health Minister's home

District- Ambala this year as per the figures of Health Department. It is very alarming position and the Health Department should take it very seriously and should take some effective steps to prevent it from spreading.

Therefore, they request the Government to clarify as to what steps have been taken to tackle swine flu and what further measures are being taken to control the swine flu spurt in the State.

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 38
स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 37 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 38 के द्वारा श्री रणबीर गंगवा, विधायक एवं श्री जाकिर हुसैन, विधायक ने इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के जिलों में स्वाइन फ्लू के करीब 150 मामले सामने आए हैं । ये मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन है जिनमें से करीब 24 लोगों की मौत हो चुकी है। हिसार और हांसी में 150 मरीजों में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए है जिसमें से गर्भवती महिला समेत 9 लोगों की मौत स्वाइन फ्लू के कारण हुई है । भिवानी में 2 लोगों की मौत हुई है । गुरूग्राम में लगभग 100 से अधिक स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं । बढ़ते स्वाइन फ्लू के कारण प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : स्पीकर सर, मैं इस कालिंग अटैंशन पर अपना जवाब पढ़ना शुरू करूं उससे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि इंफ्लुएंजा ए एच. 1एन.1 को स्वाइन फ्लू कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, वैसे स्वाइन फ्लू से कई बार ऐसा इम्प्रैशन जाता है कि ये सुअरों से होता है। मैं इस सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह ओरिजिनेट तो सुअरों से हुआ था लेकिन अब ये मैन–टू–मैन फैलता है इसलिए हैल्थ विभाग में इसका नाम एच.1एन.1 है।

मैं, राज्य में इन्फ्लुएंजा ए एच1एन1 (स्वाइन फ्लू) के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस सदन के माननीय सदस्य को धन्यवाद

देना चाहूंगा। हम लगातार इन्फ्लुएंजा ए एच1एन1 (स्वाइन फ्लू) मामलों के त्वरित और प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रयास कर रहे हैं।

- इन्फ्लुएंजा ए एच1एन1 एक नया इन्फ्लुएंजा वायरस है, जोकि लोगों में बीमारी पैदा करता है।
- इन्फ्लुएंजा ए एच1एन1 वायरस का संचरण संक्रमित व्यक्ति के श्वसन स्त्राव में मौजूद होता है, जिससे कि यह उस व्यक्ति के छीकने से निकलने वाली बून्दों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होता है।
- हाथ मिलाने और गले मिलने के बजाए नमस्ते बोलने से, खांसते तथा छिंकते समय अपने मुहॅ व नाक पर हाथ या रूमाल रखने से, हाथों को तुरन्त धोने से, जिन व्यक्तियों में यह लक्षण हैं उनसे दूरी बनाये रखने से, मूॅह, चेहरे व नाक को हाथों से ना छु कर इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है।
- हरियाणा राज्य में 1 जनवरी, 2018 से 17 फरवरी, 2019 तक कुल 813 मामले दर्ज हुए, जबकि पड़ोसी राज्यों जैसे कि राजस्थान में 5883, दिल्ली में 2483, उत्तर प्रदेश में 721 मामले दर्ज हुए।
- हरियाणा राज्य में 1 जनवरी, 2018 से 17 फरवरी, 2019 तक कुल 14 मृत्यु दर्ज हुई, जबकि पड़ोसी राज्यों जैसे कि राजस्थान में 348, उत्तर प्रदेश में 17, पंजाब में 42 तथा हिमाचल में 29 मृत्यु के मामले दर्ज हुए हैं।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार उपचार प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है और स्वाइन फ्लू के मामलों को उनकी गम्भीरता के आधार पर श्रेणी ए, बी और सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

श्रेणी ए

- ➢ शरीर में दर्द, सिरदर्द, दस्त और उल्टी के साथ या इसके बिना, हल्के बुखार के साथ गले में खांसी/खराश के रोगी। **औसैल्टामीविर और एच1एन1 परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।**

श्रेणी बी

- ➢ श्रेणी–ए के तहत उल्लेखित सभी संकेतों और लक्षणों के अलावा, यदि रोगी को उच्च ग्रेड बुखार और गंभीर गले में खराश है, तो घर में अलगाव और उसे ओसेल्टामिविर की आवश्यकता हो सकती है। **एच1एन1 के लिए कोई परीक्षण आवश्यक नहीं है।**

श्रेणी सी

- ➢ श्रेणी–ए और बी के उपरोक्त संकेतों और लक्षणों के अलावा, सांस की तकलीफ, सीने में दर्द, उनींदापन, रक्तचाप में गिरावट, रक्त के साथ बलगम, नाखूनों का नीलापन। इन **सभी रोगियों को परीक्षण, तत्काल अस्पताल में भर्ती और उपचार की आवश्यकता है।**

हरियाणा सरकार द्वारा स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है:–

- हरियाणा के सभी जिलों में कुल 222 (**79 सरकारी** तथा 143 निजी क्षेत्र) अलगाव वार्डों की पहचान की गई है।
- सभी जिलों में कुल 618 (**41 सरकारी** तथा 577 निजी क्षेत्र) वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं।
- इन्फ्लूएंजा ए एच1एन1(स्वाईन फ्ल्यू) पर नियंत्रण पाने हेंतु क्या करना चाहिए व क्या नही करना चाहिए सहित आवश्यक सावधानियों के बारे में लोगों का मार्ग दर्शन करनें बारे 4 प्रचलित समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए गए हैं।
- जिलों द्वारा कुल 345500 पैम्पफल्टस का वितरण तथा 365 होरडिंगस लगाए जा चुके हैं।
- निजी अस्पताल, चिकित्सकों और आई0एम0ए0 को सिविल सर्जनों के माध्यम से संदिग्ध नमूने भेजने के लिए निर्देशित किया गया है। ऐसा करने पर निम्नलिखित प्रभाव पाए गये हैं।
    - ➢ तत्काल रिर्पोटिंग (72 घण्टे) के अर्न्तगत सुनिश्चित की गई है।
    - ➢ सकारात्मक मामलों का तत्काल प्रबन्धन किया जा रहा है।
    - ➢ निकट सम्पर्क को तत्काल प्रोफिलैक्सिस दी जा रही है।
- इन्फ्लूएंजा–ए एच1एन1 (स्वाईन फ्ल्यू) लॉजिस्टिक का पर्याप्त स्टॉक हरियाणा के सभी जिलों द्वारा रखा गया है।
- दिंनाक 02/01/2019 को अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) द्वारा एक विडियो कान्फ्रैंस की गई, जिसमें हरियाणा के सभी सिविल सर्जनों को इन्फ्लूएंजा–ए एच1एन1 (स्वाईन फ्ल्यू) मामलों के प्रबंधन की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
- इन्फ्लूएंजा ए एच1एन1(स्वाईन फ्ल्यू) के मामलों के प्रबन्धन के लिए **छुट्टियों और रविवार सहित सप्ताह के सभी दिनों** में ओ0पी0डी0 को कार्यात्मक बनाया गया है।
- बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष और महिला) द्वारा ग्राम स्तर तक बुखार सर्वेक्षण किया जा रहा है।

अंत में, मैं यह दोहराना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग स्वाईन फ्लू बीमारी का उपचार एंव रोकथाम करने के लिये पूरी तरह सतर्क है तथा स्वाईन फ्लू की कठोर निगरानी नियंत्रण और रोकथाम के लिये महामारी विज्ञान जॉच, पर्याप्त दवाओं का प्रावधान, निजी चिकित्सकों की भागीदारी, अलगाव वार्डों की सुविधा सुनिश्चित करना तथा लोगों में जागरूकता जैसे कदम उठाये गये हैं।

श्री करण सिंह दलालः स्पीकर सर, सर्वप्रथम मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि हमारे सदन के पूर्व विधायक डॉ. अशोक कश्यप के बारे में हमने अखबारों में पढ़ा है कि स्वाइन फ्लू से उनकी मौत हुई है। हम सभी विधायकों ने पूरे प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली है और जो अधिकारियों का गैर–जिम्मेदाराना रवैया है उससे सरकार को अवगत करवाया है। आज स्वाइन फ्लू के रोगी को पी.एच.सी., सी.एच.सी. और सरकारी अस्पतालों में सही ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है क्योंकि वहां पर न तो डॉक्टर्ज हैं और न ही कोई दवाई है इसलिए लोगों को मज़बूर होकर प्राईवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। प्राईवेट अस्पतालों में उनसे भारी–भरकम बिल चार्ज़ किये जाते हैं। जब इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की जाती है तो कोई भी अधिकारी जिम्मेदाराना तरीके से जवाब नहीं दे पाता है। अध्यक्ष जी, यह बड़े अफसोस की बात है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब देते हुये धन्यवाद किया है कि हमने ये बात इनके संज्ञान में लाई है। लेकिन मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि अपने विभाग के अधिकारियों से शायद इनकी बात नहीं हुई है। पिछले दिनों जब पलवल जिले में और आस–पड़ौस के इलाकों में स्वाइन फ्लू से मरीज लगातार परेशानियों में इधर–उधर भटक रहे थे, सरकारी अस्पतालों में कोई उनकी सुनता नहीं था जिसके कारण मजबूरी में उनको प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाना पड़ता था। उस समय मैंने डायरेक्टर, एन.एच.एम. जो कि कोई महिला थी, उनसे फोन पर बात करने की बहुत कोशिश की कि आपके विभाग के जो हॉस्पिटल्स गांवों और शहरों में हैं और जो ई.एस.आई. डिस्पैंसरीज हैं उनमें स्वाइन फ्लू से निपटने की जो सुविधाएं हैं वे गरीब आदमियों को क्यों नहीं मिलती हैं लेकिन उस अधिकारी का रवैया ही ठीक नहीं था, उन्होंने मेरा टेलीफोन ही नहीं उठाया। उसके बाद मैंने स्वास्थ्य विभाग के ए.सी.एस. से बात की कि आपके अधिकारियों की यह हालत है कि मैं उनको फोन कर रहा हूं और वे फोन नहीं उठा रही हैं। ए.सी.एस. महोदय ने कहा कि यह गलत बात है, मैं उनको अभी कहता हूं। उस बात को तीन दिन हो

चुके हैं लेकिन आज तक कोई जवाब उस अधिकारी की तरफ से नहीं आया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मंत्री जी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। एक तरफ सरकार अधिकारियों से कहती है कि अगर विधायक आपके पास आते हैं तो आप उनके सम्मान में खड़े हो जाएं, उनके टेलीफोन सुनें और उनको प्राथमिकता दें और दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी हैं जो विधायक से बात करने के लिए फोन पर भी नहीं आते हैं। स्वास्थ्य जैसे विभाग की आज यह हालत हो गई है कि लोग मरने लग रहे हैं। एक पूर्व विधायक की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है। कल पलवल में भी तीन आदमियों की स्वाइन फ्लू से मौत हुई है। अपने लिखित जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि स्टेट में 41 सरकारी तथा 577 प्राईवेट कुल 618 वैंटीलेट्र्स उपलब्ध हैं। सर, सवाल वैंटीलेट्र्स का नहीं है बल्कि सवाल बीमारी फैलने का है। कभी चिकन गुनिया, कभी डेंगू और अब यह स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां क्यों फैलती हैं? प्रदेश में यह वातावरण क्यों बिगड़ रहा है? इसी प्रकार से खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण भी बीमारियां पनप रही हैं। आज जिन सरकारी डॉक्टर्स का यह काम है कि वे खाने–पीने की चीजों को, मसालों को चैक करें वे चैक नहीं कर रहे हैं और उन सभी ने होटलों और ढाबे वगैरह पर मंथली बांधी हुई है। आज उन्होंने पैसे लेकर बाजार में नकली खाद्य पदार्थों को बेचने की सरेआम इजाजत दी हुई है। विभाग का अब एक ही धंधा बना हुआ है कि जो कांट्रैक्चुअल कर्मचारी लगे हुये हैं उनको हटाओ।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आप स्वाइन फ्लू पर अपनी बात रखें, आप तो कांट्रैक्चुअल कर्मचारियों की बात करने लग गये हैं।

श्री करण सिंह दलालः स्पीकर सर, सर्वप्रथम मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि हमारे सदन के पूर्व विधायक डॉ. अशोक कश्यप के बारे में हमने अखबारों में पढ़ा है कि स्वाइन फ्लू से उनकी मौत हुई है। हम सभी विधायकों ने पूरे प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली है और जो अधिकारियों का गैर–जिम्मेदाराना रवैया है उससे सरकार को अवगत करवाया है। आज स्वाइन फ्लू के रोगी को पी.एच.सी., सी.एच.सी. और सरकारी अस्पतालों में सही ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है क्योंकि वहां पर न तो डॉक्टर्स हैं और न ही कोई दवाई है इसलिए लोगों को मज़बूर होकर प्राईवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। प्राईवेट अस्पतालों में उनसे भारी–भरकम बिल चार्ज़ किये जाते हैं। जब इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की जाती है तो कोई भी अधिकारी जिम्मेदाराना तरीके से

जवाब नहीं दे पाता है। अध्यक्ष जी, यह बड़े अफसोस की बात है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब देते हुये धन्यवाद किया है कि हमने ये बात इनके संज्ञान में लाई है। लेकिन मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि अपने विभाग के अधिकारियों से शायद इनकी बात नहीं हुई है। पिछले दिनों जब पलवल जिले में और आस–पड़ौस के इलाकों में स्वाइन फ्लू से मरीज लगातार परेशानियों में इधर–उधर भटक रहे थे, सरकारी अस्पतालों में कोई उनकी सुनता नहीं था जिसके कारण मजबूरी में उनको प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाना पड़ता था। उस समय मैंने डायरेक्टर, एन.एच.एम. जो कि कोई महिला थी, उनसे फोन पर बात करने की बहुत कोशिश की कि आपके विभाग के जो हॉस्पिटल्स गांवों और शहरों में हैं और जो ई.एस.आई. डिस्पैंसरीज हैं उनमें स्वाइन फ्लू से निपटने की जो सुविधाएं हैं वे गरीब आदमियों को क्यों नहीं मिलती हैं लेकिन उस अधिकारी का रवैया ही ठीक नहीं था, उन्होंने मेरा टेलीफोन ही नहीं उठाया। उसके बाद मैंने स्वास्थ्य विभाग के ए.सी.एस. से बात की कि आपके अधिकारियों की यह हालत है कि मैं उनको फोन कर रहा हूं और वे फोन नहीं उठा रही हैं। ए.सी.एस. महोदय ने कहा कि यह गलत बात है, मैं उनको अभी कहता हूं। उस बात को तीन दिन हो चुके हैं लेकिन आज तक कोई जवाब उस अधिकारी की तरफ से नहीं आया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मंत्री जी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। एक तरफ सरकार अधिकारियों से कहती है कि अगर विधायक आपके पास आते हैं तो आप उनके सम्मान में खड़े हो जाएं, उनके टेलीफोन सुनें और उनको प्राथमिकता दें और दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी हैं जो विधायक से बात करने के लिए फोन पर भी नहीं आते हैं। स्वास्थ्य जैसे विभाग की आज यह हालत हो गई है कि लोग मरने लग रहे हैं। एक पूर्व विधायक की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है। कल पलवल में भी तीन आदमियों की स्वाइन फ्लू से मौत हुई है। अपने लिखित जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि स्टेट में 41 सरकारी तथा 577 प्राईवेट कुल 618 वैंटीलेट्र्स उपलब्ध हैं। सर, सवाल वैंटीलेट्र्स का नहीं है बल्कि सवाल बीमारी फैलने का है। कभी चिकन गुनिया, कभी डेंगू और अब यह स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां क्यों फैलती हैं? प्रदेश में यह वातावरण क्यों बिगड़ रहा है? इसी प्रकार से खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण भी बीमारियां पनप रही हैं। आज जिन सरकारी डॉक्टर्स का यह काम है कि वे खाने–पीने की चीजों को, मसालों को चैक करें वे चैक नहीं कर रहे हैं और उन सभी ने होटलों और ढाबे

वगैरह पर मंथली बांधी हुई है। आज उन्होंने पैसे लेकर बाजार में नकली खाद्य पदार्थों को बेचने की सरेआम इजाजत दी हुई है। विभाग का अब एक ही धंधा बना हुआ है कि जो कांट्रैक्चुअल कर्मचारी लगे हुये हैं उनको हटाओ।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आप स्वाइन फ्लू पर अपनी बात रखें, आप तो कांट्रैक्चुअल कर्मचारियों की बात करने लग गये हैं।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वाइन फ्लू के बारे में ही बता रहा हूं कि विभाग रिश्वत लेकर के नई–नई भर्ती करने में लगा हुआ है लेकिन बीमारी और इलाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । मंत्री जी, यह बहुत सीरियस मुद्दा है । आपने जो रिपोर्ट मंगवाई है वह तो आपने पढ़कर सुना दी है ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप अपना प्रश्न पूछें ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह मेरी सप्लीमैंट्री है ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, यह सप्लीमैंट्री नहीं है । यह तो पूरा भाषण है । प्लीज आप बैठ जाइए ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : दलाल साहब, आप मुझसे 50 सप्लीमैंट्री पूछ लेना और मैं 50 का जवाब दे दूंगा लेकिन पहले आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दे लेने दें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह स्वाइन फ्लू की बीमारी महामारी का रूप न ले ले इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी को इसकी रोकथाम के लिए गम्भीरता से कदम उठाने चाहिए । जहां–जहां यह बीमारी फैल रही है और यदि वहां डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए । जिन मरीजों का इलाज प्राईवेट होस्पिटल्ज में हो रहा है उनको भी सरकार द्वारा आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान की जानी चाहिए । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे ऐसा करेंगे ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य सदन को बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं । जिस विधायक की मृत्यु हुई है अब तक उनका काज ऑफ डैथ कोई निश्चित नहीं हुआ है और न ही अब तक कोई टैस्ट हुए हैं । उनकी कल एक प्राईवेट होस्पिटल में मृत्यु हुई है और करण सिंह दलाल जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि उनको स्वाइन फ्लू हुआ है । इस प्रकार से ये

पूरे प्रदेश को भ्रमित करने का काम करते हैं । दूसरी बात यह है कि ये बड़े लम्बे समय से विधायक हैं । ये मेरे साथ भी विधायक रहे हैं तब तो हमारी अच्छी दोस्ती थी । ये मंत्री भी रहे हैं लेकिन इनको ये ज्ञान नहीं है कि जो अस्पतालों का प्रबंधन है वह एम.डी.एन.एच.एम. के पास नहीं होता है । वह डी.जी.एच.एस. के पास होता है । अब ये रोंग नम्बर पर डायल करेंगे तो इनको ठीक जवाब कहां से मिलेगा । इनको डी.जी.एच.एस. से बात करनी चाहिए थी तभी इनको डी.जी.एच.एस. इस बारे में बताते । फिर भी अगर किसी मैंबर को कोई तकलीफ है और वह हमें बताता है तो हम उसका स्वागत करते हैं ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जब विभाग के फाईनैंशियल कमिश्नर को ही नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ये इस प्रकार से भ्रांतियां पैदा करने की कोशिश करते हैं । अब ये स्वाइन फ्लू के बारे में बता रहे हैं कि सैम्पल चैक कीजिए । मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनसे स्वाइन फ्लू नहीं फैलता ? अब इनको कुछ पता तो है नहीं कि किस चीज से स्वाइन फ्लू फैलता है । मैंने शुरू में ही बता दिया है कि स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वह शुरू तो सुअर से ही हुआ था । उसमें यह नहीं है कि हर सुअर खाने वाले को स्वाइन फ्लू हो जाता है या जो सुअर के सम्पर्क में आ रहा है उसी को ही यह स्वाइन फ्लू हो रहा है । अब इसका वायरस वायुमंडल में व्याप्त है । जब तापमान गिरता है तो यह वायरस सारे विश्व में एक्टीवेट हो जाता है । यह वायरस हमारे साथ लगते राजस्थान राज्य में बहुत भयंकर रूप से एक्टीवेट हुआ है । स्वाइन फ्लू के ज्यादा केसिज राजस्थान राज्य के साथ लगते जिलों से आए हैं ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सीरियस मैटर है । इसके प्रति मंत्री जी गम्भीर नहीं हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, मंत्री जी तो गम्भीर हैं, लेकिन आप गम्भीर नहीं हैं ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अमित शाह को भी स्वाइन फ्लू है और अब उनके बाद इनका नम्बर आ सकता है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, प्लीज आप बैठिए ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, बाकी बीमारियों की बचपन में वैक्सीनेशन हो जाती है और लाइफटाईम के लिए सेफगार्ड हो जाता है लेकिन स्वाईन फलू के लिए अब तक कोई लाइफटाईम वैक्सीन नहीं बनी है और हर साल इसके लिए नई वैक्सीन बनती है जोकि केवल साल भर के लिए ही उपयोग में लाई जा सकती है। इसका कारण यह है कि स्वाइन फलू का वायरस हर साल अपना रूप बदल लेता है और यही कारण है कि जैसे–जैसे यह वायरस अपना रूप बदलता है, उसके मुताबिक ही नई वैक्सीन बनानी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अभी इस बीमारी की वजह से जितनी भी डैथ्स हुई हैं उनमें से तीन ऐसे केसिज हैं जोकि सरकारी हस्पताल के हैं बाकी सारे केसिज प्राईवेट हस्पतालों के हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे सरकारी हस्पतालों में जो भी मरीज आया हमने उनका पूरी तरह से उपचार किया और ठीक करने के उपरांत ही उनको उनके घर भेजा। इस बीमारी के जो टैस्ट होते हैं उनके लिए हर जगह लैब नहीं हैं इसलिए इस बीमारी से संबंधित सैंपलों को पी.जी.आई. रोहतक या पी.जी.आई. चंडीगढ़ टैस्ट के लिए भेजा जाता है। यह टैस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने सभी प्राईवेट संस्थानों को यह हिदायत जारी कर रखी हैं कि जब तक हम कंफर्म न करें तब तक वे किसी बीमारी को स्वाइन फलू डिक्लेयर नहीं करेंगे। अगर प्राईवेट अस्पतालों के पास कोई इस प्रकार के केसिज आते हैं तो प्राईवेट अस्पताल उन सैंपलों को हमारे पास भेजते हैं और हम सिविल सर्जन के माध्यम से पी.जी.आई. रोहतक व पी. जी.आई. चंडीगढ़ में इन सैंपलों को टैस्ट के लिए भेजते हैं। जब रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद मरीज का इलाज किया जाता है। वैसे अमूमन देखा जाये तो स्वाइन फलू की बीमारी के लिए एक ही मुख्य **मैडिसन** है जिसका नाम टेमीफलू है। यह मैडिसन हमारे सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में सुलभ है। अगर किसी मरीज को यह बीमारी फाईनली डिटैक्ट हो जाती है अर्थात यह कंफर्म हो जाता है कि किसी व्यक्ति को एच–1 या एन–1 हो गया है तो उस व्यक्ति के पूरे परिवार के सदस्यों को टेमीफलू की मैडिसन दी जाती है क्योंकि इस बीमारी के प्रोटोकोल में बताया गया है कि परिवार के किसी एक सदस्य को इस बीमारी के होने के पश्चात उसके सारे परिवार के सदस्यों को यह मैडिसन दी जानी चाहिए। सरकार ने बहुत अच्छी तरह से इस बीमारी पर रोक लगाने के लिए सारे इंतजाम किए हैं और पब्लिसिटी की है और यही कारण है कि हमारा इस बीमारी का जो रेट प्रतिशत है वह अन्य राज्यों की अपेक्षा हरियाणा प्रदेश में बहुत कम हैं।

हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष महोदय की पत्नी तथा बच्चों का अभिनंदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): माननीय सदस्यगण, श्रीमती सुनीता जी जोकि हमारे अध्यक्ष महोदय, श्री कंवर पाल जी की धर्मपत्नी हैं, अपने बच्चों सहित सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन की वी.आई.पी. गैलरी में मौजूद हैं। मैं अपनी तरफ से तथा पूरे सदन की तरफ से इन सभी का यहां पधारने पर अभिनन्दन करता हूँ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, the matter is very serious and it should be taken as serious also. अति महत्वपूर्ण स्वाईल फलू के गंभीर मुद्दे को मजाक में उड़ाने की बजाय इस पर बहुत गहनता से संज्ञान लेने की जरूरत है। आज प्रदेश में जो स्वाईन फलू एच–1 तथा एन–1 का जो मैटर है उसको सरकार की तरफ से गंभीरता से लिए जाने की बहुत जरूरत है। मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि इस बीमारी की वजह से ज्यादातर जो डैथ्स हुई हैं वह प्राईवेट अस्पताल में हुई हैं तो मैं इस परिपेक्ष्य में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जैसाकि सरकारी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के संबंध में 79 अलगाव वार्डो का आंकड़ा बताया गया है और प्राईवेट हस्पतालों में 143 अलगाव वार्डों का आंकड़ा दर्शाया गया है इससे एक चीज सामने निकलकर आती है कि जिस प्रकार से प्राईवेट अस्पतालों में इस बीमारी के केसिज की संख्या ज्यादा है उससे साफ पता चलता है कि सरकारी अस्पतालों में इस बीमारी की ट्रीटमैंट करने के लिए सुविधायें उपलब्ध नहीं है और न ही इस तरह के मरीजों के लिए सैपरेट वार्ड्ज उपलब्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं जिस बात का जिक्र कर रही हूँ यह मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि जो स्वाईन फ्लू के 443 केसिज हैं जोकि एक दिन में 11 से 14 केसिज बनते है अर्थात् an average of 11 to 14 cases a day. इस बीमारी से ग्रस्त जिलों में फरीदाबाद सबसे हाईस्ट है जहां पर an average of 7 death इस बीमारी की वजह से हो रही हैं। इसके बाद Hisar tops with 146 cases followed by Bhiwani 77 cases, Faridabad 53 cases, Rohtak 50 cases and in Gurugram the health department has reported 109 confirmed cases including 2 deaths इसलिए मेरी रिक्वैस्ट यह है कि चाहे हमारे यहां एक भी डैथ स्वाइन फलू की वजह से होती है तो भी इस तरह के

हालात में हमें अपने राज्य को किसी दूसरे राज्य से कंपेयर नहीं करना चाहिए और प्रदेश की सरकार को तथा हैल्थ डिपार्टमैंट को इस बीमारी को गंभीरता से लेते हुए काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अम्बाला में भी इस बीमारी से 2 डैथ्स हो चुकी हैं तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो डैथ्स हुई हैं, क्या स्वाइन फ्लू के ये पेशेंट प्राईवेट हस्पताल में भर्ती थे? प्राईवेट हस्पताल में भर्ती थे तो इसका मतलब यह है कि सरकारी हस्पताल में इस बीमारी के इलाज की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार इस बीमारी की वजह से एक डैथ फरीदाबाद में हुई और यमुनानगर में भी 2 डैथ्स हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, आप यह जानकर हैरान होंगे कि अकेले National Academy of Customs Indirect Taxes and Narcotics के 9 ट्रेनी आफिसर्ज ऐसे मिले हैं जिनमें एच–1 तथा एन–1 स्वाईन फलू के पोजिटिव लक्षण पाये गए हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि टेमीफ्लू की दवा हमारे पास है और अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से भी यह बात कही गई है। अध्यक्ष महोदय, क्या इस बारे में कोई जानकारी विशेष तौर पर ग्रामीण एरिया में दी गई है? क्योंकि ग्रामीण एरिया में सुअरों की संख्या और गंदगी के ढेर ज्यादा लगे रहते हैं, इसलिए वहां पर यह बीमारी ज्यादा फैलती है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगी कि चाहे वह एयर–पोर्ट हो, चाहे बस–स्टैण्ड हो यानि जहां पर ज्यादा लोगों का आवागमन रहता हो वहां पर सरकार की तरफ से इस तरह की बीमारियों से बचाव के लिए क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं? अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से हमारा विधान सभा का बजट सत्र चल रहा है और हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन है तो What type of strict surveillance of early detection has been done by the Health Department?

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, स्वाइन फ्लू के संबंध में जो आंकड़े दिए गए हैं, हम उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। मेरे फरीदाबाद में स्वाइन फ्लू के सैंकड़ों मरीज हैं और आन दि फ्लॉर ऑफ दी हाउस बताना चाहता हूँ कि फरीदाबाद में 14–15 डैथ्स स्वाइन फ्लू से हुई हैं जिनके घरों में मैं पर्सनली गया भी हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह कैसे कह सकते हैं कि फरीदाबाद में एक भी डैथ स्वाइन फ्लू के कारण नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे फरीदाबाद में 200 बैड का एक बादशाह खान सरकारी अस्पताल है। उस अस्पताल की हालत खस्ता है और उसमें गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। उस अस्पताल में केवल पांच ही वैंटीलेटर मशीने

हैं और न ही अस्पताल में स्वाइन फ्लू से संबंधित अलग से कोई इंतजाम है। स्वाइन फ्लू के मरीजों को कोई भी बादशाह खान सरकारी अस्पताल में लेकर नहीं जाना चाहता है। हमारे फरीदाबाद में मैट्रो अस्पताल, एस्कोर्ट अस्पताल आदि बड़े अस्पताल हैं और साथ में दिल्ली नजदीक होने कारण लोग वहां पर स्वाइन फ्लू के मरीजों को लेकर जाना पसंद करते हैं और वहीं पर मरीज का इलाज करवाते हैं। इस प्रकार से अगर मरीज की वहां पर डैथ हो जाती है तो उस मरीज का कोई भी लेखा–जोखा हरियाणा सरकार के पास नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अस्पतालों में सुधार करवायें, वैंटीलेटर की मशीनों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ायें, स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अलग से इंतजाम करवायें तथा अस्पतालों में दवाइयों का प्रबंध करवायें। सरकार को जिस प्राईवेट अस्पताल में स्वाइन फ्लू का मरीज जाता है उसका लेखा–जोखा रखना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में सुविधा न मिलने के कारण मरीज को बचाने के लिए लोग इधर–उधर प्राईवेट अस्पतालों में भागते हैं।

श्री अध्यक्ष : नागर जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा हुआ है कि अस्पतालों में दवाइयां पर्याप्त हैं। लोगों का सिर्फ एक विश्वास बना हुआ है कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज ठीक होता है।

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को अस्पतालों की दशा सुधारनी चाहिए। स्वाइन फ्लू के कारण चार दिन में ही मरीज की मौत हो जाती है। इस पर माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि चार दिन के अंदर स्वाइन फ्लू के लक्षण की लैब रिपोर्ट रोहतक व चण्डीगढ़ पी.जी.आई.एम.एस. से चैक होकर आती है। इस प्रकार से जब वह रिपोर्ट लैब से चैक होकर आती है उससे पहले ही मरीज की डैथ हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही खतरनाक बीमारी फैलती जा रही है, इसलिए इस स्वाइन फ्लू की बीमारी पर सरकार को कंट्रोल जरूर करना चाहिए।

Shri Kuldip Sharma: Hon'ble Speaker Sir, the Hon'ble Minister has stated that it has not been ascertained that Dr. Ashok Kashyap, former MLA from Indri had died due to Swine Flu illness. Dr. Ashok Kashyap, former MLA, was himself a Doctor and was being treated for Swine Flu. It does not lie in the mouth of the Minister to say here that it is yet to be ascertained as to how he died. It should have been ascertained by now how he died. My second supplementary is that for H1N1 treatment you

need isolation. How many isolation wards have been established in Haryana Government hospitals and even in the private hospitals also? It should be known. Thirdly, the figure of ventilators is 41 with the Government Hospitals whereas in the private hospitals, the figure is 577. Why the Government has not made arrangements for enough volume of ventilators seeing that H1N1 flu is spreading like anything. Why no arrangements have been undertaken so far.

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, आज के दिन स्वाइन फ्लू के पेशेंट्स को गवर्नमैंट हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं है । अगर किसी पेशेंट का किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा होता है तो उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गवर्नमैंट की तरफ से डायरैक्शन दी गई है कि किसी भी स्वाइन फ्लू के पेशेंट को इसके बारे में बताना नहीं है । हर दिन हॉस्पिटल्स की तरफ से पी.जी.आई., रोहतक और पी.जी.आई., चण्डीगढ़ को अनेक सैम्पल्स भेजे जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि हॉस्पिल्स की तरफ से जिन पेशेंट्स के सैम्पल्स पी.जी.आई. में भेजे जाते हैं उनमें से कितने पेशेंट्स की डैथ हो चुकी है ? अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जिन पेशेंट्स की डैथ हुई है उनसे उनके सैम्पल की रिपोर्ट को छुपाया जाता है । ऐसा इसलिए है क्योंकि गवर्नमैंट की तरफ से हॉस्पिटल को कहा गया है कि आपको किसी भी स्वाइन फ्लू के पेशेंट को लिखित रूप में यह नहीं बताना है कि उसे स्वाइन फ्लू है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर स्पष्टीकरण दें ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, सदन में शोक प्रस्ताव के माध्यम से जानकारी दी गई थी पूर्व विधायक डॉ. अशोक कश्यप गुजर गए हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनकी किस बीमारी की वजह से मृत्यु हुई है ? दूसरी बात, सदन में आइसोलेशन का जिक्र हुआ था । मैं माननीय मंत्री जी से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पूछना चाहूंगा कि सभी गवर्नमैंट एवं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में स्वाइन फ्लू के पेशेंट्स के लिए अलग से कितने कमरे रखे गए हैं ? माननीय मंत्री जी ने स्वाइन फ्लू से बचने के लिए सदन में कुछ प्वॉयंट्स बताए थे । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्वाइन फ्लू से बचने के लिए डिटेल में जानकारी देनी चाहिए । यह डिटेल्ड इंफर्मेशन प्रैस के माध्यम से हरियाणा के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचेगी तभी वे इस खतरनाक बीमारी से अपने आपको बचा पाएंगे ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, स्वाइन फ्लू एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीज को साँस लेने में तकलीफ होती है । इस बीमारी के मरीज के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण मशीन वैंटीलेटर होती है । हमारा राज्य काफी बड़ा है और इसके सरकारी संस्थानों में केवल 41 वैंटीलेटर्स हैं । अतः वैंटीलेट्र्स पर पेशेंट्स का काफी बोझ रहता है और मरीजों को समय पर वैंटीलेट्र्स खाली नहीं मिलते । इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंज में कुल 577 वैंटीलेट्र्स हैं । मैं सदन में बताना चाहता हूं कि अगर स्वाइन फ्लू का कोई पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाता है तो वहां पर उसे प्रतिदिन कई हजार रूपये खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि इसका इलाज काफी महंगा है । अब मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार स्वाइन फ्लू के पेशेंट्स को वैंटीलेटर का खर्च या किसी तरह की फाइनैंशियल एड देगी ?

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आपने सदन में बोलने के लिए माननीय सदस्य श्री श्रीकृष्ण हुड्डा को समय दिया है लेकिन माननीय सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक उनके स्थान पर बोलने के लिए खड़े हैं । मलिक साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब को न बोलने देकर खुद बोल रहे हैं । (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं डबल टाइम तक बोलूंगा क्योंकि हुड्डा साहब ने मुझे अपना समय भी दे दिया है । (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी क्वैश्चन आवर में कविता सुनाने लग जाते हैं । इनका निर्वाचन क्षेत्र महेन्द्रगढ़ इनकी कविता नहीं सुनना चाहता बल्कि इनका काम देखेगा । (विघ्न) मेरा कहना है कि यह हरियाणा विधान सभा का सैशन है । यह कोई कवि सम्मेलन नहीं है । (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पता नहीं माननीय सदस्य डॉ. साहब को कविता से इतनी नाराजगी क्यों है ? हम तो डॉ. साहब का इतना विज्ञापन करते रहते हैं कि he is Doctor from Choudhary Charan Singh Agriculture University, Hisar. ये बहुत काबिल व्यक्ति हैं और गांव दुबलधन के रहने वाले हैं।

श्री श्रीकृष्ण हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हम भी माननीय मंत्री प्रोफैसर साहब का बड़ा गुणगान करते हैं । इनमें तो ऐसी कला है कि ये झूठ भी बोलते हैं तो वह भी सच लगता है । इनमें यह कला है । माननीय सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक मेरी

तरफ से ही बोल रहे थे । इन्होंने जो बातें कही हैं वे सब सच हैं । सरकार की तरफ से स्वाइन फ्लू के पेशेंट्स का सही रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है । पेशेंट्स का हॉस्पिटल्स में सही तरीके से इलाज नहीं होता है और वे बेचारे वहीं पर बीमारी से मर जाते हैं । सरकार द्वारा स्वाइन फ्लू की बीमारी के इलाज के लिए कोई बात नहीं की गयी। सरकार द्वारा हॉस्पिटल्ज की स्थिति को सुधारा जाना चाहिए। सरकार को स्वाइन फ्लू के मरीजों को इलाज करवाने के लिए पैसे देने चाहिए और सरकार को स्वाइन फ्लू के मरीजों का इलाज करवाना चाहिए। प्राईवेट हॉस्पिटल्ज में स्वाइन फ्लू के कारण बहुत से मरीजों की मौत हो रही हैं परन्तु सरकार सो रही है। सरकार कह रही है कि माननीय सदस्य अपनी डिमांड्स रखें। सरकार काम ही नहीं कर रही है तो डिमांड्स रखने का क्या फायदा होगा ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दांगी जी, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जवाब दिया है कि सरकारी हॉस्पिटल्ज में 2 मरीजों की मौत हुई हैं और बाकी मौतें प्राईवेट हॉस्पिटल्ज में हुई हैं। इसका मतलब तो यह है कि इस प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य विभाग के हॉस्पिटल्ज पर कोई एतबार नहीं करना चाहिए क्योंकि इन हॉस्पिटल्ज का कोई भरोसा नहीं है। यह सच्चाई भी है। पहले खानपुर मैडिकल कॉलेज में 4,000 ओ.पी.डी. हुआ करती थी परन्तु अब यह संख्या घटकर 5,00 के करीब रह गयी है क्योंकि वहां पर डॉक्टर्ज नहीं हैं, दवाइयां नहीं हैं और टैस्टिंग की सुविधाएं भी नहीं हैं। इस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल हो चुका है। हरियाणा सरकार प्रदेश के 22 के 22 जिलों में मैडिकल कॉलेज बनाने की बात कह रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री श्रीकृष्ण हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सदन में जो आंकड़े पेश किये हैं, वे झूठे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मलिक जी, आप दूसरे विषय पर बात कर रहे हैं। आप संबंधित विषय पर ही प्रश्न पूछें।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, सरकार प्रदेश के 22 जिलों में 22 मैडिकल कॉलेजिज खोलने की बात करती है परन्तु हरियाणा प्रदेश में स्वाइन फ्लू के लिए सिर्फ एक ही जगह पर टैस्टिंग लैब है। यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है।

खानपुर मैडिकल कॉलेज में कोई काम नहीं होता क्योंकि वहां पर डॉक्टर्ज नहीं हैं। इसलिए कम से कम वहां पर स्वाइन फ्लू की टैस्टिंग के लिए एक लैब तो खोल दें ताकि लोग अपना चैक अप करवा सकें। (शोर एवं व्यवधान)

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अपने विषय पर ही बोलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सोनीपत जिले में किस–किस सरकारी हॉस्टिल्ज में वैंटीलेटर या आईसोलेटिड वार्डज हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री श्रीकृष्ण हुडडा: स्पीकर सर, विधान सभा जिस हिसाब से चलनी चाहिए उस हिसाब से नहीं चल रही है। सरकार के माननीय सदस्यों के व्यवहार से तो यहां विधान सभा में कई बार गांवों की पंचायतों से भी खराब वातावरण बन जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुडडा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी माननीय सदस्य अपने–अपने हल्के की बात रख रहे हैं।

श्री श्रीकृष्ण हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, सरकार की आदत बन चुकी है कि विपक्ष के माननीय सदस्यों के ठीक आंकड़ों को भी गलत बताया जाता है। खासकर माननीय मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी और माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी विपक्ष के माननीय सदस्यों के ठीक आंकड़ों को भी गलत बता देते हैं। विपक्ष के माननीय सदस्य सही आंकड़े बता रहे हैं परन्तु सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अभी थोड़े ही दिनों में इलैक्शन होने वाले हैं और इलैक्शन के रिजल्ट से सरकार के माननीय सदस्यों को पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोलता है और कौन नहीं बोलता है। विपक्ष के सदस्य तो सरकार के कामों को देखकर इसलिए चुप बैठे हुए हैं कि सरकार से क्या बात करें ? मैंने बी.जे.पी. के पूर्व सदस्य डॉ0 मंगल सैन जी को बोलते हुए देखा था। वे बहुत अच्छे स्पीकर थे परन्तु आज बी.जे.पी. में उनके जैसा कोई भी माननीय सदस्य नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा जी, आपकी बात कम्पलीट हो गयी है। प्लीज आप बैठ जाएं।

डॉ0 कमल गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, इलैक्शन तो पहले भी हो चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी के नये उम्मीदवार ने हरा दिया और ये अब अनजान बन रहे हैं।

डॉ0 कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सदस्यों को बताना चाहूंगा कि अभी थोड़े ही दिनों पहले जीन्द हल्के में इलैक्शन हुए थे जिसमें हमारी पार्टी के विधायक ने ही जीत दर्ज की थी, फिर भी विपक्ष के सदस्य कह रहे हैं कि इलैक्शन नहीं हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक क्वैश्चन पूछना चाहूंगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री श्रीकृष्ण हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, हमारी भारतीय जनता पार्टी का नया उम्मीदवार ही चुनाव जीतकर आया है और विपक्ष के माननीय सदस्य चुनाव में हार गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी अपना क्वैश्चन पूछेंगी।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, स्वाइन फ्लू की वैक्सीन पहले से ही तैयार नहीं होती बल्कि हर साल नयी बनानी पड़ती है। जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में कहा है कि हर साल स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए नयी वैक्सीन बनानी पड़ती है। स्वाइन फ्लू के कीटाणु पर्यावरण में ही पाये जाते हैं और जब टैम्परेचर डिप करता है तो टैम्परेचर के डिप होने के बाद कीटाणु एक्टिव हो जाते हैं। हमें यह मालूम है कि स्वाइन फ्लू की बीमारी का हर साल प्रकोप होता है और टैम्परेचर के डिप होने से पर्यावरण में स्वाइन फ्लू के कीटाणु एक्टिव हो जाते हैं। सरकार के पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीज प्राईवेट हॉस्पिटल्ज में जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि आगे आने वाले समय में सरकार द्वारा स्वाइन फ्लू के उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन तैयार करके रखी जाएगी या नहीं। अगर सरकार स्वाइन फ्लू के उपचार के लिए वैक्सीन तैयार करके रखेगी तो गरीब लोगों को अपने इलाज के लिए प्राईवेट हॉस्पिटल्ज में जाने की आवश्यकता न पड़े।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने संबंधित सवाल का जो रिप्लाई दिया था, उसमें सभी बातें डिटेल्ड में बतायी गयी हैं लेकिन विपक्ष के सदस्यों की अज्ञानता का जवाब मेरे पास नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, माननीय मंत्री जी ने डिटेल्ड में रिप्लाई दे दिया है।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या कह रही हैं कि उनके सवाल का जवाब दें परन्तु मैंने डिटेल में रिप्लाई दे दिया था।

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षःदलाल साहब, माननीय सदस्यों द्वारा जो सवाल पूछे जाएंगे, उनका जवाब तो माननीय मंत्री जी ही देंगे। प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैंने विपक्ष के माननीय सदस्यों की बातों को ध्यान से सुना था इसलिए इनको मेरी बात भी आराम से सुननी चाहिए।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः करण सिंह जी, प्लीज आप बैठ जाएं। सिर्फ सवाल ही करना है तो वह अलग बात है। अगर सवाल का जवाब लेना है तो माननीय मंत्री जी ही जवाब देंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, प्लीज आप बैठ जाएं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैंने अलग से कोई सवाल नहीं पूछा है बल्कि माननीय मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया है उसी में से ही प्रश्न पूछा है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इनका और मेरा बड़े भाई और छोटे भाई का प्यार है। अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा की वैंटीलेटर का जिक्र चल रहा था तो मैं बताना चाहूंगा कि मेवात जिले के हथीन ब्लॉक, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका और हमारे मंडिखेड़ा का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पर वैंटीलेटर की कोई सुविधा नहीं है। अगर वैंटीलेटर की सुविधा है तो केवल एक मैडिकल कॉलेज, नूंह के अंदर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वैंटीलेटर की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां के बहुत से लोगों को इलाज करवाने के लिए फिरोजपुर झिरका से अलवर जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आजकल मलेरिया और स्वाइन फ्लू की बीमारी इतनी ज्यादा चली हुई है कि जिसके कारण मेवात के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों पहले एक गलघोंटू की बीमारी चली हुई थी और उसके बारे में विभाग को तब पता चला, जब मैंने एक गांव में जाकर उस बीमारी के बारे में जानकारी ली। इस बीमारी के कारण 6 या 7 पेशेन्ट्स की दिल्ली जाकर मौत हो गई थी। उसके बाद विभाग ने अपनी वैक्सीन वगैरह वहां पर पहुंचवाई, तब उस बीमारी पर कंट्रोल हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी मेवात में मरीजों के चैक–अप के लिए विशेष डॉक्टर्ज की टीम की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे ताकि पता चल सके कि वहां पर किस तरह की बीमारी फैल रही है ? इसके साथ–ही–साथ क्या मंत्री जी हमारे नूंह, हथीन, पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वैंटीलेटर की भी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे ?

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, आप अपनी बात रखें।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर किसी और माननीय सदस्य को सवाल पूछने हैं तो पूछ लें। मैं सभी सवालों का इकट्ठा जवाब दे दूंगा। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मंत्री जी अपना जवाब दे रहे हैं, कृपया आप सभी लोग उसे सुन लें?

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मेरी सब्मिशन यह है कि यहां बहुत सीरियस मैटर चल रहा है। और इस से संबंधित कई सवाल मैम्बर्ज ने पूछे हैं, लेकिन मंत्री जी इस बारे में सीरियस नहीं हैं।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, यह मंत्री जी की उदारता ही है कि इस कालिंग अटैंशन मोशन में दो–तीन माननीय सदस्यों के नाम भी नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने भी सवाल पूछे हैं और मंत्री जी उनका भी जवाब देंगे।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मेरी सब्मिशन यह है कि ये सारे बहुत ही अहम मुद्दे हैं। अगर माननीय मंत्री जी तैयारी करके नहीं आए हैं तो इनको 1

या 2 घंटे का समय दिया जाए ताकि ऑन दि फ्लॉर ऑफ दि हाउस प्रॉपर रिप्लाई आ जाए।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, माननीय मंत्री जी तैयारी करके आए हैं और इन्होंने प्रॉपर रिप्लाई पहले ही दे दिया है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के द्वारा प्रॉपर रिप्लाई आना चाहिए, विधान सभा में यह टरकाऊ मामला नहीं चलेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि (विघ्न)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब जी, कृपया आप अपनी बात बाद में कह देना, अभी माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं और आप मंत्री जी का जवाब सुन लें।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, यहां पर जितने प्रश्न आए हैं, उनमें अधिकतर प्रश्नों का कारण अज्ञानता है। स्वाइन फ्लू और मलेरिया में बहुत अंतर है। मलेरिया जैसी बीमारी के लिए हम पहले दवाइयों का छिड़काव करते हैं, तालाबों और पानी की नालियों को देखकर उनको ठीक करते हैं। लेकिन स्वाइन फ्लू के मामले में ऐसा नहीं होता है। स्वाइन फ्लू बीमारी के लिए कोई ऐसा स्प्रे नहीं आया है कि सीजन से पहले हम स्प्रे करवा दें और स्वाइन फ्लू खत्म हो जाए और इसके साथ ही साथ गंदगी के ढेर से भी स्वाइन फ्लू नहीं होता है। स्वाइन फ्लू को रोकने का केवल एक ही तरीका है, जिसे मैंने पहले ही पढ़कर बता दिया था, लेकिन उस समय इस ओर हमारे माननीय सदस्य का ध्यान नहीं था। स्वाइन फ्लू को रोकने का एक ही तरीका है और वह यह है कि हम लोगों के संपर्क में कम से कम आएं और लोगों से दूरी बनाकर बात करें। आज हम पश्चिमी सभ्यता के गुलाम हो गए हैं और हम लोगों से तुरंत हाथ मिला लेते हैं। हालांकि, मैंने पहले भी इस बारे में कहा था, लेकिन लोग मानते ही नहीं हैं और जबरदस्ती हाथ मिला लेते हैं।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे मंत्री जी तो अकेले हैं, इनके पास न बीबी है और न ही बच्चा है, जबकि हम लोगों के पास तो पूरी फैमली है, हम कैसे उनसे दूरी बना सकते हैं ?

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि ये सबसे हाथ मिलाएं। दूसरी बात जो श्रीमती किरण चौधरी जी ने कही थी कि जब आपको पता है कि बीमारी आ रही है तो फिर आप वैक्सीन क्यों नहीं बनाते। मैं माननीय सदस्या को कहना चाहूंगा कि हम वैक्सीन नहीं बनाते हैं, बल्कि वैक्सीन मैडिसन

कम्पनियां बनाती हैं और वह आसानी से उपलब्ध भी हो जाती हैं। लेकिन मैंने यह बताया था कि ये जो वायरस होता है, वह लोगों के सम्पर्क में आने के बाद हर साल अपना स्वरूप बदल लेता है। जिसके कारण हर साल वैक्सीन बनानी पड़ती है और जो पेशेंट वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वे पेशेंट लगवा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों के घर–घर जाकर के वैक्सीन लगाये जाएं। माननीय सदस्य को तीसरे क्वैश्चन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मैंने रिटन में जो रिप्लाई दे रखा है, उसमें बताया गया है कि हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में 222 आइसोलेटिड वार्ड बनाये गए हैं। जहां तक बार–बार वेंटिलेटर की बात आ रही है तो मैं इस बारे में सदन में कोई चर्चा नहीं करना चाहता था परन्तु अब मैं इसके बारे में माननीय सदस्य को यह जरूर बताना चाहूंगा कि वर्ष 2009 में कांग्रेस सरकार के समय में स्वाइन फ्लू से 38 पेशेंट्स की डैथ हुई थी और वर्ष 2010 में 12 पेशेंट्स की डैथ हुई थी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि वे सुनने की हिम्मत भी रखें। अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस सरकार के समय में भी स्वाइन फ्लू होता था तो इन्होंने कौन–कौन से अस्पताल में वेंटिलेटर्ज लगाए थे? (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, प्लीज आप बैठ जाये । (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार के समय में एक भी वेंटिलेटर लगाया गया हो तो ये बताएं ? इनकी सरकार के समय में भी स्वाइन फ्लू से पेशेंट्स मरते थे तब वेंटिलेटर क्यों नहीं लगाये? अध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में वेंटिलेटर की समस्या है, हमें उसके लिए जितनी मैन पावर चाहिए उतनी यूटिलिटी नहीं हो रही है। इस बारे में इन्होंने स्टडी की होगी और हमने भी स्टडी की है। इनके कार्यकाल के दौरान भी हैल्थ मिनिस्टर रहे होंगे, मैं भी हैल्थ मिनिस्टर हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि उस समय वेंटिलेटर क्यों नहीं लगवाये गए और यदि लगवाये गए थे तो ये कितने वेंटिलेटर लगवाकर छोड़ गये थे जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खराब कर दिया? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक भी वेंटिलेटर नहीं लगाया है। हम वेंटिलेटर लगवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और प्लान बना रहे हैं कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तो वेंटिलेटर की सुविधाएं दे पायें।

मैंने इस बारे में अधिकारियों को निर्देश भी दिया हुआ है और इसके लिए योजना भी बना रहे हैं कि हम कम से कम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधाएं दे पायें। अध्यक्ष महोदय, स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए कोई स्पेशलाइज़ डॉक्टरों की जरूरत नहीं होती है। यह बीमारी आम सर्दी जुकाम की तरह होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी तीन स्टेजिज़ होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी । पहली और दूसरी स्टेज़ में पेशेंट को किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मामूली सी खांसी और जुकाम के लिए जो मैडिसन दी जाती है वही मैडिसन पेशेंट को दी जाती है। जब तीसरी स्टेज़ आती है तो पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसका इम्युनिटी सिस्टम कम हो जाता है और लो ब्लड प्रेशर होने की वजह से स्वाइन फ्लू जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। पेशेंट को उससे पहले सर्दी जुकाम हो जाए तो उसको स्वाइन फ्लू नहीं कहा जाता है और जब स्वाइन फ्लू के टैस्ट वगैरह होते हैं तब टेमीफ्लू टैबलेट दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि स्वाइन फ्लू से ऐसे पेशेंट्स की डैथ होती हैं, जिनको पहले कोई न कोई बीमारी होती है जैसे किसी पेशेंट की किडनी खराब हो, किसी पेशेंट को डायबिटीज हो या फिर किसी पेशेंट का लीवर खराब हो। इस तरह के केसिज़ में स्वाइन फ्लू से पेशेंट की इम्युनिटी कम होकर डैथ हो जाती है। हम बाकायदा इसका ऑडिट भी करते हैं कि डैथ किस कारण से हुई है क्योंकि हमें रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है? हमने इसका सारा इंतजाम किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, श्री जगबीर सिंह मलिक जी ने बताया और वे हमेशा बताते ही रहते हैं कि उनका लड़का खानपुर मैडिकल कॉलेज में काम करता था और वहां से निकाल दिया गया। इसी कारण ये हमेशा खानपुर मैडिकल कॉलेज की कमियां गिनाते रहते हैं। इन्होंने बताया कि खानपुर मैडिकल कॉलेज में केवल 500 ओ.पी.डी. हैं जबकि मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि खानपुर मैडिकल कॉलेज में टोटल 2500 ओ.पी.डी. हैं। (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरा नाम लिया है इसलिए मुझे ऑब्जैक्शन है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, पहले आपने इस बारे क्वैशन किया था इसलिए मंत्री जी आपका नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे? जब आपने क्वैचन पूछा है तो आपका ही नाम लेकर जवाब बताया जाएगा। इस प्रश्न के जवाब पर आपका कोई ऑब्जैक्शन नहीं बनता है। (विघ्न) प्लीज आप बैठ जाये। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इन्होनें कहा कि खानपुर मैडिकल कॉलेज में 500 ओ.पी.डी. हैं इसलिए इन पर प्रिवलेज मोशन बनता है क्योंकि खानपुर मैडिकल कॉलेज में टोटल 2500 ओ.पी.डी. हैं। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरा नाम लिया है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, ये कोई विषय नहीं है। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की फैक्टरी है । आजकल राहुल गांधी ने कोई कारखाना लगा रखा है, जहां से इन लोगों को झूठ बोलने की ट्रैनिंग दी जाती है । ये सभी लोग झूठ बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और झूठ बोलने का काम करते हैं। (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लें।

12:00 बजे

श्री अध्यक्ष : जगबीर सिंह जी मेरा आपसे यही कहना है कि आपकी पार्टी के माननीय सदस्यों ने प्रदेश में स्वाईन फ्लू के विषय पर जो कालिंग अटैंशन मोशन दिया है आप उसके प्रति गम्भीर नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप कृपया करके बैठ जायें और मंत्री जी का जवाब सुनें।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, कांग्रेस पार्टी ने ही देश को जम्मू व कश्मीर की समस्या दी, कांग्रेस पार्टी ने ही जम्मू व कश्मीर में धारा 370 लगाई और कांग्रेस पार्टी ने सैक्शन 35–ए लगाया जो कि आज नासूर बन गया है। कांग्रेस पार्टी के कारण ही आज जम्मू व कश्मीर की समस्या से सारा देश त्रस्त है। कांग्रेस पार्टी ने ही देश को खण्डित आजादी दिलवाई है। कांग्रेस पार्टी ने ही देश के दो टुकड़े करवाये। जो पाकिस्तान की समस्या है उसके लिए पूरी तरह से अकेली कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। (शोर एवं व्यवधान)

————————

विधान सभा की समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना

(i) अधीनस्थ विधान समिति की 47वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्रीमती संतोष चौहान सारवान, चेयरपर्सन, अधीनस्थ विधान समिति वर्ष 2018–2019 के लिए अधीनस्थ विधान समिति की 47वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

Chairperson, Committee on Subordinate Legislation (Smt. Santosh Chauhan Sarwan): Hon'ble Speaker Sir, I beg to present the 47th Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year of 2018-2019.

(ii) लोक लेखा समिति की 78वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री ज्ञान चंद गुप्ता, चेयरपर्सन, लोक लेखा समिति, 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों पर वर्ष 2018–2019 के लिए लोक लेखा समिति की 78वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

चेयरपर्सन, लोक लेखा समिति (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) : स्पीकर सर, मैं 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों पर वर्ष 2018–2019 के लिए लोक लेखा समिति की 78वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

(iii) लोक लेखा समिति की 79वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री ज्ञान चंद गुप्ता, चेयरपर्सन, लोक लेखा समिति, 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) तथा राज्य वित्तों पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों पर वर्ष 2018–2019 के लिए लोक लेखा समिति की 79वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, लोक लेखा समिति (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) : स्पीकर सर, मैं 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) तथा राज्य वित्तों पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों पर वर्ष 2018–2019 के लिए लोक लेखा समिति की 79वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

(iv) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की 48वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्रीमती गीता भुक्कल, सदस्य, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, वर्ष 2018–2019 के लिए सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की 48वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

Member, Committee on Government Assurances (Smt. Geeta Bhukkal) : Speaker Sir, I beg to present the 48th Report of the Committee on Government Assurances for the year 2018-2019.

(v) याचिका समिति की 9वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री घन श्याम दास, चेयरपर्सन याचिका समिति, वर्ष 2018–2019 के लिए याचिका समिति की 9वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, याचिका समिति (श्री घन श्याम दास) : अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति की वर्ष 2018–2019 के लिए 9वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

(vi) लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति की 65वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री मूल चंद शर्मा, चेयरपर्सन, लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति, 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लोक क्षेत्र उपक्रमों (आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों) के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर वर्ष 2018–2019 के लिए लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति की 65वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति (श्री मूल चंद शर्मा) : स्पीकर सर, मैं लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति की 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लोक क्षेत्र उपक्रमों (आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र) के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर वर्ष 2018–2019 के लिए लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति की 65वीं रिपोर्ट प्रस्तुत सादर प्रस्तुत करता हूं।

(vii) प्राक्कलन समिति की 47वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्रीमती प्रेम लता, चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति, वर्ष 2018–2019 के लिए लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के लिए बजट अनुमानों पर वर्ष 2018–2019 के लिए प्राक्कलन समिति की 47वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

Chairperson, Committee on Estimates (Smt. Prem Lata) : Sir, I beg to present the Forty Seventh Report of the Committee on Estimates for the year 2018-2019.

(viii) अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी समिति की 42वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री बलवंत सिंह, चेयरपर्सन, अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी समिति, विभिन्न विभागों में अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के आरक्षण/ प्रतिनिधित्व तथा समिति की 41वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर वर्ष 2018–19 के लिए अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी समिति की 42वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

Chairperson, Committee on the Welfare of Scheduled Caste, Schedule Tribe and Backward Classes (Shri Balwant Singh) : Hon'ble Speaker Sir, I beg to present the 42nd Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Schedule Tribes and Backward Classes for the year 2018-2019 on Reservation/representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes in various departments and action taken by the Government on the recommendations contained in its Forty First Report.

(ix) स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बंधी समिति की 13वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री असीम गोयल, चेयरपर्सन, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षित अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए पंचायत समिति अम्बाला–1 के लेखों पर लेखा–परीक्षा तथा निरीक्षण नोट पर वर्ष 2018–2019 के लिए स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति की 13वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति (श्री असीम गोयल) : अध्यक्ष महोदय जी, मैं निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षित अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए पंचायत समिति अम्बाला–1 के लेखों पर लेखा–परीक्षा तथा निरीक्षण नोट पर वर्ष

2018–2019 के लिए स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति की 13वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

(x) स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बंधी समिति की 14वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री असीम गोयल, चेयरपर्सन, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति निदेशक, स्थानीय लेखा–परीक्षा, हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षित अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए नगर निगम, अम्बाला तथा नगर परिषद्, गोहाना के लेखों पर लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण नोट पर वर्ष 2018–2019 के लिए स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति की 14वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति (श्री असीम गोयल) : अध्यक्ष महोदय जी, मैं निदेशक, स्थानीय लेखा–परीक्षा, हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षित अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए नगर निगम, अम्बाला तथा नगर परिषद्, गोहाना के लेखों पर लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण नोट पर वर्ष 2018–2019 के लिए स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति की 14वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

(xi) शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति की चौथी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री उमेश अग्रवाल, चेयरपर्सन, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति, वर्ष 2018–2019 के लिए चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवाएं तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभागों पर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति की चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति (श्री उमेश अग्रवाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2018–2019 के लिए चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवाएं तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभागों पर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति की चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

(xii) जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति की छठी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री श्याम सिंह राणा, सदस्य, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति, वर्ष 2018–2019 के लिए जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति की छठी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

सदस्य, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति (श्री श्याम सिंह राणा) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2018–2019 के लिए जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति की छठी रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

विधान कार्य–

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं. 1) बिल, 2019

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री, हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

डॉ. कमल गुप्ता (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे वित मंत्री जी, जिन्होंने यह पांचवा बजट पेश किया है, वह किसान हैं, किसान के बेटे हैं और देश पर जान न्यौछावर करने वाले फौजी भी हैं । वह व्यापारी भी हैं और संसार की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से एम.बी.ए पास किए हुए इकोनोमिक्सट भी हैं। इन्होंने जो यह बजट पेश किया है यह बजट चहुंमुखी विकास करने वाला है। यह बजट इतना अच्छा है जिसमें माननीय वित मंत्री जी व माननीय मुख्यमंत्री जी की

स्थिरता नजर आती है । अभी जो पांच निकायों के चुनाव हुए थे उसमें हमारे पांच मेयर बने हैं और जीन्द का उपचुनाव भी हमारी पार्टी ने ही जीता है । जिस प्रकार हमारी सरकार ने हरियाणा को कैरोसिन मुक्त किया है, ओ.डी.एफ. किया है उससे आने वाले समय में भी हमारी बी.जे.पी की सरकार ही आएगी क्योंकि ये सभी उपलब्धियां इस बजट में नजर आती हैं । पिछली बार कांग्रेस पार्टी की जो 15–16 सीटें आई थी, आगे आने वाले चुनाव में उनकी इतनी सीटें भी नहीं आएंगी । इसमें कोई शक नहीं है । इस बजट में जो राजकोषीय घाटे की बात की गई है उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं । (शोर एवं व्यवधान) यह बजट बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जो राजकोषीय घाटा है वह उदय के साथ जी.एस.डी.पी. का 1100 करोड़ रुपये अर्थात 2.86 प्रतिशत है और जो 14th फाईनैंस कमीशन है वह यह कहता है कि हम इसको 3 प्रतिशत तक ले जा सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान) सर, कल मैं मीठी चला गया था । मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया था । इसलिए मैं आज बोल रहा हूं ।(शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों के समय में इतने गलत काम किए गए हैं जिससे उनकी अगले चुनाव में एक भी सीट नहीं आएगी । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि हिसार में जो टू टर्मिनल वाला एयरपोर्ट बन रहा है माननीय वित्तमंत्री जी, ने उसके लिए जो 214 करोड़ रुपये बजट दिया है अगर वे उस बजट को बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये कर देंगे तो उसमें 11–11 हजार फिट की दो–दो हवाई पट्टी बनेंगी जिससे वह इंटरनैशनल एयरपोर्ट बन जाएगा । उस एयरपोर्ट से वैस्टर्न हरियाणा जिसका दायरा डबवाली, जीन्द और कैथल को मिलाकर 100 किलोमीटर बनता है, उस सारे ऐरियाज का चहुंमुखी विकास होगा । अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्तमंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि हमारे वहां हिसार में एक इंटरनैशनल क्रिकेट ग्राउंड बनना है जिसके लिए हमने 70 एकड़ जमीन भी आईडैंटीफाई कर ली है । मंत्री जी, ने उसके लिए जो 250 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है अगर उसको 1000 करोड़ रुपये कर देंगे तो हरियाणा का जो वैस्टर्न भाग है वह बहुत अच्छी तरह से डिवैल्प हो जाएगा । उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा विनियोग (संख्या–1) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज–2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–3 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शिड्यूल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि शिड्यूल विधेयक का शिड्यूल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, सदन में आज एप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत किया गया और यही नहीं बजट पर भी विपक्ष की तरफ से तथा हमारे ट्रेजरी बेचिंज की तरफ से तमाम प्रकार की स्पीचिज हुई और न जाने कितनी ही बातें प्रदेश के हित में बताई गई। अध्यक्ष महोदय पिछले कई सालों से मैं, श्री रामबिलास शर्मा जी, कादियान साहब, अनिल विज जी तथा हुड्डा साहब इस सदन के सदस्य बनकर आते रहे हैं लेकिन हमने पहले यह कभी नहीं देखा कि बजट प्रस्तुत कर दिया गया हो और कैग की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया हो? अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यह ठीक है कि परसों वित्त मंत्री जी ने बजट पेश कर दिया लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कैग की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जायेगी या मैम्बर्ज के पास भेज दी जायेगी? जहां तक एप्रोप्रिएशन बिल की बात है इसमें अनेकों डिपार्टमैंट्स का जिक्र किया गया है

लेकिन इस समय मैं लोगों की एक तकलीफ सरकार के ध्यान में जरूर लाना चाहूंगा और वह यह है कि आजकल ऑनलाईन का एक सिलसिला पूरे प्रदेश में चला हुआ है और ऑन लाइन के नाम पर इतना भ्रष्टाचार हरियाणा प्रदेश के हर महकमे में फैल रहा है कि ऑन लाईन के नाम पर जो दरख्वास्तें अपलोड की जाती हैं, आधे से ज्यादा लोगों की यह समझ में ही नहीं आती। कई दफा बिजली नहीं होती तो कई दफा मशीन खराब हो जाती है। चाहे नक्शे पास कराने हो, चाहे कोई और दूसरी दरख्वास्तें देनी हों, यह ऑन लाईन का जो चलन बनाया गया है मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। मेरा अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार से निवेदन है कि जब तक पूरा सिस्टम सही तरीके से परिपक्व न हो तब तक ऑन लाईन प्रक्रिया के साथ कोई अलटरनेट भी सरकार को रखना चाहिए? (विघ्न)

वित्त मंत्री(कैप्टन अभिमन्यु) : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का जो विषय उठाया है, मैंने इस बारे में कल भी सदन के समक्ष बताया था कि चूंकि इस बार देश में बजट प्रस्तुत करने की डेट्स एडवांस हुई हैं, उसका नतीजा यह हुआ कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अपने स्तर पर ही उस रिपोर्ट को अभी तक कंपाईल नहीं कर पाया है और उसने लिखित में सरकार से निवेदन किया है कि उनकी रिपोर्ट अभी तक फाईनल नहीं हुई है और मैंने सदन को कल भी आश्वस्त किया था और आज भी एक बार फिर से आश्वस्त करता हूँ कि जैसे ही कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आयेगी तो उसको निश्चित तौर से सदन के पटल पर रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त जो विषय अभी करण सिंह दलाल जी ने उठाया है, मैं समझता हूँ कि इसका एप्रोपिएशन बिल से कोई लेना–देना नहीं है अतः निवेदन है कि इस विधेयक को पारित किया जाये।(शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः स्पीकर सर, हर डिपार्टमैंट के लिए एप्रोप्रिएशन बिल के नाम पर जो इतना पैसा दिया जाता है तो उसकी कोई जिम्मेवारी तो फिक्स होनी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके? जहां तक ओल्ड एज पैंशन की बात है, ओल्ड एज पैंशन जब हमारे कांग्रेस के राज में लोगों को दी जाती थी तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुआ करती थी। जैसे ही कोई व्यक्ति ओल्ड एज पैंशन का पात्र बनता था, उसको केवल मात्र फार्म भरने की ही जरूरत होती थी और जहां डॉक्टर्ज की या किसी अन्य अथारिटी की ओल्ड एज पैंशन को बनवाने में जरूरत

होती थी, वे सब तैयार खड़े मिलते थे। आज ओल्ड एज पैंशन बनवाना बुजुर्गो के लिए बहुत बड़ी तकलीफ का विषय बन गया है। यही नहीं जब बैंकों के माध्यम से ओल्ड एज पैंशन का वितरण किया जाने लगा तो इससे हमारे बुजुर्गों को और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।(विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल से इस बात का कोई संबंध नहीं है। ये लोग अपना पुराना जमाना वापिस लाना चाहते हैं क्योंकि उस समय कोई चीज ऑन लाईन नहीं होती थी और इसका फायदा ये लोग खुले आम भ्रष्टाचार करके उठाते थे। अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के पटल से एक बार नहीं, दो बार नहीं न जाने कितनी ही बार और इस बार तो अपने बजट स्पीच में भी ऑन लाईन प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए बताया था कि मात्र ऑन लाईन प्रक्रिया अपनाने भर से कितने ही ऐसे पैंशन बेनीफिशरीज जो फर्जी हुआ करते थे, उनको एलिमिनेट करने का काम किया गया है। यही नहीं स्कूल के फर्जी स्टूडेंट्स को एलिमीनेट किया गया, पी.डी.एस. के फर्जी बेनेफिशरीज को एलिमिनेट किया गया और इस प्रक्रिया के कारण राज्य को 3000 करोड़ रूपये की बचत हुई है। यही नहीं इस प्रक्रिया के अपनाने से इस साल अर्थात् वित्त वर्ष 2018–19 में भी लगभग पौने तीन सौ करोड़ रूपये की बचत हुई है। परन्तु इन चीजों को नज़रअंदाज करते हुए विपक्ष के हमारे साथी प्रदेश को फिर से उसी स्थिति में लाना चाहते हैं लेकिन हम हरियाणा को फिर से उस गड्ढे या दलदल में नहीं जाने देंगे और ऑन लाईन प्रक्रिया को और ज्यादा सशक्त करने का काम करेंगे। हम इंफार्मेशन टैक्नोलॉजी का प्रयोग और ज्यादा बढ़ायेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने खर्चा ही नही धटाया अपितु रिवैन्यू भी बढ़ाया है और इसका उदाहरण है कि बिल्कुल गिरी हुई रियल एस्टेट मार्किट में ई–रजिस्ट्रेशन और ई–स्टैंपिंग का प्रावधान करके और कागजी स्टाम्प पेपर प्रणाली को खत्म करके हमने पिछले साल प्रदेश के रिवैन्यू को 24 परसैंट ज्यादा बढ़ाने का काम किया था और पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग 33 प्रतिशत के करीब रिवैन्यू बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, यह गिरी हुई रियल एस्टेट मार्किट का हाल है। आज ऑन लाइन की प्रक्रिया न होती तो इतना रिवैन्यू स्टेट के खजाने में नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, पता नहीं माननीय सदस्यगण किस भावना से प्रेरित होकर इस प्रकार का विषय सदन में रख रहे हैं। मेरा पुनः निवेदन यह है कि यह एप्रोप्रिएशन बिल का मैटर नहीं है, यदि सदन इस बारे में अलग से

कोई चर्चा करना चाहता है तो जरूर करवा लें। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

.....

नवदीप उच्च विद्यालय, जीन्द के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, नवदीप उच्च विद्यालय जीन्द के अध्यापकगण तथा विद्यार्थीगण, सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं सदन की तरफ से उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

.....

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

II. दि पंजाब लैंड प्रिज़र्वेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2019

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वन एवं वन्य प्राणी मंत्री, पंजाब भू–परिरक्षण (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब भू–परिरक्षण (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि पंजाब भू–परिरक्षण (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि पंजाब भू–परिरक्षण (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल (जुलाना) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल की क्लॉज–2 में लिखा है कि–

> 'It shall be deemed to have come into force from the first day of November, 1966, except unless expressly provided.'

अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस बिल में वर्ष 1966 से संशोधन करने की कौन सी जरूरत आ गई है। मैंने भी वकालत कर रखी है और मैंने अभी तक देखा है कि प्रोस्पैक्टिव तो सब कुछ हो सकता है लेकिन रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट को लेकर हरियाणा सरकार इस बिल में संशोधन करके आखिर करना क्या चाहती है? सरकार का इसके पीछे छुपा हुआ उद्देश्य क्या है? हमने अपने जीवन में आज तक यह सुना था कि कोई भी सरकार बिल लाकर भविष्य के लिए अमेंडमैंट कर सकती है लेकिन यह पहली सरकार है जो बिल में संशोधन तो वर्ष 2019 में कर रही है लेकिन यह लागू वर्ष 1966 से होगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार का कितना बड़ा उद्देश्य इसके पीछे छुपा हुआ होगा, यह किसी को पता नहीं है। क्या सरकार का उद्देश्य अरावली की पहाड़ियों को खत्म करके बिल्डिंग खड़ी करने का तो नहीं है? माननीय उच्चतम न्यायालय के पुख्ता आदेश हैं कि फॉरेस्ट एरिया को डी–नोटिफाई नहीं किया जा सकता है। क्या इस बिल में यह संशोधन फॉरेस्ट एरिया को डी–नोटिफाई करने के लिए आया है? क्या हरियाणा सरकार हरियाणा को वन विहीन करना चाहती है? मुझे पूरा विश्वास है कि यह बिल माननीय न्यायालय में चैलेंज होगा। आज पूरे देश में ट्री प्रोटैक्शन एक्ट लागू है। उसका एक उदाहरण दिल्ली में देखने को मिलता है क्योंकि जब से दिल्ली बनी है तब से बिना पेड़ों को काटे दिल्ली का विकास हुआ है। इस प्रकार से हरियाणा में भी बिना पेड़ों को काटे विकास हो सकता है, इसलिए हरियाणा सरकार को ऐसे काम करने चाहिएं। सरकार पंजाब भू–परिरक्षण अधिनियम, 1900 में संशोधन क्यों करना चाहती है, आज तक किसी भी सरकार ने इस बिल के साथ छेड़खानी नहीं की है। माननीय उच्चतम न्यायालय भी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में संशोधन करने से 100 प्रतिशत वातावरण का असंतुलन होगा। अरावली एरिया को इसलिए बचाया गया है क्योंकि यह दिल्ली के साथ लगता हुआ एरिया है। अरावली एरिया को बचाने से उस पूरे एरिया को प्रदूषण से बचाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, नजायज तौर पर भी पेड़ काटे जायेंगे तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, खेती–बाड़ी का तो नुकसान होगा ही और साथ में हमारा एरिया मरूस्थल भी बन

जायेगा। इस प्रकार से राजस्थान से मरूस्थल इस एरिया में प्रवेश कर जायेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर अरावली एरिया का बहुत बड़ा बैरियर खत्म कर दिया जायेगा तो उसका असर उस एरिया के साथ–साथ पूरे हिन्दुस्तान पर भी पड़ेगा। क्या इस बिल में संशोधन बिल्डर्ज और खान माफिया के इशारे पर तो नहीं किया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, ब्रिटिश सरकार के समय भी और उसके बाद कांग्रेस सरकार बनी, उसने भी अरावली की पहाड़ियों को बचाया है। हमारे स्वास्थ्य का माहौल खराब न हो जाए, इसलिए सरकार को यह बिल पास करने से पहले मैं समझता हूँ कि इस बिल को एग्जामिन करना चाहिए। माननीय सदस्यों की इस बिल को एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी बनाई जाये। जो–जो ऑब्जैक्शंज माननीय कमेटी के होंगे सरकार उनके ऊपर विचार करे। यह बिल भविष्य को लेकर जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बिल को पास करने से पहले जरूर विचार किया जाये। हरियाणा सरकार ने हरियाणा श्री दुर्गा माता मंदिर बनभोरी पूजास्थल बिल भी वापिस लिया था, ठीक इसी प्रकार इस बिल को एग्जामिन करने के लिए अभी इसे वापिस लिया जाये क्योंकि बहुत से लोगों की भावनाएं इस बिल से जुड़ी हुई हैं।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशम) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है वह एक गम्भीर विषय है । सरकार एक ऐसा विधेयक लेकर आई है जो रेट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू होगा । It is going to take effect from the year 1966 onwards. इस विधेयक के रेट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू करने के बहुत ही गहरे और गम्भीर मायने हैं । सरकार इस विधेयक में वर्ष 1966 से अमैंडमैंट लाना चाहती है । मेरा कहना है कि यह कानून फॉरेस्ट एरिया के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था । अरावली पर्वत श्रृंखला इंडिया की ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है । That is very fragile. इस पर्वत श्रंख्ला में जो पेड़–पौधे हैं वे अपने तरीके से काफी आधुनिक हैं । हमारी सरकार ने इस क्षेत्र को नैशनल कंजर्वेशन जोन में रखते हुए एन.सी. जोन यानी नैशनल कैपीटल जोन विधेयक इसलिए पास करवाया था ताकि उस एरिया में कंस्ट्रक्शन, डम्पिंग और अन्य एक्टिविटीज न की जाए । आज सरकार जिस तरीके से इस बिल में अमैंडमैंट लेकर आई है मैं पूछना चाहती हूं कि सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है ? यह सरकार का एंटी एनवॉयर्नमैंट डिसीजन है । इस एक्ट के पास होने से आने वाले समय में बिल्डर्स और डिवैल्पर्स को उस एरिया में कंस्ट्रक्शन करने में मदद

मिलेगी । इससे अरावली क्षेत्र का यह एन.सी. जोन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा । आज के दिन दिल्ली और हरियाणा के एन.सी.आर. जोन में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है । अगर हम अरावली पर्वत श्रृंखला को टैम्पर करते हैं या इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं तो फिर आने वाले समय में सब कुछ खत्म हो जाएगा । मैं कहना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से अरावली रेंज की 585 एकड़ जमीन में से 85 एकड़ जमीन फॉरेस्ट एरिया के लिए पंचायत को दे दी गई थी । मैंने सुना है कि अब फॉरेस्ट डिपार्टमैंट एक नोटिफिकेशन निकाल रहा है जिसके द्वारा इस 85 एकड़ जमीन को डिनोटिफाई किया जाएगा । सरकार इस अमैंडमैंट बिल के जरिये भविष्य में वहां पर बदलाव लाएगी । अगर ऐसा होता है तो वर्ष 2004 में जिस लैण्ड को नोटिफाई किया गया था, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा । मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि हरियाणा का फॉरेस्ट कवर्ड एरिया पहले ही 5–7 परसैंट है जोकि बहुत कम है । यह आंकड़ा उस समय का है जब मैं प्रदेश सरकार में मंत्री थी मुझे नहीं पता What is the latest position now? उसके साथ–साथ अब फॉरेस्ट डिपार्टमैंट कह रहा है कि लगभग 12 साल पहले इसे रोंगली नोटिफाई कर दिया गया था । मेरा कहना है कि जिस जमीन को एक बार फॉरेस्ट डिपार्टमैंट ने पंचायत को दे दिया और उसमें पेड़–पौधे लगा दिए गए तथा अन्य सारी कार्रवाई कर दी गई, अब अगर उसको डिनोटिफाई किया जाएगा तो यह ठीक नहीं है । इससे साफ नजर आता है कि सरकार वहां पर नेचर पार्क बनाने के नाम पर किसको फायदा पहुंचाना चाहती है ? जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि अगर इस बिल में अमैंडमैंट लाकर इसे रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू किया जाता है और उस नोटीफाई की हुई लैण्ड को डिनोटिफाई किया जाता है तो आने वाले समय में इसके बहुत बुरे प्रभाव होंगे । अरावली रेंज को टच करने वाले एरिया में डैजर्टीफिकेशन शुरू हो जाएगा, भारी मात्रा में कंस्ट्रकशन होगी, दूसरी एक्टीविटीज़ जैसे माइनिंग आदि शुरू हो जाएगी । महेन्द्रगढ़ बैल्ट में तो पहले ही माइनिंग माफिया पूरी तरह सक्रिय है । वहां पर माइनिंग माफिया का पूरा प्रकोप है और उस पर कोई अंकुश भी नहीं लगाया जा रहा है । मेरा कहना है अगर यह अमैंडमैंड रेट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू की जाएगी तो इसका साफ मतलब है कि सरकार के माइनिंग माफिया से तार जुड़े हुए हैं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपने अपने सुझाव दे दिये हैं । अब आप बैठिये ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरकार एक बहुत ही गम्भीर विषय पर अमैंडमैंट बिल लेकर आई है । अगर इस अमैंडमैंट बिल को सरकार ने आज असैम्बली में पास कर दिया तो इसके ऐसे नतीजे सामने आएंगे कि आने वाली पुश्तें भी इस सरकार को माफ नहीं करेंगी । मेरे कहने का मकसद यह है कि इस बिल को तुरंत वापिस लिया जाए और इस बिल को पास न होने दिया जाए क्योंकि यह बिल न केवल पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए बल्कि पूरे एन.सी.आर. रीजन और अरावली क्षेत्र के (जो हमारी सबसे पुरानी माउंटेनियर रेंज है) ईको सिस्टम को बर्बाद करने का काम करेगा। जो लैंड एक बार नोटिफाई हो गयी है उसको अब दोबारा से डि–नोटिफाई नहीं किया जाना चाहिए। हमारे प्रदेश में पहले से ही फौरेस्ट कवर्ड बहुत कम है। हमारे प्रदेश में जो सड़के बनायी जा रही हैं, उसके दोनों तरफ का फौरेस्ट स्ट्रिप खत्म हो चुका है। अगर हम फौरेस्ट एरिया के साथ कोई छेड़–छाड़ करेंगे तो उसके बहुत गम्भीर नतीजे निकलेंगे। फौरेस्ट एरिया नष्ट होने के कारण हम अपनी आगे आने वाली पुश्तों को जवाब नहीं दे पाएंगे और इसके लिए हम सभी माननीय सदस्य जिम्मेवार होंगे। अध्यक्ष महोदय, आप ऐसे पद पर बैठे हुए हैं जो इस चीज की गंभीरता के बारे में समझते हैं। यह बिल हरियाणा प्रदेश के हित में नहीं है और न ही पर्यावरण के हित में है। यह बिल माईनिंग माफिया और बिल्डर्ज के हित में है। यह ऐसा बिल है, जिसको पास नहीं होने दिया जाना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बिल को वापिस लिया जाए और सदन में पास न किया जाए।

श्री ललित नागर (तिगांव): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अगर माननीय सदस्य इस बिल का विरोध कर रहे हैं तो सरकार इस बिल को पास क्यों करवाना चाहती है ? यह बिल प्रकृति के नियमों के खिलाफ है क्योंकि शायद, भगवान ने जो प्रकृति बनायी है उसमें कहीं पर प्लेन जमीन, कहीं पर पहाड़, कहीं पर समुद्र और कहीं पर झीलें बनायी हैं और ये सभी चीजें सोच–समझकर बनायी गयी हैं। इस फौरेस्ट एरिया में पहाड़ भी हैं, पेड़–पौधे भी लगे हुए हैं। यह एरिया हरा–भरा होने के कारण हमारी प्रकृति के वातावरण को स्वच्छ बनाकर रखता है। पेड़–पौधे पॉल्यूशन को भी खत्म करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को यह बिल वापिस लेना चाहिए। अंग्रेजों और कांग्रेस की सरकारों के समय से लेकर उस एरिया को फौरेस्ट का एरिया डिक्लेयर किया हुआ है तो फिर अब यह सरकार इस बिल को क्यों पास करवाना चाहती है ? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है ?

आप देखेंगे कि दिल्ली के चारों तरफ जितना एन.सी.आर. का एरिया है वहां पर खाली प्लेन लैंड के ऊपर कॉलोनीज, बिल्डिंग और हाई राईज कॉमर्शियल कॉम्पलैक्सिड बनाये गये हैं। सिर्फ वहीं जगह खाली हैं जहां पर झीलें, पहाड़ और पेड़ हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये पहाड़, पेड़ और झीलें हमारी प्रकृति के पर्यावरण को शुद्ध बनाकर रखने में मद्द करते है। दिल्ली में धौला कुआं के आसपास देखेंगे तो वहां पर केवल वन विभाग की जमीन ही खाली पड़ी है। गुरूग्राम और फरीदाबाद में देखेंगे तो वहां पर भी फौरेस्ट की लैंड ही खाली पड़ी हुई मिलेगी और बाकी गुरूग्राम और फरीदाबाद जिलों के एरियाज में जो बिल्डिंग्ज बनायी गयी हैं वहां पर पानी की कमी होती जा रही है। अगर आप इस बिल को पास कर देंगे तो हमें लगता है कि आने वाले समय में बिल्डर्ज इस एरिया में पेड़–पौधों को काटकर हाई राईज बिल्डिंग खड़ी करेंगे, कहीं पर खदान या कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग्ज बनाएंगे। स्पीकर सर, ऐसा करने से वातावरण बिगड़ता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी यह आदेश है कि उस एरिया को फौरेस्ट एरिया ही रहने दें और उस लैंड को डि–नोटिफाई न करें। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस बिल को पास भी करेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बिल को रिजैक्ट कर देगा और साथ ही यह बिल नेचर के खिलाफ भी होगा। इसलिए हम सभी माननीय सदस्यगण इसका विरोध करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप इस हाउस् के कस्टोडियन हैं इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बिल को पास न करवाएं। इस बिल को पास कराने के पीछे सरकार की जो मंशा है, उसको रोकने का प्रयास आपको करना चाहिए।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री ललित नागर जी की बात को करैक्ट करना चाहूंगा। इस बिल को लाने में आपका कोई रोल नहीं है क्योंकि यह बिल तो ईमानदारी का बहुत बड़ा ढोंग रचने वाली सरकार लायी है। ईमानदारी के ठेकेदार माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय मंत्री जी और भारत सरकार के माननीय मंत्रियों ने हमारे क्षेत्र के बाल–बच्चों के जीवन का सौदा किया है इसलिए यह अमैंडमैंट बिल लेकर आये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार जिस एरिया के लिए पी.एल.पी.ए. को अमैंड करने जा रही है वह ज्यादातर क्षेत्र अरावली एरिया में है। दक्षिण हरियाणा का ज्यादातर एरिया हायस्ट सैसमिक जोन में हैं। भगवान न करे, अगर इस एरिया में भूकंप आया तो सबसे ज्यादा नुकसान गुरूग्राम, फरीदाबाद,

रेवाड़ी और इसके साथ लगते इलाकों में ही होगा। आज के समय में हमारा पर्यावरण इतना बिगड़ गया है कि गांवों में भी शुद्ध हवा नहीं है, हमारी धरती के नीचे जो पानी है, उसकी क्वालिटी धान के बोने की वजह से और हमारे फरीदाबाद और गुरूग्राम के नहरों में गंदा पानी आने की वजह बहुत खराब होती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 1900 में जिन अंग्रेजों को हम अपना दुश्मन समझते थे, उन अंग्रेजों ने अपनी सूझ–बूझ से हमारे इलाके के लोगों को बचाने के लिए इस एक्ट को लागू किया था और उस समय वहां पर कोई भवन या बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उन्होंने इस एक्ट में हर एक चीज का इंतजाम किया था और अगर मंत्री जी चाहे तो मैं मंत्री जी को उस ओरिजनल एक्ट की कॉपी दे सकता हूं। इस एक्ट में कोई अमैंडमैंट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस एक्ट का मकसद इकोलॉजी को प्रिजर्व करना है ताकि हमारे जीवन के लिए किसी भी प्रकार का खतरा पैदा न हो। अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में यह भी लिखा हुआ है कि अगर हवाओं के आने से मिट्टी का रुख बदलता है और उसके कारण पेड़ टेढ़े–मेढ़े या उखड़ जाते हैं तो उनका बंदोबस्त करने की जिम्मेवारी भी संबंधित डिप्टी कमिश्नर की लगाई हुई है। हम जानते हैं कि सरकार को इस एक्ट में अमैंडमैंट करने का सपना कहां से आया होगा ? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के अंदर जो कान्त–एन्क्लैव हैं, उसके मकानों को गिराने के लिए और इस एक्ट के मुताबिक वहां पर सारे हालात को रिस्टोर करने के लिए आदेश पारित किया था। अगर सरकार कान्त–एन्क्लैव को बचाना चाहती है तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वहां पर लोगों के मकान बने हुए हैं और उन बेचारों ने पता नहीं कैसे–कैसे करके अपने–अपने मकान बनाए थे। अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस बिल के स्टेटमैंट ऑफ ऑब्जैक्ट्स एंड रीजन्स में यह बात लिखनी चाहिए थी कि सरकार को इस अमैंडमैंट को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है ? आखिर सरकार इस बात को क्यों छुपा रही है ? अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कान्त–एन्क्लैव को डिमोलिश करने का आदेश न आता तो शायद सरकार के मन में इस एक्ट में संशोधन करने की बात आ भी नहीं पाती। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार कान्त–एन्क्लैव को बचाना चाहती है तो बचाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसके एवज में सरकार ने इसमें कम से कम डेढ़ या दो हजार करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का धंधा किया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार के चहेतों ने वहां पर जमीनें खरीदनी शुरू कर दी है, क्योंकि पहले इस एक्ट की वजह

से लोग वहां पर प्लॉट या जमीन नहीं खरीद पाते थे। सरकार ने तो अब अखबारों में भी इससे संबंधित इश्तिहार देना शुरू कर दिया है ताकि जो जमीन लेने वाली पार्टियां हैं, वे इस वर्तमान सरकार के मंत्रियों से सम्पर्क करना शुरू कर दें। अध्यक्ष महोदय, यह वर्तमान सरकार का 5 वर्ष का सबसे बड़ा घोटाला होगा। अपने आप को हरियाणा की ईमानदार सरकार कहने वाली यह वर्तमान सरकार हमारे इलाकों के बाल–बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करके जो काला कानून लेकर आ रही है, उसे वापिस लेना चाहिए। सरकार ने उसके लिए बहाना बनाया है कि उसे रेल, नहर और रास्ता बनाना है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो ये इस एक्ट में अमैंडमैंट लेकर आए हैं, उसके बारे में बताएं कि इन्हें कहां–कहां पर रेल, नहर और रास्ते बनाने में दिक्कत आ रही है ? वर्तमान सरकार के मंत्री सत्ता के नशे में अंधे हो गए हैं और ये इस एक्ट में संशोधन करके हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला करने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि हम इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। स्पीकर सर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अगर सरकार ने इस सदन में यह बिल ब्रूट मेजोरिटी के आधार पर पारित किया तो हम उसके खिलाफ विधान सभा के अंदर आपके सामने भी अपनी आवाज उठाएंगे और आपसे भी निवेदन करेंगे कि इनके गुनाहों में कम से कम आप शामिल न हों क्योंकि अभी तक आप इनके गुनाहों में शामिल नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बिल को वापिस ले और उसके विपरीत वहां पर जो पेड़–पौधे कम हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का इंतजाम करे। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर सरकार कान्त–एन्क्लैव या हुडा के सैक्टर्ज के लोगों के मकानों को बचाना चाहती है तो बेशक बचाए, लेकिन इसके एवज में अपनी जेब भरने के लिए और इस ईमानदारी के नाम के पीछे जो भ्रष्टाचार फैला रही है, वह काम सरकार को नहीं करना चाहिए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य को यदि इस बिल के किसी प्रावधान के ऊपर आपत्ति है या उनको कोई नीतिगत आपत्ति है तो ये उन बातों को यहां पर रखें ताकि वे सारी बातें इस चर्चा में आएं, जोकि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यदि माननीय सदस्य केवल मात्र सेंसेशनेलाइज करने के लिए कह रहे हैं कि मंत्रियों ने जमीनें खरीद ली हैं और वे भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो यह बात बिल्कुल गलत है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि अगर इनके पास ऐसा कोई भी

सबूत है तो ये उसे हमें दें। जब 10 साल इनकी सरकार थी और हमें इनसे किसी भी चीज में आपत्ति थी तो हमने जनता के साथ मिलकर अदालतों का दरवाजा खट–खटाया, हमें कहीं एफ.आई.आर. दर्ज करवानी पड़ी तो हमने एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई। अदालतों के फैसले आने के कारण ही आज इनकी पार्टी के लोगों पर सी.बी.आई और इ.डी. के केस चल रहे हैं। हुड्डा साहब को भी अदालत ने ही दोषी माना है जिसकी वजह से आज ये जमानत पर चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर इनके पास कोई भी सबूत हैं तो ये आपके समक्ष प्रस्तुत करें। मैं इनको कहना चाहता हूं कि अगर इनके पास कोई सबूत है तो ये सरकार के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवायें या फिर अदालत में जायें। अध्यक्ष महोदय, ये लोग वर्तमान सरकार पर झूठे आरोप लगाकर शूट एंड शट की पॉलिसी पर चल रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, आप कांग्रेस के माननीय सदस्यों को बेशक चर्चा करने का अवसर दें लेकिन ये लोग इस बात को भी सुनिश्चित करें कि ये झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर केवल मात्र मीडिया को लिखने और कहने का मौका नहीं देंगे। आज तक ये लोग अपनी एक बात भी साबित नहीं कर पाये हैं। हमारी सरकार के कार्यकाल का पांचवां साल चल रहा है और इनकी तरफ से हमारी सरकार के खिलाफ किसी थाने में कोई एफ.आई. आर. दर्ज नहीं करवाई गई है और न ही ये लोग अदालत में गये हैं। अगर इन लोगों को इस बिल में किसी भी प्रावधान पर आपति है तो हम उस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमें चर्चा करने में कोई एतराज नहीं है लेकिन इन लोगों को सरकार पर इस प्रकार से झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनके इस तरह के रवैये पर रोक लगाई जाये । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री जी स्पैसिफिक होना चाहते हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि अगर सरकार सैक्शन 3, सैक्शन 4 और सैक्शन 5 के तहत वहां के गैर मुमकिन पेड़ों और इकॉलोजी से जुड़े हुए सैक्शन में बदलाव कर रही है तो ऐसे बदलाव इनको नहीं करने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो जानना चाहते थे तो वह मैंने बता दिया है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री जी आपकी परमीशन से खड़े हुए हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है तो इस तरह की चर्चा करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमारा इस बिल पर डिस्कशन करने का राईट बनता है और हमारे प्वांयट्स के जवाब मंत्री जी को देने पड़ते हैं। इसमें इस प्रकार की चर्चा की कोई बात नहीं होती है। कहने का भावार्थ भी यही है कि सत्ता पक्ष या विपक्ष के सदस्यों की तरफ से जब कोई सुझाव

आये तो इन बातों का जवाब मंत्री जी बाद में देते हैं, यह सदन की मर्यादा है और एक मैम्बर होने के नाते से उसका पूरा राईट भी बनता है कि वह अपने प्वांयट्स सदन में रखें। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि यदि यह बात ये कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को बतायें तो बहुत अच्छा होगा? हम तो कह रहे हैं कि सुझाव दें लेकिन झूठ बोलकर और मनगढ़ंत आरोप लगाकर न दें । इन लोगों को सुझाव देने के लिए कहा गया है तो सुझाव ही दें। झूठ क्यों बोल रहे हैं? (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया है तो मुझे बोलने का मौका भी दिया जाये । जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो एक मैम्बर का पूरा राईट बनता है कि वह बिल पर अपनी बात रखें । (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं इन लोगों को कहना चाहूंगा कि इस तरह का राईट ये अपने ही साथियों को बतायें और अपना ज्ञान भी अपने ही साथियों को दें। क्या सारा ज्ञान दूसरों को देने के लिए है ? (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल में एक ऐसी अमैंडमैंट आई है, जिसके बारे में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हरियाणा में अरावली फुटेज हिल्स और शिवालिक फुटेज हिल्स ये दोनों हिल्स हमारे हरियाणा प्रदेश में एग्जिस्ट करती हैं । शिवालिक हिल्स में सॉयल मिली होने के कारण पेड़ों की नैचुरल ग्रोथ होती है। अध्यक्ष महोदय, आप अरावली हिल्स को देखने के लिए चले जायें तो आपको अरावली हिल्स में कोई ग्रीनरी नहीं मिलेगी, न ही पेड़ हैं, न ही फूल हैं और न ही कोई पौधा है। अध्यक्ष महोदय, आपको वहां पर केवल और केवल कोरी पहाड़ी के सिवाय कुछ नजर नहीं आयेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि वर्ष 1988–89 के समय में हमारे साथ पंडित श्री राम बिलास शर्मा जी मंत्री थे और मैं भी उस समय फोरेस्ट मिनिस्टर था तथा श्रीमती मेनका गांधी जी केन्द्र में मंत्री थी। हमने उस वक्त एक बात कही थी कि ये अरावली हिल्स का जो कोरा एरिया है उसमें ग्रीनरी होनी चाहिए। हमने इसके लिए काफी एफ्टर्स किए कि वहां पर कोई ग्रीनरी या वेजिटेशन इत्यादि हो। अध्यक्ष महोदय, श्रीमती मेनका गांधी जी ने सैंट्रल सैक्रेटेरियट में एक मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग में हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे। जिसके लिए मैंने सेंटर फोरेस्ट मिनिस्टर का सदन की तरफ से भी धन्यवाद किया था। उन्होंने अरावली

फुटेज हिल्स में वेजिटेशन के लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपये का बजट अलॉट किया था। हमने फोरेस्ट का अलग से डिवीजन भी बनाया था और यह निश्चय किया था कि अरावली हिल्स पर जो वैराईटी पैदा हो सकती थी तो उनके सीड्स हेलीकॉप्टर द्वारा वहां पर गिराये जाएं । अगर ऐसा हो जाता तो आज आपको पूरी अरावली हिल्स पर वेजिटेशन दिखाई देती। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा । पहली बात तो यह है कि हरियाणा की इकॉलोजी को मैंनेंटन करके रखना पड़ेगा और दूसरी बात यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है, वहां अत्यधिक गाड़ियां होने के कारण प्रदूषण का स्तर काफी ऊपर आ गया है जोकि चारों दिशाओं में फैल रहा है। मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता को भी अरावली वेजिटेशन से बहुत बड़ा फायदा पहुंच सकता है। आज जो थोड़ी बहुत वेजिटेशन अरावली हिल्स पर खड़ी भी हुई है तो उसका बहुत बड़ा कंटीब्यूशन हमारे प्रदेश का है, प्रदेश के बजट का है, प्रदेश की जनता का है और फोरेस्ट डिपार्टमेंट का है। ऑनरेबल स्पीकर सर, इस मामले में मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह रिक्वैस्ट है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए सदन की एक सर्वदलीय कमेटी का गठन किया जाये जो इस पूरे के पूरे मामले को थोरोली एग्जामिन करे। अगर वह कमेटी भी इस बिल को लाने की सिफारिश करे तो उसके बाद सरकार बेशक इस बिल को सदन में पास करवाने के लिए ले आएं फिर हम उसका विरोध नहीं करेंगे।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय स्पीकर सर, माननीय सदस्य डॉ. रघुवीर सिंह कादियान ने एक बहुत ही गम्भीर बात कही है। निश्चित तौर पर अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसकी जो बॉयोडॉयवर्सिटी है वो आधुनिक न होकर पूरी दुनिया की सनातन बॉयोडॉयवर्सिटी है। इतना ही नहीं यह बॉयोडॉयवर्सिटी सनातन होने के साथ ही साथ बड़ी रिच बॉयोडॉयवर्सिटी भी है। अरावली पर्वत श्रृंखला को पूरी तरह से प्रोटैक्ट करने के लिए वन विभाग, हरियाणा ने समय–समय पर बहुत से काम किये हैं। मेरा विपक्ष के माननीय सदस्यों से केवल मात्र इतना निवेदन है कि वे यहां पर यह बात पूरी तरह से स्पष्ट करें कि इस बिल के कौन से प्रावधान से अरावली के फॉरेस्ट कवर्ड एरिया में कहां पर कमी हो रही है और इस बिल के किस प्रावधान से अरावली पर्वत को कहां पर नुक्सान पहुंचाया जा रहा है? मैं कुल मिलाकर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि वे स्पष्ट रूप से यह बताने की कृपा करें कि इस बिल के किस

प्रावधान से अरावली पर्वत की बॉयोडॉयवर्सिटी में कहां और क्या नुक्सान हो रहा है या फिर फॉरेस्ट कवर्ड एरिया को कहीं पर कम किया जा रहा है? मैं यह मानता हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा इस मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए ही यह सारे का सारे हो–हल्ला मचाया जा रहा है जोकि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अगर विपक्ष के माननीय सदस्य वास्तव में ही कुछ कहना चाहते हैं तो ये बतायें तो सही कि इस बिल के इस प्रावधान के आ जाने से अरावली पर्वत श्रृंखला की यह क्षति हो जायेगी जिसके कारण से ये–ये नुक्सान हो जायेगा।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, हम यह कहना चाहते हैं कि यह बिल सरकार द्वारा इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि ये ऐसा करके हजारों करोड़ रूपये का माल हज़म करने की तैयारी में है। अगर हमारी पार्टी की सरकार आई तो हम यह सब इनके मुंह में से भी निकाल लेंगे।

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी, आपकी बात पूरी हो गई है इसलिए अब आप बैठ जायें और श्रीमती सीमा त्रिखा जी को अपनी बात कहने दें।

श्रीमती सीमा त्रिखा : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में कुछ बताना चाहती हूं क्योंकि इस अरावली पर्वत श्रृंखला का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी आता है।

श्री अध्यक्ष : सीमा त्रिखा जी, आप कृपया बिल के बारे में ही बोलें।

श्रीमती सीमा त्रिखा (बड़खल): आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बिल के बारे में ही बात कर रही हूं। सरकार द्वारा जो बिल की अमैंडमैंट यहां पर लाई जा रही है इसके प्रावधान के अभाव के कारण वहां की जनता बुरी तरह से त्रस्त है। मेरे इलाके में अरावली पर्वत श्रृंखला बड़खल लेक से सूरज कुण्ड तक फैली हुई है। इस सम्बन्ध में मैं अपने दो–तीन सवालों को सदन में रखना चाहती हूं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार द्वारा पिछले 14 साल का अरावली पर्वत श्रृंखला का डाटा निकलवाया जाये जिसमें यह पता लगवाया जाये कि 14 साल पहले अरावली पर्वत श्रृंखला की क्या स्थिति थी और वहां पर कितने मकान व कितने फार्म हाउसिज़ बने हुए थे? हमारी सरकार आने से पहले वहां पर कितनी बिल्डिंग्स बन गई थी और वे किसके आदेश पर बनी थी। मैं यहां पर यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरी पारदर्शिता से सरकार चला रहे हैं। वे इस मामले में भी पारदर्शिता लाना चाहते हैं जिसके लिए वे पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों की सलाह ले रहे हैं। मेरा यह कहना है कि पहले उन माननीय सदस्यों की बात

को सुना जाये जिनका यह मानना है कि यह बिल ऑब्जैशनेबल है फिर उसके बाद उन माननीय सदस्यों की बात को भी सुना जाये जो यह चाहते हैं कि इस बिल को हर हाल में पास किया जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, जिन लोगों की वहां पर विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनको हर रोज तंग किया जा रहा है। इसी इलाके में खोरी नाम का एक छोटा सा गांव भी आता है और इसी प्रकार से दूसरे गांव भी है जिनमें सरकार की तरफ से किसी भी मूलभूत सुविधा के लिए एक पैसा भी खर्च करने का प्रावधान नहीं किया जा सकता। वहां पर इस प्रकार की विभिन्न कंडीशंज लगी हुई हैं। मैं हर रोज़ इस प्रकार की बहुत सी समस्याओं से रूबरू होती हूं इसलिए सरकार से मेरा यह निवेदन है कि अगर सरकार किसी मामले में पारदर्शिता लाने के लिए कोई सामूहिक जनहितकारी काम करने जा रही है तो मैं समझती हूं कि सत्ता पक्ष के साथ ही साथ विपक्ष के सभी माननीय साथियों को भी निसंकोचपूर्वक पूरी ईमानदारी के साथ सरकार का सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, अगर जब किसी बिल के सम्बन्ध में on the floor of the House इस प्रकार की कोई कंट्रोवर्शियल डिस्कशन होती है तो उस स्थिति में मेरा आपसे निवेदन है कि Under Rule 301 to 311 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly में यह प्रॉविजन है कि अगर किसी बिल के ऊपर सदन में कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है तो उस स्थिति में एक सर्वदलीय कमेटी बनाकर उस बिल को उस कमेटी को एग्जामिन करने के लिए रैफर किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, शंकाओं को जन्म देकर कभी कोई चीज नहीं होती है अगर कोई तथ्य हो या एक्ट के किसी सैक्शन में कोई कंट्रोवर्सी हो तो वे सदन के सामने रखे जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हम बिल में यह अमेंडमैंट क्यों लाना चाहते हैं वह मैं स्पष्ट कर देता हूं। यह एक्ट वर्ष 1900 में बना था। जिस समय एक्ट बना उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां समान तो नहीं हो सकती हैं, दोनों ही समय अलग–अलग परिस्थितियां रही हैं। हो सकता है उस समय उस

एक्ट में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आती होगी लेकिन आज 120 साल बाद इस एक्ट के कारण कठिनाइयां आ रही हैं। आज के दिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एन.जी.टी. के जो निर्णय आ रहे हैं उन निर्णयों के कारण कठिनाइयां आ रही हैं और उन कठिनाइयों को देखते हुये ही आज इस बिल में ये प्रावधान किये जा रहे हैं। जो प्रावधान किये जा रहे हैं अगर उनमें किसी सदस्य को कोई आपत्ति हो तो बतायें कि इस प्रावधान में यह आपत्ति है। जो ऑरिजनल पी.एल.पी.ए. है उसके बारे में अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है जिसके बारे में दलाल साहब को भी जानकारी है, उस निर्णय के कारण कांत एनक्लेव और एक हुडा का सैक्टर भी प्रभावित होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जो लिखित है उसके अनुसार इस पी.एल.पी.ए. के अन्तर्गत 8–10 जिले ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी जमीन एक एक्ट के अन्तर्गत आ गई है। जो जिले उसके अन्तर्गत आते हैं उनमें पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, भिवानी, रोहतक का कुछ हिस्सा, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, गुरूग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिले हैं। अध्यक्ष महोदय, कई जिलों की तो टोटल की टोटल जमीन इस पी.एल.पी.ए. में आ गई है इवन कि एग्रीकल्चर लैंड भी उसमें आ गई है। अगर एग्रीकल्चर लैंड में भी हम कुछ करना चाहें तो वह भी नहीं किया जा सकता है। नई स्कीम्स तो शुरू हो ही नहीं सकती है बल्कि आजतक जो डिवैल्पमैंट प्लान पास हो चुकी हैं उन डिवैल्पमैंट प्लान में भी ये सारी चीजें लागू हो गई हैं कि आपने यह प्लान क्यों बनाया है। इन सभी शहरों में जो हुडा के सैक्टर्स बने हुये हैं वे भी क्वैश्चन मार्क में आ गये हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांत एनक्लेव और हुडा के एक सैक्टर के बारे में आया है लेकिन कल को इसी के बेसिज पर हुडा के बाकी सैक्टर्स भी इसमें आ जायेंगे और वे कहेंगे कि ये सभी सैक्टर्स गिरा दो। आज कांत एनक्लेव और हुडा के एक सैक्टर के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है और उनको गिराने में दिक्कत आ रही है। उन पर खर्च किया हुआ सारा पैसा किसको देना पड़ेगा, वह सारा पैसा सरकार को देना पड़ेगा। अगर ये सारे सैक्टर्स गिराये जाते हैं, ये सभी बिल्डिंग्ज गिराई जाती हैं तो जिन लोगों ने लाईसैंस लेकर बिल्डिंग्ज बनाई हुई हैं उन लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये लाईसैंस देने का काम कोई आज से तो शुरू नहीं हुआ है, पिछले 10 साल में कांग्रेस के शासनकाल में बिल्डिंग्ज के 1500 लाईसैंस दिये गये हैं, वे जो 1500 लाईसैंस दिये गये हैं और उनके द्वारा जो बिल्डिंग्ज बनाई गई हैं अगर कल को उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा

ही फैसला आ जाता है तो फिर हरियाणा तो मिट जायेगा, नहीं बच पायेगा। लाईसैंस हमने भी दिये हैं, सभी सरकारों ने लाईसैंस दिये हैं और उस समय उनको चैक करना चाहिए था लेकिन चैक नहीं किया गया। आज हम चैक कर रहे हैं और उसी के तहत इस बिल के माध्यम से जो भी प्रावधान हम ला रहे हैं वे मोटे तौर पर मैं इस महान सदन के सामने बता देता हूं। पहली बात तो यह है कि इसमें जो प्रावधान किये गये हैं उसके अलावा राज्य के किसी हिस्से को बाकी नहीं छोड़ा जायेगा। इसमें जो छोड़ा जा रहा है वह मैं बता रहा हूं। निम्नलिखित कैटेगरी की भूमि को इस एक्ट के प्रभाव से निकाला जाना प्रस्तावित हैः–

1. जो भूमि वास्तविक रुप में कृषि उपयोग में है। आज जो भूमि कृषि उपयोग में है उसको इसमें से बाहर कर रहे हैं।
2. अब तक सृजित या विकसित रेल, सड़कों, नहरों, सार्वजनिक संस्थाओ, सरकारी या सार्वजनिक स्थापनाओं सहित किसी सार्वजनिक अवसंरचना यानि इनफ्रास्ट्रक्चर या भविष्य में ऐसी सार्वजनिक अवसंरचना के विकास के लिए अपेक्षित हो, जो राज्य सरकार, समय–समय पर, अधिसूचित करे, उसका भागरुप बनने वाली भूमियां। जो इन्फ्रास्ट्रक्चर की भूमियां हैं उनको इसमें से छोड़ा गया है।(विघ्न)

क्या जो इन्फ्रास्ट्रक्चर की भूमियां हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए? जो रेलवे की लाईन बन गई, सड़कें बन गई, नहरें बन गई, फ्लाईओवर बन गये, उनको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? कल को इस पी.एल.पी.ए. के तहत तो आप ये सभी काम भी नहीं कर सकते हैं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सभी दस्तावेज हैं। क्या आज जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं उस एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ना गलत है?

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, पी.एल.पी.ए. में एग्रीकल्चर लैंड तो पहले ही छोड़ी हुई है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी को बताना चाहूंगा कि पी.एल.पी.ए. में यह लिखा हुआ है कि कालका तहसील की पूरी जमीन पी.एल.पी.ए. में आज है।

श्री करण सिंह दलाल : मुख्यमंत्री जी, अगर अरावली क्षेत्र की एग्रीकल्चर लैंड फाईनल डिवैल्पमैंट प्लान में आती है तो क्या पी.एल.पी.ए. एक्ट वहां खेती बाड़ी करने से रोक सकता है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : दलाल साहब, जो एग्रीकल्चर लैंड फाईनल डिवैल्पमैंट प्लान में आती है उस पर पी.एल.पी.ए. एक्ट खेती बाड़ी करने से रोक सकता है । (शोर एवं व्यवधान) अगर आज हम उस लैंड को सुनिश्चित कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है ?(शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : मुख्यमंत्री जी, दिक्कत इस बात की है कि उस जमीन का सौदा हजारों करोड़ रुपये में हुआ है ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : दलाल साहब, मैंने अभी दो बातें बतानी हैं जिनको इस एक्ट से निकाला जाना प्रस्तावित है । (शोर एवं व्यवधान) मुझे पूरा बताने दो । अगर आपको कोई गड़बड़ नजर आती है तो आप उसको चैक करवा लें ।(शोर एवं व्यवधान) मैं आपको तीसरी बात बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार के विभिन्न एक्ट के तहत अब तक फाईनल डिवैल्पमैंट प्लान में जो एग्रीकल्चर लैंड अन्तिम विकास योजनाएं या किसी नगर सुधार योजनाओं की स्कीम में शामिल है वह जमीन तो छोड़नी पड़ेगी । अगर वह लैंड विकास योजनाओं की स्कीम के अन्तर्गत नहीं छोड़ी जाएगी तो फिर हम इस सारी लैंड को पी.एल.पी.ए. एक्ट में डाल सकते हैं और जब वह सारी लैंड पी.एल.पी.ए. एक्ट में डल जाएगी तो फिर उस लैंड को खेती बाड़ी के काम में नहीं लाया जा सकता है।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : मुख्यमंत्री जी, यह सारी की सारी जमीन अरावली क्षेत्र की है । आप उस जमीन का सौदा करके वहां के किसानों को बर्बाद करने का काम मत कीजिए । मुख्यमंत्री जी, आपको गुमराह किया गया है ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : किरण जी, हमें कोई गुमराह नहीं कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, आप उसकी चिन्ता मत कीजिए । (शोर एवं व्यवधान) मैं ऑन दि फ्लॉर ऑफ दि हाऊस पर बोल रहा हूं कि अगर इस फाईनल डिवैल्पमैंट प्लान में कोई गलती है तो आप उसको चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एन.जी.टी. या एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड में कहीं पर भी चैलेंज कर सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अगर कल को कोई भूचाल आ गया तो हमारे बाल बच्चे कहां जाएंगे ? आपके तो बाल बच्चे हैं नहीं ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, प्लीज आप बैठिए । आप 45 मिनट बोल लिए हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : दलाल साहब, मेरा तो ढ़ाई करोड़ बाल बच्चों का परिवार है । आप चिन्ता मत कीजिए । आपकी बात बिल्कुल गलत है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी सांपला किलोई) : अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में बहुत सारी बातें कही गई हैं और बहुत सारी बातें सब समझ भी रहे हैं । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह बहुत सीरियस मामला है इसलिए इस पर इनको विधान सभा की एक कमेटी बनाने में क्या एतराज है? मुख्यमंत्री जी, आप इस बारे में एक ऑल पार्टी कमेटी बना दीजिए वह अपने आप इस मामले को एग्जामिन कर लेगी। इसमें आपको क्या दिक्कत है ? इसमें इतनी जिद्द वाली तो बात ही नहीं है ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जब सरकार सच्चे व साफ मन से काम कर रही है तो हमें किसी के आरोप की कोई चिन्ता नहीं है कि हमारी इंटीग्रेटि पर कोई प्रश्न चिन्ह करेगा । जब यह सरकार साफ मन से लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर है तो उसके लिए हमें जो प्रावधान करने पड़ेंगे तो हम करेंगे । आज अगर किसी पार्ट में, किसी प्रावधान में, किसी एक्ट में, किसी भी धारा में कोई अड़चन बनी हुई है तो उस अड़चन को दूर करने का काम इस सदन का है, इस सरकार का है जो हम जरूर करेंगे ।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : मुख्यमंत्री जी, यह इतना गम्भीर मसला है फिर भी सरकार इस पर गम्भीर नहीं है ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है ? मुख्यमंत्री जी, आने वाले समय में आपके इस फाईनल डिवैल्पमैंट प्लान का परिणाम बहुत गम्भीर होगा इसलिए आप इस बारे में एक लैजिस्लेटिव कमेटी बना दीजिए जो इस मामले को एग्जामिन कर लें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, पहले आप सरकार का जवाब तो सुन लीजिए । प्लीज आप बैठ जाइए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : किरण जी, आप पहले जवाब सुन लें । मैं पहले आपकी बात का जवाब देता हूं । इसके बाद जो सदन चाहेगा उस पर हम विचार करेंगे ।(शोर एवं व्यवधान) अभी आपने मेरा पूरा जवाब सुना नहीं है । हमारी सरकार ने अभी जो प्लान किया है वह भी सुन लीजिए । मैं यह केवल आपको ही नहीं सुना रहा हूं । इसके बारे में मुझे प्रदेश की जनता को भी बताना है । हमारी जो जिम्मेदारी है वह जनता के प्रति है ।(शोर एवं व्यवधान) मैं एक ऐसा ही केस बताता हूं कि मांगर बणी गांव की जमीन का पी.एल.पी.ए. एक्ट के तहत कन्ट्रोल नहीं था, जिसके लिए आप लोगों ने एक प्रस्ताव भी दिया हुआ था कि मांगर बणी गांव की 50 मीटर की बाउंड्री को एन.सी.जैड बनाया जाए लेकिन हमने कहा कि मांगर बणी गांव की जमीन पर अगर पी.एल.पी.ए. एक्ट नहीं भी लगता है तो भी बाउंड्री के लिए 50 मीटर का एरिया बहुत कम है इसलिए हमने मांगर बणी को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री का एरिया 500 मीटर किया है और मांगर बणी की दीवार से 500 मीटर की दूरी बनाये रखने के प्रावधान के कारण ही मांगर बणी बचाया जा सका है। कहने का भाव यह है कि जब सरकार मांगर बणी को बिना पी.एल.पी.ए. के भी बचा सकती है तो हमारी सरकार फॉरेस्ट को बचाने के लिए और कदम भी उठा सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

13:00 बजे

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यदि मांगर बणी की जो 50 मीटर की कंडीशन थी तो उस कंडीशन को पार करके लोग मांगर बणी के अंदर क्यो घूस गए थे? बाउंड्री तो पूरे देश को भी रोक सकती है। जब यहां बाउंड्री थी और 50 मीटर की कंडीशन थी तो लोगों को अंदर घुसने से रोकने के लिए यह कंडीशन बहुत थी। 500 मीटर का प्रावधान करके सरकार ने कोई बड़ा काम करके नहीं दिखाया है जो इस बात के इतने ढोल पीटे जा रहे हैं। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, एल.ओ.सी. तो दो देशों के बीच में भी होती है लेकिन बावजूद इसके दुश्मन को रोकने के लिए सेनाएं तैनात होती हैं। मतलब बाउंड्री अपना काम करती है और मैनफोर्स अपना काम करती है। जहां तक मांगर बणी की बात है ठीक है यहां पर बाउंड्री का प्रावधान है लेकिन यहां पर कोई चौकीदार का प्रावधान नहीं है जिसका फायदा उठाकर कोई भी इस बांउड्री के अंदर जाकर एंक्रोचमैंट कर सकता था इसलिए 500 मीटर की एक पर्याप्त दूरी

बनाकर इस मांगर बणी को संरक्षित करने का काम किया गया है।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हमारी भी सरकार रही है, हमने भी मंत्री रहते हुए विभागीय कार्य देखे हैं। एक तरफ अरावली हिल्स खत्म होने के कगार पर है वही दूसरी ओर सरकार अपने हितों को साधने के लिए अरावली क्षेत्र में भी सेंध लगाने का काम करने जा रही है। यह ठीक नही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः किरण जी, प्लीज बैठिए और सदन के नेता को अपनी बात रखने दें? जब आपको मौका दिया जायेगा तब आप अपनी बात रख लेना।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अब तक का जो पी.एल.पी. एक्ट है, इसमें यह प्रावधान नहीं था कि मान लो जैसे किसी जमीन को पी.एल.पी. एक्ट के दायरे में लाना है तो जमीन का मालिक चाहे वह प्राईवेट हो या सरकारी हो, उसकी जमीन को पी.एल.पी.ए. में लाने के लिए नोटिस देने के बाद, संबंधित मालिक की सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को ऑब्जैक्ट करता हूँ। मेरे पास यह पुराने वाला एक्ट है जिसमें सुनवाई का प्रावधान दिया गया है। मैं इसको पढ़कर सुनाता हूँ:– वर्ष 1900 में जो पी.एल.पी. एक्ट पास हुआ था उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि :–

> "Proclamation of regulations, restrictions and prohibitions and admission of claims for compensation for rights which are restricted or prohibited.
>
> ...the Deputy Commissioner shall cause public notice of the provisions of such general or special order to be given, and if the provisions of any such order restrict or prohibit the exercise of any existing rights, shall also publish in the language of the country and in every town and village the boundaries of which include any portion of the area within or over which the exercise of any such rights is so restricted or prohibited a proclamation stating the regulations, restrictions and prohibitions which have been imposed, by any such order, within the limits of such area or in any part or parts thereof; fixing a period of not less than three months from the date of such proclamation,..."

सारे प्रावधान इस पुराने वाले एक्ट में दिए गए हैं। एक डिप्टी कमिश्नर अपने लैवल पर कार्रवाई करते हुए सरकार के प्रावधानों को भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है तो इस प्रकार से देखें तो सरकार बेवजह विधान सभा को तकलीफ दे रही है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, पी.एल.पी. एक्ट के अब तक के प्रावधान के अनुसार अगर किसी एरिया को नया नोटिफाई करना है, उसका प्रावधान पी.एल.पी. एक्ट में नहीं किया गया है बल्कि एरिया नोटिफाई होने के बाद अगर उस एरिया की उपयोग संबंधी कोई प्लानिंग बनती है और उस एरिया को उपयोग करने की बाबत अगर कोई एप्लाई करता है तो इस तरह के प्रावधान के लिए पी.एल.पी. एक्ट में संशोधन करने के लिए इस बिल को सदन में पेश किया जा रहा है। अब तक यह प्रावधान था कि मान लो कोई एरिया नोटिफाई करना है तो वह यूनिलेटरली एक एक्ट के अनुसार ही नोटिफाई हो सकता था लेकिन अब नए पी.एल.पी. एक्ट के संदर्भ मे जो संशोधित बिल पेश किया जा रहा है इसके सैक्शन–3 के अंतर्गत जो प्रावधान जोड़ा जा रहा है, अगर इस प्रावधान को आप लोग गहराई से देखें तो पायेंगे कि पहले में अब में इसमें कितना अंतर है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संशोधन इसलिए किए जाते हैं कि पहले कोई आपत्ति फेस हुई है और भविष्य मे इस तरह की आपत्ति दोबारा फेस न हो इस तरह की हालत में समय समय पर संशोधन किए जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आप इस मामले में विधान सभा की एक सर्वदलीय कमेटी बना दो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस संबंध में एक सर्वदलीय कमेटी बना देनी चाहिए यह सर्वदलीय कमेटी इसको एग्जामिन कर लेगी और उसके बाद कोई शंका नहीं रहेगी। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, कादियान जी को सर्वदलीय कमेटी बनाने का भी जवाब मिल जायेगा लेकिन इससे पहले इनको पी.एल.पी.ए. के संदर्भ में जो संशोधन सरकार लेकर आ रही है, उसको सुनने का काम करना चाहिए। अभी का जो पी. एल.पी.ए. है अगर उसकी नोटिफिकेशन हो जाती है तो उस नोटिफिकेशन में अगर कोई रेक्टीफिकेशन करनी है, मोडीफिकेशन करनी है या उस नोटिफिकेशन में कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको रेक्टीफाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, एक्ट में कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, एक्ट की नोटिफिकेशन करते समय गलती से कोई मिस्टेक हो भी जाती है, इसलिए आज हम इस एक्ट में यह प्रावधान कर रहे हैं कि यदि नोटिफिकेशन में कोई गलती हो जाती है और यदि कोई चीज रैक्टीफाई करनी है या किसी डिफिक्लटीज को दूर करना है तो उसके लिए हम अलग से प्रावधान करके सैक्शन 6A और सैक्शन 18A इस एक्ट में डाल रहे हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता को सरकार के ऑफिसर्ज गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि पंजाब भू–परिरक्षण अधिनियम, 1900 में सारा का सारा उसमें प्रावधान किया हुआ है। यदि इसमें छेड़खानी की गई तो यह हरियाणा के लिए काला दिन साबित होगा।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता बहुत ही गंभीर बातें इस एक्ट को लेकर सदन में कह रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज दो। इसी प्रकार से डॉ0 कादियान, बहन किरण चौधरी, श्री करण सिंह दलाल आदि मैम्बर्ज कह रहे हैं कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी में भेज दो। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के किस क्लॉज में माननीय सदस्यों को ऐतराज है? (विघ्न)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग है कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी में भेज दो। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सदन के अंदर एक्ट में अमेंडमैंट के लिए सारे के सारे प्रावधान रख दिए हैं। सिलैक्ट कमेटी में एक्ट तभी भेजा जाता है जब माननीय सदस्य यह कहे कि हमें इस एक्ट के स्पेसिफिक क्लॉज में ऐतराज है और उसमें परिवर्तन होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, हमें पी.एल.पी.ए. के संशोधन पर ऐतराज है। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, यदि हरियाणा में किसी ने भी अर्जी दी हो कि पी.एल.पी.ए. बदला जाए तो हमें बताया जाए। यह केवल हरियाणा सरकार की एक साजिश है। बिल्डर्ज के साथ हजारो–करोड़ रुपयों की रिश्वत का हरियाणा सरकार का सौदा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमारे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़

करने के लिए ही यह काला कानून बना रहे हैं, इसलिए हम किसी भी सूरत में यह बिल पास नहीं होने देंगे। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी इतना गंभीर आरोप हमारी सरकार पर लगा रहे हैं, इसके लिए हमें कठोर आपत्ति है। (विघ्न) विपक्ष द्वारा बिना तथ्यों के लगाए गए आरोपों से हमें डरने की आवश्यकता नही है। मैं तो केवल उस संदर्भ की बात कर रहा हूँ जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का हवाला है और जिसके बारे में कहा गया था कि कांत इन्क्लेव और हुडा के सैक्टर उस निर्णय में आए हैं। उसको छोड़ने के लिए यदि ये ऐसा करते हैं तो बेशक करें। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के माध्यम से हम तो उस अंदेशे को दूर करना चाहते हैं कि यदि इस प्रकार के निर्णय और बड़ी मात्रा में आ गए तो हम माननीय उच्चतम न्यायालय में जवाब भी नहीं दे पायेंगे। पिछली सरकारों के समय में ऐसे जितने भी लाइसैंस दिए गए हैं यदि उनको माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय के साथ ही अवैध कर दिया तो वह आदेश सारे हरियाणा के स्ट्रक्चर को धूमिल कर देगा। (विघ्न) हरियाणा के इस स्ट्रक्चर को बचाने के लिए ये प्रावधान लाए जा रहे हैं, इन प्रावधानों के अन्तर्गत हम कहीं किसी को अनर्थ रूप से कोई छूट नहीं देने जा रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह मोडीफिकेशन केवल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर किया जा रहा है । इस अमैंडमैंट के लिए हमें किसी भी दुकानदार, किसान या लैंडलॉर्ड ने संपर्क नहीं किया है । हम इस बिल में केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर अमैंडमैंट कर रहे हैं ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे निवेदन है कि इस बिल को पास न किया जाए और इसको वापिस ले लिया जाए । अगर आप इसको पास करेंगे तो हम इसके विरोध में सदन से वॉकऑउट करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, आप प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाइये ।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस बिल को पास न करें और इसके लिए सदन की एक सर्वदलीय कमेटी बना दें जो इसको एग्जामिन करे ।

श्री अध्यक्ष : परमेन्द्र सिंह जी, आप प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाइये ।

(इस समय इण्डियन नैशनल लोक दल एवं इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने पंजाब भू–परिरक्षण (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019 को वापिस ने करने के विरोध में नारेबाजी करनी शुरू कर दी ।)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि पंजाब भू–परिरक्षण (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा ।

सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉजिज 2 से 10

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 10 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब वन एवं वन्य प्राणी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

वाक आउट

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप सदन में हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और न ही सरकार इस बिल को वापिस ले रही है। इसलिए इस बिल को पास करने के विरोध में हम सदन से वॉकऑउट करते हैं।

(इस समय इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य पंजाब भू–परिरक्षण (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019 को पास करने के विरोध में सदन से वॉकआउट कर गए ।)

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ ।)

.....

(iii) दि इलैक्ट्रिसिटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2019

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री विद्युत (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे और यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि विद्युत (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विद्युत (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विद्युत (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज –2

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि विधेयक पारित किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : स्पीकर सर, यह जो विद्युत (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019 अमैंडमैंट के लिए सदन में लाया गया है, इसके बारे में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडाः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः महीपाल जी, प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, बिल तो पारित हो चुका है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, यह बिल अभी पारित नहीं हुआ है इसलिए आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया है।

श्री अध्यक्षः करण सिंह जी, आप अपनी बात रखें। अभी बिल पास नहीं हुआ है।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, इस बिल में यह अमैंडमैंट की जा रही हैं कि अगर किसी परिसर में छापेमारी के दौरान किसी प्रकार की अनियमितताएं पायी जाती हैं तो पहले इस बारे में यह प्रावधान था कि अपील में जाते समय 50 प्रतिशत अमाउंट जमा करवायी जाती थी परन्तु अब सरकार उस राशि को घटाकर 1/5 प्रतिशत कर रही है इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आज हरियाणा सरकार ने पॉवर विभाग में एक ऐसे पुलिस अधिकारी को बैठा रखा है जो किसान, छोटे कर्मचारी और रिक्शा चलाने वाले लोगों के घरों पर छापेमारी करवा रहा है।

श्री अध्यक्षः करण सिंह जी, आपकी इस बात का इस बिल की अमैंडमैंट से कोई संबंध नहीं है।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, आज जो आम किसान हैं, आम दुकानदार हैं और गरीब आदमी हैं, उनके घरों पर प्रत्येक दिन छापेमारी की जाती है। पॉवर डिपार्टमैंट का इतना बुरा हाल है कि अगर कहीं पर छापेमारी करनी होती है तो उसके लिए लोगों के घरों पर निशान लगाये जाते हैं और यह देखा जाता है कि कौन व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का है कौन व्यक्ति लोकदल का है, उसी हिसाब से छापेमारी की जाती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पारित हुआ।)

.....

(iv) दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2019

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब विकास एवं पंचायत मंत्री हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे और यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज –2

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–3

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब विकास एवं पंचायत मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि विधेयक पारित किया जाए।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बिल में सुझाव है कि इस बिल में अमैंडमैंट होने से लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ होगा। अखबारों और मैगजीन्ज में बहुत से आर्टिकल्ज आये हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जिन एरियाज में कम्युनिकेशन वाले टॉवर्ज लगे हुए हैं, वहां पर बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। ये टावर्ज पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए और इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। आज मात्र केवल रिलायंस कम्पनी और दूसरी बड़ी–बड़ी कम्पनीज जो इस टैली कम्युनिकेशन सिस्टम में सरकार को अपने इशारों पर नचा रही हैं। गांवों और रिहायशी ईलाकों में टॉवर्ज लगाने की इजाजत देने के लिए इस बिल में अमैंडमैंट किया जा रहा है। यह काम केवल पैसों के लिए किया जा रहा है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि टॉवर्ज लगाने से संबंधित एरियाज में रहने वाले लोगों के जीवन को कोई खतरा नहीं होगा, क्या इस बारे में सरकार के पास विभाग की रिपोर्ट है ? सरकार को

प्रदेश की जनता को बचाने के लिए नये कानून बनाने चाहिए परन्तु यह बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार लोगों की जान को खतरे में डालकर ऐसे कानून बना रही है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस बिल को अलग समझ लिया है और हम इस बिल में अलग परिवर्तन कर रहे हैं ? अगर माननीय सदस्य को पता है कि यह बिल किस बारे में लाया गया है तो वे सदन में बता दें? माननीय सदस्य बिना जानकारी के ही ये बातें कह रहे हैं।

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इंडिस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पमैंट अथॉरिटी जो है, वह एक बड़े लैवल की अथॉरिटी है जो यह तय करेगी कि टावर कहां पर लगाये जाने चाहिएं। अभी तक टावर्ज लगाने की अथॉरिटी पंचायती राज संस्थाओं के पास थी, जिसके कारण टावर्ज मन–मर्जी से कहीं भी लगा दिये जाते थे। मैं माननीय सदस्य को यह भी बता देना चाहता हूं कि इससे जो पैसा आएगा, उसका 75 परसैंट पंचायत, 15 परसैंट ब्लॉक समिति और 10 परसैंट जिला परिषद के पास जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि टावर्ज कहां पर लगाये जाने चाहिएं, उसकी अथॉरिटी पंचायतों को न देते हुए, एक स्टेट लैवल की अथॉरिटी को दी जाएगी और वह अथॉरिटी यह तय करेगी कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कहां पर टावर्ज लगने चाहिएं और कहां पर नहीं लगने चाहिएं, इसलिए मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम बैटरमैंट के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

V. दि हरियाणा क्लीनिकल इस्टैब्लिशमैंट्स (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) अडॉप्शन (अमैंडमैंट) बिल, 2019

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अंगीकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अंगीकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अंगीकरण (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अंगीकरण (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अंगीकरण (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

सब क्लॉज–2 ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि सब क्लॉज–2 ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–2

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लॉज–1 ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि सब क्लॉज–1 ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब स्वास्थ्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

VI. दि पंजाब कोर्ट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2019

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री, पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज–2

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–3

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉज–3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

(vii). दि हरियाणा अकांउटबिलिटी ऑफ पब्लिक फाईनैंसिज़ बिल, 2019

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

सब क्लॉज–2 ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज–2 ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉजिज 2 से 8

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 8 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब क्लॉज–1 ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज–1 ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

(viii). दि पंजाब लेबर वैल्फेयर फंड (हरियाणा अमैंडमैंट) 2019

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज–2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

(ix) दि पंजाब एक्साईज़ (हरियाणा वैलिडेशन) बिल, 2019

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब आबकारी व कराधान मंत्री, पंजाब आबकारी (हरियाणा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधयेक पर तुरंत विचार किया जाए।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : स्पीकर सर, पंजाब आबकारी (हरियाणा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि पंजाब आबकारी (हरियाणा विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि पंजाब आबकारी (हरियाणा विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो अमैंडमैंट बिल लाये हैं और इस बिल को यहां पर लाने का जो मकसद है वह मैं आपके मार्फत सदन के लोगों को बताना चाहता हूं। पिछले दिनों अपनी जेबों को भरने के लिए इन्होंने एक ऐसा कानून बनाया कि जो विदेशी शराब प्रदेश के अंदर आती है जिसका पहले बाकायदा टैण्डर हुआ करता था उस दौरान जो भी ज्यादा ठीक तरीके से अपने दावे प्रस्तुत करता था उसको यह टैण्डर मिल जाता था। कैप्टन साहब हर बार यही कहते हैं कि यहां पर अगर कोई बात कही जाये तो उसका कोई सबूत दिया जाये। आज ये खुद ही सबूत दे रहे हैं। स्पीकर सर, इस मामले में ई.टी.सी. जो कम्पीटैंट नहीं था लेकिन उनको भी नौकरी करनी होती है और उनके भी अपने हित होते हैं। यह जानते हुए भी एक व्यक्ति को इस तरह से सारे काम का जिम्मा देने का गलत कार्य वह नहीं कर सकता, उसने सरकार के दबाब में आकर यह कार्य किया क्योंकि इससे मंत्री जी और कई अन्य लोगों की बहुत बड़ी कमाई हो रही थी। इस प्रकार एक व्यक्ति को हरियाणा में विदेशी शराब का धन्धा करने का काम दे दिया गया। इस मामले में जो दूसरे सम्बंधित लोग थे वे उस व्यक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी और सरकार की बात को ठीक माना। स्पीकर सर, फिर वे लोग सुप्रीम कोर्ट चले गये। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही उस केस के पन्नों को पढ़ा तो उसने अपनी नाराजगी जाहिर की और सरकार के इस काले कानून को निरस्त करते हुए यह कहा कि यह तो Ultra virus of the Law है। अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति ने सरकार के संरक्षण की वजह से अपनी और दूसरे लोगों की जेबों को भरा तथा प्रदेश के बहुत से लोगों के लिए जो धंधा करने का एक मौका था उसको समाप्त किया।

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी, आप इस बिल में क्या बदलवाना चाहते हैं?

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अब मंत्री जी यहां पर यह बिल पास करवाकर रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से इसे लागू करना चाहते हैं। यह काम करना तो था गवर्नमैंट को लेकिन गवर्नमैंट ने इस कार्य को न करके इसे ई.टी.सी. से करा

दिया। अब इस गलती को दुरूस्त करने के लिए मंत्री जी कह रहे हैं कि इस कानून को रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप यह बतायें कि इस बिल में आप क्या चेंज करवाना चाहते हैं?

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उस ई.टी.सी. के खिलाफ और हमारे एक्साईज़ एण्ड टैक्सेशन मिनिस्टर के खिलाफ करप्शन का मुकद्दमा दर्ज़ होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप यह बतायें कि आप इस बिल में क्या बदलाव करवाना चाहते हैं? मैं आपसे यही बार–बार पूछ रहा हूं लेकिन आप वह नहीं बता नहीं रहे हैं।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी आर्य समाजी होने का ढ़ोंग करते हैं और हवन करके हरियाणा की विधान सभा में आते हैं। हम इनके पिता का बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वे एक सच्चे आर्य समाजी थे। उन्होंने आर्य समाज के सिद्धान्तों का प्रचार किया लेकिन उनका यह बेटा आज मंत्री होकर ***

श्री अध्यक्ष : अभी जो श्री करण सिंह दलाल जी ने वित्त मंत्री जी के बारे में कहा है उसको रिकार्ड न किया जाये। दलाल जी, आप जो कह रहे हैं वह सही नहीं है।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष जी, हम माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी की जितने इज्जत करते हैं ये उतने ही निर्लज्ज होते चले जाते हैं। यह इनकी एक ऐसी मुसीबत है कि जैसे–जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है इनकी निर्लज्जता भी बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष जी, मेरा माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी से निवेदन है कि ये हाउस से जायें ना बल्कि मेरा जवाब सुनकर जायें। यह मेरी इनसे प्रार्थना है। अध्यक्ष जी, आज हम ये बिल लेकर आये हैं। माननीय सदस्य की यह बात सही है कि जो उन्होंने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर में यह कहा कि सरकार द्वारा जो नियम बनाया गया था यह नियम जिस कानून के तहत बना है उसमें अधिकार क्षेत्र सरकार का था लेकिन एक्साईज़ एण्ड टैक्सेशन कमिश्नर ने सरकार के उस अधिकार का उपयोग किया इसलिए टैक्नीकल ग्राउण्ड पर माननीय सुप्रीम

*** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।**

कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय सरकार को करना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1970 से लेकर के आज तक इस कानून के तहत जो सारी की सारी पॉवर्ज़ सरकार की हैं हमारी सरकार आने से पहले बहुत सी सरकारें आई शराब के सारे के सारे ठेके के लाईसैंसिज़ देने की पूरी प्रक्रिया के सरकार के पूरे अधिकार का उपयोग ई.टी.सी. ने ही किया था चूंकि यह एक टैक्नीकल प्वॉयंट था और हमारी सरकार ने आकर के एक नया प्रावधान किया जिसके तहत हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक्साईज़ की पूरी प्रक्रिया को ऑन–लाईन किया और इसी प्रकार से सारे परमिट की प्रक्रिया को भी ऑन–लाईन किया। सरकार द्वारा इस मामले में बरती गई ट्रांसपैरेंसी से सरकार का रेवेन्यू बढ़ा। शराब के ठेकों की जो हर साल खुले में ऑक्शन की जाती थी हमने उसको बंद करके शराब के ठेकों की ऑक्शन को भी ई–टैंडरिंग के माध्यम से करने का प्रावधान किया। अध्यक्ष महोदय, हमने एक फैसला और किया है कि जो विदेशी शराब हरियाणा में कंज्यूम होती थी उस पर जितना रेवेन्यू हरियाणा में आना चाहिए था हमें लगा कि उतना नहीं आ रहा था। (विघ्न) हमने कांग्रेस सरकार के शासनकाल का पिछले कई सालों का विदेशी शराब का रेवेन्यू देखा तो हमने पाया कि साल में केवल 20–25 करोड़ रुपये रेवेन्यू ही आता था। हमने कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला है और उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए हमने कहा कि विदेशी शराब के लिए अलग से लाईसेंस दिया जायेगा तथा वह भी ऑक्शन की प्रक्रिया से दिया जायेगा ताकि हमें यह इंश्योर हो जाये कि हमारे खजाने में रेवेन्यू आयेगा। हमने ऑक्शन की और पिछली सरकारों में जो रेवेन्यू 27 करोड़ रुपये आता था, सिंगल बिड के माध्यम से जो पार्टी आई उससे 110 करोड़ रुपये का रेवेन्यू पहले साल में ही हमें प्राप्त हुआ है जो कि पिछले रेवेन्यू के मुकाबले लगभग 4 गुणा अधिक है। हम इस सिस्टम में पारदर्शिता कर रहे हैं और इनको तकलीफ हो रही है। इसी कारण से ये निर्लजता से झूठे आरोप लगाते हैं। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद इस साल फिर से ऑक्शन की गई है और चालू वित्त वर्ष 2019–20 में भी लगभग 120 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त होगा। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक टैक्निकल प्वाइंट पर इनवैलिडेट किया था उसके वैलिडेशन का अधिकार मांगने के लिए हमने यह अमैंडमैंट प्रपोज की है। मैं आपके माध्यम से मेरे साथी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इतनी बेशर्मी से इतने गंदे आरोप न लगाया करें। इतनी बेशर्मी से झूठे आरोप लगाते हैं, इनको परमात्मा भी देखता होगा, इनके परिवार के सदस्य भी देखते होंगे कि ये कैसे

आदमी हैं जो सदन में जाकर झूठ बोलते हैं, मनगढंत बातें करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी श्री करण सिंह दलाल को चुनौती देता हूं कि अगर उनके अन्दर हिम्मत है तो वे एक भी सबूत लेकर आयें कि इसमें कमीशन खाया गया है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि पंजाब आबकारी (हरियाणा विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब आबकारी व कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

.....

(x) दि हरियाणा म्यूनिसिपल ऐन्टरटेनमैंट ड्यूटी बिल, 2019

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगी तथा यह भी प्रस्ताव करेंगी कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क विधेयक, 2019 प्रस्तुत करती हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं –

कि हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

सब–क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि सब–क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब–क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि सब–क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉजिज 2 से 22

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 22 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब–क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि सब–क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

(xi). दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2019

श्री अध्यक्ष : अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगी कि इस बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करती हूं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं –

कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज–2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–3 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए ।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(विधेयक पारित हुआ)

(xii). दि हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2019

श्री अध्यक्ष : अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगी तथा यह भी प्रस्ताव करेंगी कि इस बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करती हूं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं –

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज–2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए ।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(विधेयक पारित हुआ)

(xiii). दि हरियाणा मैनेजमेंट ऑफ सिविक एमेनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट म्युनिसिपल एरियाज (स्पेशल प्रोविजंस) अमैंडमैंट बिल, 2019

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगी तथा यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2019 प्रस्तुत करती हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ–

> कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

> कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

सब क्लॉज 2 ऑफ क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

> कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लाज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लॉज 1 ऑफ क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लाज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पारित हुआ)

.....

(xiv). दि हरियाणा राइट टू सर्विस (अमैंडमैंट) बिल, 2019

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ–

कि हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पारित हुआ)

.....

लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार के उप कुलपति तथा उनकी टीम के सदस्यों का अभिनन्दन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आज लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वैट्रिनरी एंड ऐनीमल साइंसिज, हिसार के उप कुलपति एवं उनकी टीम के सदस्यगण, सदन की कार्यवाही को देखने के लिए अति विशिष्ट दीर्घा में बैठे हुए हैं। मैं पूरे सदन की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(XV). दि हरियाणा गैस्ट टीचर्स सर्विस बिल, 2019

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शिक्षा मंत्री हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं यह बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले आपकी अनुमति से इस बिल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। दिनांक 13 अगस्त, 2014 को कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के दिल्ली स्थित पंत मार्ग निवास के बाहर अतिथि अध्यापक अपनी मांग को लेकर यानी रैगुलर होने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं भी एक पुराना अध्यापक रहा हूँ। मैंने इन अतिथि अध्यापकों के बारे में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा से अनुरोध किया था कि अगर अगले 12 घंटे में इनको आमरण अनशन से नहीं उठाया तो गंभीर परिणाम निकलेंगे क्योंकि उस आमरण अनशन में शामिल चार अध्यापिकाएं हॉस्पिटलाइज थीं। इसके बाद हुड्डा साहब ने उनको 12 घंटे के अंदर आमरण अनशन से उठा दिया था। अध्यक्ष महोदय, हमने इन अतिथि अध्यापकों को कहा था कि कभी हम सरकार में आए तो हम आपकी सेवाओं को पक्का करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से आज यह विधेयक सरकार लेकर आ रही है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) अध्यक्ष महोदय, अतिथि अध्यापकों को वर्ष 2004 में 50 रुपये प्रति पीरियड के हिसाब से मिलते थे। वर्ष 2005 में इनके प्रति पीरियड के 50 रुपये की जगह 70 रुपये कर दिया गया। वर्ष 2009 में अतिथि अध्यापकों की तनख्वाह 13500 रुपये प्रति माह कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने आते ही अतिथि अध्यापकों की तनख्वाह 36000 रुपये प्रति माह कर दी। (इस समय

मेजें थपथपाई गईं।) अध्यक्ष महोदय, इस बिल के लिए हमारी सरकार गौरवान्वित महसूस कर रही है। हमारी सरकार के मुखिया ने गांव की चौपाल में खड़े होकर भी कोई बात कह दी तो दो महीने के अंदर–अंदर वह काम हो जाता है। वर्ष 2014 में अतिथि अध्यापकों की संख्या लगभग 22 हजार के करीब थे। वर्ष 2014 में हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक ऐफिडेविट दिया कि 320 दिन के बाद इन अतिथि अध्यापकों की सेवाएं समाप्त कर देंगे। इस तरह से दिसम्बर, 2014 में 320 दिन पूरे हो गए और हमने एक कन्ट्राडिक्ट्री ऐफिडेविट माननीय न्यायालय में दिया ताकि इन अतिथि अध्यापकों की सेवाओं को बचाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे पास वकैन्सीज बहुत हैं और हम टी.जी.टी. को पी.जी.टी. में प्रमोट् कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने एक भी अतिथि अध्यापक को हटने नहीं दिया। पिछली सरकार में रोहतक के अंदर इसी बात को लेकर पुलिस की लाठियों से मैडम राजबाल की मौत हो गई थी। आज हम सारी संवेदनाओं के साथ और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 'दि हरियाणा गैस्ट टीचर्स सर्विस बिल' लाकर अतिथि अध्यापकों से किया गया वादा पूरा कर रहे हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।)

अध्यक्ष महोदय, अब मैं हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ –

> कि हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा में लगे हुए गैस्ट टीचर्स को रैगुलर करने के लिए जो विधेयक लेकर आए हैं हम सब उसका समर्थन करते हैं । (शोर एवं व्यवधान) मैं इनसे भी पहले माननीय सदस्य चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इन गैस्ट टीचर्स को रोजगार दिया था जिसके आधार पर आज उन्हें रैगुलर किया जा रहा है । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं बिल पर बोल रहा हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार में

उन लोगों का ऐसा हाल था कि वे न घर के रह गए थे और न वे बाहर के रह गए थे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इन बेलगाम लोगों को लगाम लगाइये । (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार में ऐसा मंजर था कि टीचर्स पर रोहतक शहर में लाठियां भांजी गई थी । माननीय सदस्य शायद उस मंजर के लिए अपनी सरकार का धन्यवाद कर रहे थे । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरा इस बिल के संबंध में सुझाव है कि सरकार को इन गैस्ट टीचर्स को उसी दिन से रैगुलर करना चाहिए जिस दिन से ये नौकरी लगे थे । इसके अतिरिक्त इनको सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले सभी भत्ते भी वर्ष 2005 से देने चाहिए । (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य करण सिंह दलाल जी ने जो कहा है उसके विषय में मैं कहना चाहूंगा कि – नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज का चली । ऐसा कहकर ये अपने पुराने पापों से मुक्त होना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉजिज 2 से 10

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 10 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(XVI) दि हरियाणा एनीमल (रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन एण्ड ब्रीडिंग) बिल, 2019

श्री अध्यक्ष : अब पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री हरियाणा पशु (पंजीकरण, प्रमाणीकरण और प्रजनन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन ने कई बार इतिहास की रचना की है और आज हम इस सदन में एक ऐसा विधेयक लेकर आए हैं जो आज तक भारत के किसी भी राज्य के सदन में पारित नहीं हुआ है । हमने 'गौ संरक्षण, गौ संवर्द्धन' और पढ़ी–लिखी पंचायत बनाने के लिए अच्छे और मजबूत विधेयक पारित करके इस क्रम की शुरुआत की थी । अब हम प्रदेश में पुनः श्वेत क्रांति लाने के लिए एक विधेयक ला रहे हैं । हम अपने पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता को न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया, इजराइल, ब्राजील के पशुओं के बराबर लाना चाहते हैं और अपनी टैक्नोलॉजी एवं जैनेटिक्स को बेहतर बनाना चाहते हैं । इसके लिए हमने निर्णय किया कि हम भारत के सभी राज्यों के सदनों में से सबसे पहले हरियाणा विधान सभा में इस पर एक विधेयक लेकर आएंगे । इसके माध्यम से हम अपने श्रेष्ठतम पशुओं जैसे भैंसे, साण्ड, भैंस, गाय का पंजीकरण करेंगे । इसके बाद हम उनका सर्टिफिकेशन करेंगे कि कौन–सा पशु नेचुरल सर्विस/ए.आई. के लिए प्रयोग किया जाएगा । इसके तहत

जिस पशु के पास अथॉरिटी का सर्टिफिकेट होगा केवल उसी पशु को प्रजनन करने की अथॉरिटी होगी । अगर कोई व्यक्ति प्राइवेटली अपने पशु का सीमन बेचना चाहेगा, भ्रूण ट्रांसफर करना चाहेगा, आर्टिफिशियल इनसैमिनेशन टैक्नोलॉजी (ए. आई.) से काम करना चाहेगा तो वह ये काम उस अथॉरिटी की अनुमति से ही कर पाएगा । इसको नियमित करने से टैक्नोलॉजी, पशु की नस्ल और खरणा ये सब सुरक्षित होंगे और इस तरह से पशुधन का विकास करके काम करने वाले लोगों के पशुओं की कीमत भी अच्छी होगी । उन पशुओं का पंजीकरण और सर्टिफिकेशन भी होगा जिससे पता चलेगा कि इस पशु की इस नस्ल की माँ है और इस नस्ल का पिता है । इन्हीं के आधार पर पशुओं का क्रय–विक्रय किया जाएगा । अतः मैं आज हाउस में ऐसा ऐतिहासिक विधेयक रख रहा हूं जिससे हमारे पशुओं की नस्ल में सुधार होगा, उनका रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन होगा और उसी के आधार पर उनका ए.आई. होगा । आज इस विधेयक को पास होते हुए देखने और इसका हिस्सा बनने के लिए वाइस चांसलर और उनकी पूरी टीम भी विधान सभा में आई है । अध्यक्ष महोदय, अब मैं हरियाणा पशु (पंजीकरण, प्रमाणीकरण और प्रजनन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

> कि हरियाणा पशु (पंजीकरण, प्रमाणीकरण और प्रजनन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि हरियाणा पशु (पंजीकरण, प्रमाणीकरण और प्रजनन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं इस बिल पर कोई एतराज नहीं करना चाहता लेकिन मेरा आपके माध्यम से एक सुझाव है कि आज के समय में हरियाणा में पशुओं के मामले में प्रॉब्लम्ज आ रही हैं। पहले हरियाणा प्रदेश में खासकर पशुपालन का भी एक धर्म हुआ करता था। जो पशुपालक है और पशु पालता है, उनको अपने पशु धन की सेवा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़नी चाहिए। माननीय मंत्री जी पशुओं के लिए अच्छी ब्रीडिंग का इन्तजाम कर रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन पशुओं को घर में बांधकर रखना पशुओं के प्रति बहुत ही क्रुअल एक्ट है। शहरों में चले जांए तो आप देखेंगे कि पशु घरों में ही बांधकर रखते हैं। अब तो गांवों में भी पशुओं को घरों में ही बांधकर रखा जाता है। पहले

जंगल हुआ करते थे जिनमें पशुओं को चराया जाता था जिससे उनकी एक्सरसाईज भी होती थी। हरियाणा प्रदेश के कुछ जिलों में ही जोहड़ हैं जिनमें भैंसे पानी में रहती हैं। हमारे पलवल, फरीदाबाद और मेवात जिलों के ईलाकों में तो कोई तालाब नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बात पर विचार करें कि जो पशु पालता है, उस पशु की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए यानी जो अपने पशुओं को घरों में बांधते हैं, वे घरों में नहीं बांधे जाने चाहिए। कई पशुपालक तो अपने पशुओं को 24 घंटे घरों में बांधे रखते हैं। पशुओं को घरों में ही चारा डालते हैं और वहीं से गोबर को खींचकर बाहर डाल देते हैं और दोनों टाईम का दूध निकाल लेते हैं। पहले दूध में जो क्वॉलिटी/गुणवत्ता होती थी, वह आज नहीं है। इसलिए पशुपालन में इस बात को इन्श्योर किया जाए कि पशुओं के लिए गांवों में चरवाहे की जमीन छोड़ दी जाए। हमें इन चीजों को मुकर्र करना चाहिए कि पशुओं को खेतों या जंगलों में ले जाकर चराया जाना चाहिए। पशुओं को कमरों मे बन्द न रखा जाए और जो पशुओं को कमरों में बन्द रखते हैं उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज करवाये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त जब से यह सरकार आयी है तब से बहुत ज्यादा सांड हो गये हैं। ये सांड हर सड़क पर घूम रहे हैं और सड़कों पर लोगों को टक्कर मारते रहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः करण सिंह जी, इस बिल का सांडों से कोई संबंध नहीं है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह ठीक है और मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारी डेयरी इन्डस्ट्री के चार आधार हैं जिसमे चारा, जैनेटिक्स, टैक्नॉलोजी और ऐसी प्रैक्टिसिज हैं कि पशुओं को कितना चराया जाए, कितना चलाया जाए और कितने तापमान में रखा जाए। इन सभी चीजों के लिए यूनिवर्सिटी ने प्रोटोकॉल बनाये हैं और उनको प्रसारित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य सांडों की बात कर रहे हैं, उसका भी इन्तजाम कर दिया है। सरकार ने सैक्स सीमन टैक्नोलॉजी का टैंडर जारी कर दिया है जिससे अब केवल जिस प्रकार की बछड़ी/बछड़ा चाहेंगे, वही पैदा होंगे। अब इस प्रकार से सांड सड़कों पर नहीं मिलेंगे, हमने उसका इन्तजाम कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा पशु (पंजीकरण, प्रमाणीकरण और प्रजनन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा ।

सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉजिज 2 से 4

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 4 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब क्लॉज 5

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस बिल में क्लॉज 5 में एक संशोधन करना चाहता हूं। प्रजनन नियामक प्राधिकरण का जो चेयरमैन बनाया जाना है, वह कोई प्रख्यात प्रजनक या प्रख्यात पशु चिकित्सक होना चाहिए, इसलिए सरकार यह संशोधन ला रही है । मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा पशु (पंजीकरण, प्रमाणीकरण और प्रजनन) विधेयक, 2019 के खण्ड–5 की उप धारा–1 के भाग–क में पहली लाइन में "कोई व्यक्ति, प्रमुखतः" शब्दों के स्थान पर "एक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा पशु (पंजीकरण, प्रमाणीकरण और प्रजनन) विधेयक, 2019 के खण्ड–5 की उप धारा–1 के भाग–क में पहली लाइन में "कोई व्यक्ति, प्रमुखतः" शब्दों के स्थान पर "एक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा पशु (पंजीकरण, प्रमाणीकरण और प्रजनन) विधेयक, 2019 के खण्ड–5 की उप धारा–1 के भाग–क में पहली लाइन में "कोई व्यक्ति, प्रमुखतः" शब्दों के स्थान पर "एक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए ।

प्रस्ताव यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

क्लॉजिज 6 से 40

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 6 से 40 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक यथासंशोधित, पारित किया जाए ।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक यथासंशोधित, पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक यथासंशोधित, पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक यथासंशोधित, पारित किया जाए ।

प्रस्ताव, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक यथासंशोधित, पारित हुआ ।)

.....

XVII. दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2019

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) संशोधन विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) संशोधन विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज–2

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

XVIII. दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैम्बली (सैलरी, अलाउंसिज एण्ड पैंशन ऑफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2019

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री, हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पैंशन) संशोधन विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज–2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, हमारा इस कार्यकाल का अंतिम और पांचवां बजट सत्र दिनांक 20 फरवरी, 2019 से दिनांक 27 फरवरी, 2019 को सम्पन्न हो रहा है । इस 8 दिन के समय में कुल आठ सिटिंग्ज़ हुई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुए हैं । अध्यक्ष महोदय, इस सत्र के पहले दिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण देकर इस सत्र का प्रारंभ किया था और माननीय वित्त मंत्री जी ने सरकार के कार्यकाल का पांचवां बजट पेश किया।

सभी माननीय सदस्यों ने दोनों अभिभाषणों पर चर्चाएं समाप्त की । अध्यक्ष महोदय, इस सत्र की कुल 8 सिटिंग्ज़ में 30 घंटे की चर्चा हुई है । मैं आज बजट सत्र के समापन के समय पर महामहिम राज्यपाल जी का बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही सभी माननीय सदस्यों का भी जिन्होंने सार्थक चर्चा से सत्र को सम्पन्न कराने में अपना अहम योगदान दिया है । अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में हमारे मीडिया कर्मी और पत्रकार बंधुओं ने भी अहम भूमिका निभाने का काम किया है । इसके अतिरिक्त सभी विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपना सहयोग दिया है और उनके सहयोग के बिना इस प्रकार के सत्र को सम्पन्न कराना कठिन होता है और अंत में मैं अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदया का तहेदिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर के सराहनीय ढंग से इस सत्र को सम्पन्न कराने में अहम भूमिका निभाई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः सबका बहुत–बहुत धन्यवाद और बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं । जय हिन्द ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, इस सत्र के अंतिम दिन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बात रखी हैं, मैं उन बातों में कुछ बातों को और एड करना चाहता हूं । आज हमारी बहन सुनीता जी के आने से अध्यक्ष महोदय का मूढ़ अच्छा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज वर्तमान सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र है । मैं सभी विधायकगणों और सभी माननीय पत्रकार और छायाकार मित्रों का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । अध्यक्ष महोदय, आज इस ऐतिहासिक दिन में बहुत अच्छे तरीके से कई बिल पास हुए हैं जिसके लिए भी मैं सभी माननीय विधायकगणों का धन्यवाद करता हूं । इसके अलावा मैं डॉक्टर कादियान जी के लिए कुछ चंद लाईनें कहना चाहता हूंः–

''आप पुरानी यादों के उजाले, आंखों में महफूज रखना,
दूर तक रात ही रात होगी,
मुसाफिर तुम भी, मुसाफिर हम भी,
फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी''।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति कोई ऐसी चीज नहीं है कि मिलना जुलना नहीं होगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तो गंगा नदी के समान है, जो निश्चल बहती रहती है ।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, हरियाणा के लोगों में इस बात की पूरी चर्चा है कि जो यह बजट सत्र है यह इस विधान सभा का आखिरी सत्र है क्योंकि इसके बाद तो धरती पर जाकर मुकाबले होंगे। अब तो रण युद्ध में जाकर पता चलेगा कि किस में कितना दम है। मैं यह बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के जो लोग आज यहां पर विराजमान हैं आने वाले समय में इनमें से बहुत से चेहरे यहां पर नज़र नहीं आयेंगे।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी इस बात की चर्चा सदन में कर चुका हूं अब मैं आज एक बार फिर से पूरे सदन को आश्वस्त कर रहा हूं कि वर्तमान विधान सभा का जो कार्यकाल चल रहा है इसका अगला सत्र अगस्त, 2109 में निश्चित होगा और हम चाहेंगे कि हरियाणा विधान सभा के चुनाव अपने निश्चित समय पर ही हों।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मैंने विधान सभा में एक प्रस्ताव दिया था कि हरियाणा विधान सभा के चुनाव भी लोकसभा के साथ ही करवाये जायें। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भी विचार हैं कि सारे देश में चुनाव एक साथ होने चाहिएं, उससे कानून व्यवस्था भी ठीक रहती है और गैर जरूरी खर्च भी बचता है अर्थात् जो फाईनैंशियल इम्पलीकेशंज़ हैं पूरे देश की विधान सभाओं के चुनाव लोक सभा के चुनाव के साथ करवाकर उनसे भी बचा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए ही मैंने यहां पर उपरोक्त प्रस्ताव दिया था। इसी प्रकार से एक प्रस्ताव मैंने यहां पर यह भी रखा था कि ई.वी.एम. के बजाये बैलेट पेपर से मतदान करवाया जाये क्योंकि संसार में जितने भी डिवैल्पड कंट्रीज़ हैं उनमें और हरेक यूरोपियन कंट्री में भी बैलेट पेपर पर मतदान करवाया जाता है इसलिए मैं एक बार फिर से अपने प्रस्ताव को दोहरा देना चाहता हूं कि ई.वी.एम. के बजाये बैलेट पेपर पर मतगणना करवाई जाये और विधान सभा के चुनाव भी लोक सभा के साथ ही हों।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, कादियान साहब ने इस प्रस्ताव के माध्यम से बात कही है उसकी यहां तो क्या बल्कि सारे देश में चर्चा चली है। प्रायः–प्रायः सहमति यह बनने जा रही है कि देश की सभी विधान सभाओं के चुनाव लोक सभा के साथ ही करवाये जायें इसमें कोई दो मत नहीं है लेकिन जब तक पार्लियामैंट की ओर से और जब तक राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्णय नहीं हो जाता कि देश की सभी विधान सभाओं के चुनाव लोक सभा के साथ ही करवाये जायें तब तक मुझे

ऐसा नहीं लगता कि ऐसा सम्भव हो पायेगा क्योंकि लोक सभा के ये चुनाव तो आ ही गये हैं। अगर लोक सभा के 2024 में होने वाले चुनाव तक ये वातावरण बनता है तो उस समय देश की सभी विधान सभाओं के चुनाव लोक सभा के साथ हो सकते हैं। जहां तक ई.वी.एम. के विषय की बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि चाहे ये कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य जीत जायें या चाहे ये हार जायें लेकिन इनको जो एक सपना सदा आता रहता है वह शब्द है ई.वी.एम.। ई. से बनता है एक, वी. से बनता है वहम और एम. से बनता है मेरा अर्थात् एक वहम मेरा। मेरा यही कहना है कि ये चाहे जीत जायें या हार जायें इनका ये वहम बना ही रहेगा।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, हमें इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हमें कुछ सुनने को तो मिला लेकिन हमें इस बात का बेहद अफसोस रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये शब्दावली और कवितायें हमें अगली विधान सभा में सुनने को नहीं मिलेगी।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : स्पीकर सर, कादियान साहब को अफसोस इस बात का नहीं है बल्कि इनका अफसोस दूसरा है। इनका अफसोस तो यह है कि ये दुनिया के मेले यूं ही लगे रहेंगे अफसोस इस बात का है कि कादियान साहब सुनने के लिए यहां पर नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर इनको अफसोस इसी बात का है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, इस सम्बन्ध में एक मिसाल मुझे याद आ गई कि पहले आटा पीसने के लिए चक्की होती थी जब उसको चलते हुए काफी दिन हो जाते थे तो उसके पाट घिस जाते थे। जब वे पाट घिस जाते थे तो उसके पाटों को रूहाया जाता था। उसको रूहाना कहते हैं। चक्की के पाटों को रूहाने के लिए रल्दू नाम का एक रूहावनिया था उसको एक बुढ़िया ने कहा कि उसकी चक्की को राह दे।

श्री अध्यक्ष : रघुवीर सिंह जी, हाउस में इस कहानी को कहने का तो श्री राम बिलास शर्मा जी ने पेटैंट करवा रखा है। आप इसको हाउस में कैसे कह सकते हैं?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, यह तो मेरी लिखी हुई कहानी है। ये कॉपी राईट मेरा है। एक गांव में रलदू नाम का एक निठल्ला आदमी था उसको एक बुजुर्ग कहने लगा कि रलदू तू कोई न कोई काम कर लिया कर। इस पर रलदू कहने लगा कि उसको तो कोई काम करना आता नहीं है। उस बुजुर्ग ने फिर कहा कि तू मेरे से 500/– रूपये ले ले और दो टांकी लेकर तू चक्की को राहवना

शुरू कर दे। उसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी उस बेचारी बुढ़िया की एक पुरानी चक्की थी। रलदू ने उस बुढ़िया को कहा कि माई मैं तेरी चक्की को ठीक कर दूं। बुढ़िया ने रलदू को चक्की ठीक करने की इजाजत दी और स्वयं पानी लेने चली गई उसके बाद रलदू ने उसकी पुरानी चक्की पर पहला ही हथौड़ा मारा तो उस बुढ़िया की पुरानी चक्की का पाट टूट गया। ऐसा होने पर वह जोर से उछल पड़ा जिसके कारण उसका सिर छींक्के में रखी घीलड़ी से टकरा गया जिससे वह घीलड़ी भी टूट गई उसके बाद उस घी पर उसका पांव पड़ गया उसके बाद वह दरवाज़े से टकरा गया जिससे दरवाजा और चौखट दोनों टूट गये इतने में बेचारी बुढ़िया भी पानी लेकर आ गई रलदू गिरने से बचता–बचता बुढ़िया से भी टकरा गया जिससे बुढ़िया भी गिर गई और उसके सिर पर रखी पानी की मटकी भी टूट गई। इसके बाद बुढ़िया रलदू को कहने लगी कि अरे रलदू तन्ने कित–कित ते रोऊं? इस पर रलदू बोला कि माई आगे–आगे चालती जा, देखती जा, सम्भालती जा और रोती जा। स्पीकर सर, इसी के साथ ही साथ मेरा आपके माध्यम से डॉ रघुवीर सिंह कादियान जी को कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की गंगा निरंतर बह रही है और अगर वे भी हमारे साथ आना चाहें तो उनका भी भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरा भी आपके माध्यम से श्री राम बिलास शर्मा जी को कहना है कि गंगा मैली हो गई है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही के सुचारू रुप से संचालन में आप सभी के द्वारा प्रदान किये गये सहयोग के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। इसके अतिरिक्त प्रैस के प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों तथा हरियाणा विधान सभा के अधिकारी तथा कर्मचारियों का भी मैं बहुत आभारी हूं जिन्होंने वर्तमान सत्र के सुचारू रुप से संचालन में अपना पूर्ण सहयोग मुझे दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है ।

*14:20 बजे

(तत्पश्चात सदन अनिश्चितकाल के लिए *स्थगित हुआ।)

.....